खंड—7 सत्र—7
अंक—40

बृहस्पतिवार 23 नवम्बर, 2000
मागशीर्ष 02, 1922 (शक)

दिल्ली विधान सभा

को

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

दूसरी विधान सभा

सातवां सत्र

अधिकृत विवरण

(खंड-7 में अंक 38 से 44 तक सम्मिलित है)

विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	सदन में शोर–शराबा	3-11
3.	सदस्यों का निलम्बन/सदन का स्थगन	12-15
4.	विविध	15-21
5.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (प्र. सं. 21)	22-25
6.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्र. सं. 22 से 40)	25-41
7.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्र. सं. 29 से 78)	41-97
8.	सदन पटल पर प्रस्तुत पत्र (i) दिल्ली बिक्री कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 2000 (ii) दिल्ली विद्युत सुधार अध्यादेश, 2000	97-98
9.	समितियों के प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण (i) कार्य मंत्रणा समिति (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति	97-98
10.	विधायी प्रस्ताव–विधेयकों का पुरःस्थापन (i) दिल्ली कारागार विधेयक, 2000 (ii) दिल्ली विद्युत सुधार विधेयक, 2000	99-174
11.	अल्पकालिक चर्चा (औद्योगिक इकाइयों के बंद होने से उत्पन्न स्थिति)	175-177
12.	सदन की बैठक से संबंधित सूचना	177-178
13.	संकल्प (केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के संबंध में)	

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-7 दूसरी विधान सभा के सातवें सत्र का दूसरा दिन अंक-39

दिल्ली विधान सभा

बुधवार, दिनांकः 22 नवम्बर, 2000/ मार्गशीर्ष 01, 1922 (शक)

सदन की कार्यवाही अपराह्न 2.00 बजे आरंभ हुई।

अध्यक्ष महोदय **(चौ. प्रेम सिंह)** पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :–

1. श्री अजय माकन
2. श्री अमरीश सिंह गौतम
3. श्रीमती अंजलि राय
4. श्री अरविन्दर सिंह लवली
5. श्री अशोक सिंह
6. श्री अविनाश साहनी
7. श्री भीष्म शर्मा
8. श्री ब्रह्म पाल
9. श्री ब्रहम सिंह तंवर
10. श्री चरण सिंह कंडेरा
11. श्रीमती दर्शना राम कुमार
12. श्री दीप चन्द बन्धु
13. श्री हारून युसुफ
14. श्री हरशरण सिंह बल्ली
15. डॉ. हर्षवर्धन
16. श्री जगदीश आनन्द
17. प्रो. जगदीश मुखी
18. श्री जय भगवान
19. श्री जसपाल सिंह
20. श्री कंवल सिंह
21. श्री कंवर करण सिंह
22. श्री महाबल मिश्रा
23. श्री महेन्द्र यादव
24. श्री माला राम गंगवाल
25. श्री मंगत राम सिंघल
26. श्री मतीन अहमद
27. श्रीमती मीरा भारद्वाज
28. श्री मोहन सिंह बिष्ट
29. श्री मोती लाल बोकोलिया
30. श्री मुकेश शर्मा
31. श्री नन्द किशोर गर्ग
32. श्री नरेश गौड़
33. श्री नसीब सिंह
34. श्री प्रेम चन्द कौशिक

35. श्री पूरन चन्द योगी
36. श्री प्रहलाद सिंह साहनी
37. श्री राधेश्याम खन्ना
38. श्री राजेश जैन
39. श्री राज कुमार चौहान
40. श्री राम भज
41. श्री रमा कान्त गोस्वामी
42. श्री राम सिंह नेताजी
43. श्री रमेश कुमार
44. श्री रविन्द्र बंसल
45. श्री रूप चन्द
46. श्री साहब सिंह चौहान
47. डॉ. एस. सी. वत्स
48. श्री शादी राम
49. श्री शीश पाल
50. श्री शुएब इकबाल
51. श्री सुभाष चोपड़ा
52. श्री सुरेन्द्र कुमार
53. श्री सुशील चौधरी
54. श्रीमती ताजदार बाबर
55. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
56. श्री टेक चन्द
57. श्री वीर सिंह
58. श्री जिले सिंह

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (**चौ. प्रेम सिंह**) पीठासीन हुए।

सदन में शोर-शराबा

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, हमने आपसे कल भी निवेदन किया था कि यह जो रिलोकेशन ऑफ इन्डस्ट्रीज का ज्वलन्त मुद्दा बना हुआ है, आज जिस तरह से दिल्ली के अंदर घटनाएं हुई हैं, उसे मद्देनजर रखते हुए, हमने आज पुनः स्थगन प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और मेरी आपसे प्रार्थना है कि इतना बड़ा हादसा दिल्ली के अंदर जो हुआ है। उसकी चर्चा यदि विधान सभा में नहीं होती है तो विधान सभा की फंक्शनिंग के ऊपर अपने आप एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मैं इसलिए पूरी अपोजीशन की ओर से, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के सभी मेम्बर्स की ओर से आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके पूरे सदन के एजेण्डे को रोककर के आज इस उद्योगों के रिलोकेशन वाले मसले के ऊपर आप आज चर्चा प्रारंभ करायें। यह मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन के सभी सदस्यों की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों को बंद करने से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, वह वाकई गंभीर है और इस गंभीरता के परिणामस्वरूप ही सदन के सभी माननीय सदस्य चिन्तित दिखाई दे रहे हैं।

इस विषय की गंभीरता को समझते हुए कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17.11.2000 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया था कि हम पहले ही दिन अल्पकालिक चर्चा के द्वारा इस गंभीर स्थिति पर गौर करें। इस विषय पर नियम–59

के तहत काम रोको प्रस्ताव की सूचना कल डॉ. जगदीश मुखी और श्री मतीन अहमद से अलग–अलग प्राप्त हुई थी और यह विषय बिजनिस एडवाइजरी कमेटी के निर्णय के अनुसार चर्चा के लिए लगा हुआ था। आज भी इस संबंध में कार्य स्थगन के दो नोटिस प्राप्त हुए हैं। एक डॉ. जगदीश मुखी से और दूसरा चौ. मतीन अहमद और चौ. राम सिंह नेताजी से .....

श्री शुएब इकबाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी और आज भी प्रस्ताव भेजा है।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार कार्य स्थगन प्रस्ताव में कोई भी ऐसा विषय नहीं लाया जाना चाहिए जो पहले से ही सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो। लेकिन सदन के सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं व स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मैं स्वयं ऐसा महसूस करता हूं कि इसमें चर्चा की आवश्यकता है। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री और विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता डॉ. जगदीश मुखी जी से बातचीत की है और यह फैसला किया है कि आज हम इस विषय पर अल्पकालिक चर्चा करेंगे जिसे कानून व्यवस्था पर अल्पकालिक चर्चा से पूर्व प्रारंभ किया जाएगा और दोनों नेताओं से हुए परामर्श के अनुसार सदस्य इस चर्चा में भाग ले सकेंगे।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि एडजार्नमेंट मोशन लाना हमारा अधिकार है। आपके इस विधान के अनुसार हमें यह अधिकार दिया गया है। हमारी इस मांग के अंदर कोई कमी नहीं है। आपने जो जिक्र किया है कि यदि पहले ही विषय पर चर्चा हो चुकी है। यह विषय लगा हुआ है, इस पर चर्चा तो नहीं हुई है इसलिए इसमें जो सारी कंडीशन्स दी गई हे। हम सारी की सारी कंडीशन्स फुलफिल करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि एडजार्नमेंट मोशन स्वीकार न किया जाए। इसमें क्या कारण हो सकता है। इसमें सारी कंडीशंस मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, इसमें एक भी कंडीशन ऐसी नहीं है, जिससे यह अस्वीकार हो। हम नौ की नौ कंडीशन्स पूरी करते हैं। मैं नौ की नौ कंडीशन्स पढ़कर सुना सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुखी जी, आपसे मेरी जो बात हुई है। मैंने उसी का जिक्र यहां पर किया है।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : उसी बेसिस पर आपसे जो बात हुई है।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं जो विधि सम्मत न हो। मैं यह कह रहा हूं कि यह हमारा अधिकार है, हम सभी सदस्यों का अधिकार है कि यदि हमारे पास इतना मत है कि एक वन सिक्स ऑफ दा हाउस आपसे यह मांग कर रहा है तो एडजार्नमेंट मोशन स्वीकार न करने का क्या औचित्य हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, हम नौ के नौ...*व्यवधान*.... आप मेरी बात सुन लें....

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन तो ली...

डॉ. जगदीश मुखी : मेरी एक प्रार्थना सुन लें। यह गंभीर मामला है। यदि इस मुददे पर एडजार्नमेंट मोशन नहीं आ सकता तो किस मुददे पर आ सकता है। मैं नौ की नौ कंडीशन्स पढ़ देता हूं, हम उनको पूरी तरह से फुलफिल कर रहे हैं। हमने इस बारे में कल भी निवेदन किया था, हमें कल भी इस पर चर्चा नहीं करने दी गई। आज हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस सारे एजेंडे को रोककर के, इस विषय की गंभीरता को जैसा कि आपने लिया है, उसी गंभीरता को लेते हुए, क्योंकि कोई आफत आने वाली नहीं है। पूरी दिल्ली धधक रही है। इस पर चर्चा करायें।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। मैंने उसको स्वीकार किया है। मैंने उसे मना नहीं किया है। मैंने तो उसे स्वीकार किया है।

श्री शुएब इकबाल : अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकार कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

....अंतरबाधाएं....

अध्यक्ष महोदय : शुएब जी, साहब सिंह जी आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्री शुएब इकबाल : अध्यक्ष महोदय, सब काम रोककर, इस पर चर्चा की शुरूआत कराएं।

....अंतरबाधाएं....

अध्यक्ष महोदय : साहब सिंह जी, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, आप उसके बाद बोलिए।

श्री साहब सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, नियम–63 के अंदर आप हाउस की अनुज्ञा लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप बाद में बोल लेना।

प्रो. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरा निवेदन सुन लें। हम यह कह रहे हैं कि आप जल्दी में अपनी रूलिंग न दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं रूलिंग नहीं दे रहा हूं।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, इस मुददे पर सदन के सदस्य यदि कुछ कहना चाहते हैं, चाहे वे किसी भी पक्ष के हैं तो वे बोलें।

अध्यक्ष महोदय : वे कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन्हें एलाऊ करूंगा।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग न्याय–संगत है या नहीं। आप बाद में रूलिंग दीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय : मुखी जी, मेरी बात सुनिए।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप बाद में रूलिंग दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आपसे मेरी बातचीत हुई। आपने यह माना। आप हाउस में यह बताइए कि आपसे मेरी बात हुई और आपने यह माना कि यह बात ठीक है। यदि आप इस पर चर्चा शुरू करवायेंगे तो यह ठीक है। हमारा यह प्रस्ताव है। मेरी आपसे इस बारे में बात हो गई है। अब यहां पर इसको उठाने का कोई मतलब नहीं है। जब सुबह आपसे बात हो गई तो अब यहां पर इसको उठाने का कोई मतलब नहीं है।

....अंतरबाधाएं....

अध्यक्ष महोदय : आपसे जो बात हुई है, मैं उसका जिक्र नहीं करूं। मैंने आपसे बातचीत होने के बाद ही मुख्य मंत्री से बात की और मैंने तब ही इसको एजेंडे में लगाया है। मैंने गंभीरता को देखते हुए ही इसे एजेंडे में लगाया है।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, हम पूरे सम्मान के साथ, पूरे अदब के साथ आपसे यह बात कर रहे हैं, हम इस कुर्सी का हाईएस्ट रिगार्ड करते हैं। आप अपनी रूलिंग एकदम मत दीजिए। आप मेरी बात सुन तो लीजिए। आफ्टर ऑल यह एडजार्नमेंट मोशन के लिए विधान में प्रोविजन क्यों होता है? यदि हम ऐसे मुद्दे के ऊपर हाउस को एडजॉर्न नहीं कर सकते और हम यहां इसे डिस्कस नहीं कर सकते तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह व्यवस्था क्यों दी हुई है?

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुन लीजिए।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, आप मेरा निवेदन सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं रूलिंग नहीं दे रहा हूं.....

डॉ. जगदीश मुखी : आप बाद में बोलिएगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं खुद एडजार्नमेंट मोशन ले रहा हूं, मैं उसी के बारे में बता रहा हूं।

श्री साहब सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, आप हाउस की सहमति तो ले लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं, उनकी बात सुनकर के, आप बाद में सुन लीजिए....

अध्यक्ष महोदय : आपने जो बात कही है, मैं उसी विषय के बारे में बोल रहा हूं। मैं और कुछ नहीं कह रहा। मैं यही कह रहा हूं।

...अंतरबाधाएं....

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुन लीजिए।

डॉ. जगदीश मुखी : मैं पार्लियामेंट के प्रोसीजर की बात करता हूं। पूरे पार्लियामेंट के अंदर यह होता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एलाऊ कर दूंगा। पहले आप मेरी बात सुनिए। उसके बाद आप बोल लीजिए। आज दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा है। इसलिए यदि आप सब की अनुमति हो तो समय बचाने के लिए आज के जो विशेष उल्लेख हैं वो पढ़े हुए समझे जायें। उससे टाइम बच जाएगा। हम संबंधित मंत्री जी को भेज देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं। आप मेरी बात सुन तो लीजिए।

डॉ. जगदीश मुखी : आप हमारी बात तो सुन लें।

...अंतरबाधाएं.....

अध्यक्ष महोदय : जो आप चाहते हैं कि जल्दी फैसला हो जाये तो इसलिए मैंने पहले एडजॉर्नमेंट मोशन लिया है...

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, विषय बदला नहीं है। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हम सभी लोग रोज देखते हैं। यदि एडजॉर्नमेंट मोशन लाया गया है तो आप उसे नकारने या उससे इन्कार करने का कोई रीजन तो देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? कौन सी कमी है हमारे इस एडजार्नमेंट मोशन में जिसे आप रिजैक्ट कर रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूं? यदि ऐसे मुद्दे पर भी हम एडजार्न नहीं कर सकते, एडजार्नमेंट मोशन नहीं ला सकते हैं, तो कब लायेंगे? विधान के अंदर इसकी किसलिए व्यवस्था की गयी है ? हम इसकी 9 की 9 कंडीशन पूरी करते हैं.... *व्यवधान....*

I am holding the floor.....

आप जरूर बोलियेगा, मैं एक आधा मिनट और लूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आपको जो बार–बार फीड किया जा रहा है कि एजेंडा में लगा हुआ था। एजेंडा में लगा हुआ था। हम कल भी यही कह रहे थे कि डिस्कशन करें। डिस्कशन हाउस में नहीं हुआ। इसलिए हमारा ये एडजॉर्नमेंट मोशन इन–आर्डर है। केवल इसी कारण आप रिजैक्ट करें कि कल एजेंडा में डिस्कशन लगा हुआ था, यह वाजिब नहीं है, न्यायसंगत नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं

कि आप बाकी सदस्यों की सलाह सुन लें। उसके पश्चात् आप रूलिंग दें। एडजार्नमेंट मोशन इसी परपज के लिए होता है। अर्जेन्ट इम्पोर्टेन्स का मैटर है। दिल्ली धधक रही• है। उसके बाद भी हम हाउस में एडजार्नमेंट मोशन नहीं ला सकते, पूरी स्ट्रैंथ होने के बाद नहीं ला सकते? यह विधान के साथ ज्यादती हो जायेगी...*व्यवधान*....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये...*व्यवधान*.... श्री अजय माकन जी।

श्री अजय माकन : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक चीज मुखी जी की बात के जवाब में कहना चाहूंगा .....*व्यवधान*.....

डॉ. जगदीश मुखी : जवाब उन्होंने देना है। आप केवल सजैस्ट कीजिए..... *व्यवधान*....

अध्यक्ष महोदय : ...*व्यवधान*.... यह आपका काम नहीं है। यह मेरा काम है। आप बैठिये। आप बैठिये। हाउस को कंट्रोल करना मेरा काम है। यह आपका अधिकार नहीं है.....

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, उन्हें किसी की बात का जवाब देने का अधिकार नहीं है। आप जवाब दीजिए।

....*व्यवधान*....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप टोकेंगे नहीं। वे क्या कह रहे हैं, मैं सुनूंगा। अगर कोई एतराज होगा, तब आप बोलिये।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, तो वे आपको कहें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको एलाउ किया है।

श्री अजय माकन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे केवल इतना अनुरोध करना चाहूंगा कि आपने आज दो महत्वपूर्ण फैसले दिये हैं। एक आपने कहा है कि शार्ट ड्यूरेशन डिस्कशन इन उद्योगों के मामले में आज होगा। दूसरा आपने कहा कि 287 के अंतर्गत जो विशेष उल्लेख है, उन्हें पढ़ा समझा जाये ताकि हम लोगों को समय मिल जाये। इसलिए हम लोग इस चीज को यहां पर डिस्कस करें। सरकार डिस्कसन करना चाहती है। मुख्य मंत्री जी से आपकी बात हुई है। जैसे आपने

बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम डिस्कसन करना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष जो है, वह ख्वामख्वाह, जानबूझकर इसको केवल 30 मिनट, 35 मिनट बचाने के लिए इसको एडजार्नमेंट मोशन के फार्म में, केवल पॉलिटिकल बैनिफिट लेने के लिए अगर करें तो हम इस इश्यू को बिल्कुल पॉलिटकली युटिलाइज नहीं होने देंगे... *व्यवधान....*

डॉ. जगदीश मुखी : आप कौन होते हैं पॉलिटिसाइज न होने देने वाले? हाउस आप चला रहे हैं क्या? हाउस अध्यक्ष महोदय चला रहे हैं। उनकी रूलिंग को हम मान्यता देंगे। आप कौन होते हैं पॉलिटिकल न करने देने वाले? *...व्यवधान....*

श्री अजय माकन : आप किस नियम के तहत बोल रहे हैं?

श्री रमाकांत गोस्वामी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जनहित में चर्चा कराने के लिए सुबह साढ़े दस बजे आपके कार्यालय में नोटिस दिया था, इसके बारे में कृपया मुझे बताइये कि आप क्या कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : श्री मुकेश जी।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग के बाद, कल के एजेंडा में जो शार्ट ड्यूरेशन डिस्कसन जगदीश मुखी जी ओर मेरे नाम से एडमिट थी, उसे परमिट करने के बाद और 287 को पढ़ा गया माना जाने के बाद मैं समझता हूं कि एडजॉर्नमेंट मोशन लाने का प्रतिष्ठा का सवाल जो विपक्ष के नेता बना रहे हैं, बजाय इसके प्रतिष्ठा का सवाल बनाने के प्रतिष्ठा का सवाल यह बनाया जाये कि जगमोहन साहब ने दिल्ली के लोगों को जो लालीपॉप दिया है....*व्यवधान....*

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। कल भी आप चले गये थे। आप इस विषय पर चर्चा नहीं होने देना चाहते थे। चर्चा हम कल चाहते थे। आप भाग गये यहां से.....*व्यवधान.....*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, आप उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे सदस्यों को खड़े करवाकर गिनती करवा दीजिएगा। उसके पश्चात अपनी रूलिंग दीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय : आप बात सुनिये। एक बात आपने कही है। उनको अधिकार है बोलने का। वे बोलेंगे। मैं एलाउ करूंगा।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा विपक्ष के नेता से अनुरोध रहेगा, हमें 14 की संख्या में आपके साथ काम करने का 5 साल अवसर प्राप्त रहा है। कितने एडजॉर्नमेंट मोशन और कितने इश्यूज पर आप लोग डिस्कस किया करते थे? वह सब दिल्ली की असैम्बली के रिकॉर्ड में दर्ज है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन से निवेदन है कि पूरी ईमानदारी के साथ राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले को, उन 25 लाख लोगों को बचाने के बारे में सोचो, कोई पॉलिटिकल स्टण्ट इसको न बनायें। इसे पॉलिटिसाइज न कीजिए। कई लोग पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। उसको हम सहन नहीं करने वाले.....*व्यवधान*....

डॉ. जगदीश मुखी : कल आप भाग गये थे डिस्कसन से। हम चाहते थे कि डिस्कसन हो। यही हम मांग कर रहे थे। आप बिना किसी बात के सदन छोड़कर भाग गये थे।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि 1996 में इनके समय में अदालत में मामला शुरू हुआ। 96 से 98 तक इन्होंने क्या किया?

अध्यक्ष महोदय : मुकेश जी, आप इस पर बोलिये न ....*व्यवधान*.....

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, मोशन की बात हो रही है। डिस्कसन की बात नहीं हो हम डिस्कसन करना चाहते हैं....*व्यवधान*.... ***

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।....*व्यवधान*..... डॉ. साहब बोलिये....*व्यवधान*.... ये ऐसे शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। ये शब्द कार्यवाही से निकाल दीजिए।.... आप बैठे–बैठे मत बात कीजिए।....शुएब जी, चौहान साहब यह अच्छा नहीं लगता...*व्यवधान*....

(श्री शुएब इकबाल सदन के वेल में आये)

...*व्यवधान*.....

*** चिन्हित अंश हाउस की कार्यवाही से निकालें गए।

सदस्यों का निलम्बन/सदन का स्थगन

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? इन्हें सदन से बाहर निकालिए...*व्यवधान*... मैं श्री शुएब इकबाल को नेम करता हूं। इन्हें हाउस से बाहर निकालिए...*व्यवधान*... यह अच्छा नहीं लगता। शुएब जी, यह गलत बात है। ....*व्यवधान*.... आप बैठिये... मुखी जी, आपको साहब सिंह चौहान जी को समझाना चाहिए। ऐसी बात कही है, यह अच्छा थोड़े ही लगता है... *व्यवधान*.... इन्होंने जो कुछ भी कहा है, वह हाउस की कार्यवाही से निकाल दें .....*व्यवधान*.... जो ऐसी आपत्तिजनक बातें कही हैं, वह हाउस की कार्यवाही से निकाल रहे हैं...*व्यवधान*..... आप बैठिये.....आप क्यों बोल रहे हैं।..... *व्यवधान*.....आप कृपा करके बैठिये। हाउस की कार्यवाही चलने दीजिए। मुझे यहां से सब कुछ दिखाई दे रहा है। यह अच्छी बात नहीं है...*व्यवधान*.....

अध्यक्ष महोदय : ये शुएब इकबाल जी को बाहर ले जाइए....*अंतरबाधा*.....

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष जी, आप सदन के अंदर हो ...*अंतरबाधा*...

अध्यक्ष महोदय : इन्हें बाहर ले जाइए...*व्यवधान*..... अच्छा नहीं लगता है... *व्यवधान*.. शुएब जी यह गलत बात है....*व्यवधान*।

श्री रमाकांत गोस्वामी : अध्यक्ष जी, इन्हें बाहर किया जाये इन्होंने गंद मचाया हुआ है....*अंतरबाधा*..... अध्यक्ष जी, इन्होंने सदन की प्रतिष्ठा गिरायी है...*व्यवधान*....

अध्यक्ष महोदय : मुखी जी आपको चौहान को समझाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है ये ऐसी बात कर रहे हैं क्या यह अच्छा लगता है। यह गलत बात है... *व्यवधान*...

श्री रमाकांत गोस्वामी : अध्यक्ष जी, इन्होंने गाली–गलौच की है....*व्यवधान*....

अध्यक्ष महोदय : जो भी इन्होंने आपत्तिजनक बात कही है वो हाउस की कार्यवाही से निकाल दीजिए।...*व्यवधान*.... मैं इसे हाउस की कार्यवाही से निकालवा रहा हूं।...*व्यवधान*....

श्री रमाकांत गोस्वामी : अध्यक्ष जी, इनको बाहर निकाला जाये....*व्यवधान*....

श्री नरेश गौड़ : अध्यक्ष जी, एक विधायक को लात मारी गयी....*व्यवधान*....

आपने क्या एक्शन लिया है....*व्यवधान*.... इस सदन के अंदर विधायक को लात मारी गयी है।....*व्यवधान*....

श्री रमाकांत गोस्वामी : अध्यक्ष जी, इनको बाहर किया जाये....*व्यवधान*....

श्री रूप चंद : अध्यक्ष जी, यह तो कोई बात नहीं आपके देखते–देखते वो इस तरह ....*अंतरबाधा*...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए....*व्यवधान*....

श्री रमाकांत गोस्वामी : इनकी आदत बनी हुई है....*व्यवधान*.... यह वैल में आ गये....*व्यवधान*....

श्री रूपचंद : अध्यक्ष जी, यह बहुत गलत बात है। ....*व्यवधान*.... एक सदस्य को विधानसभा में....*व्यवधान*.... इन्हें बाहर किया जाये....*व्यवधान*....

श्री रमाकांत गोस्वामी : अध्यक्ष जी, इन्हें बाहर निकाला जाये।....*व्यवधान*....

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप बैठ जाइए, आप क्यों बोल रहे हैं,....*व्यवधान*.... ऐसा है जो भी कुछ है मुझे सब दिखाई दे रहा है....*व्यवधान*....। ये अच्छी बात नहीं है आप लोग एक–दूसरे के साथ इस तरह ....*व्यवधान*.... गलत बात है।....*व्यवधान*.... यह ठीक बात नहीं है....*व्यवधान*....

श्री नरेश गौड़ : अध्यक्ष जी, विधायक के ऊपर हमला हुआ है....*व्यवधान*.... इंडिपेंडेट का मतलब यह नहीं है।....*व्यवधान*....

अध्यक्ष महोदय : देखिए उनको निकाल दिया है लेकिन साहब सिंह चौहान को देखना चाहिए वो इस तरह के शब्द हाउस में इस्तेमाल कर रहे हैं क्या यह अच्छी बात है।....*व्यवधान*.... हाउस की कार्यवाही चलने दीजिए....*व्यवधान*....

श्री नरेश गौड़ : अध्यक्ष महोदय आपकी उपस्थिति में गालियां दी गयी हैं क्या इस हाउस के अंदर सदस्य सुरक्षित नहीं है।....*व्यवधान*....

अध्यक्ष महोदय : चौहान साहब बैठिए आप क्यों बोल रहे हैं।....*व्यवधान*....

अध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट बैठ तो जाइए।....*व्यवधान*....

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष जी, जिस तरह से हाउस के अंदर अटैक हुआ

है, हाउस के अंदर कोई सदस्य सुरक्षित नहीं है....*व्यवधान*....हम बोल नहीं सकते क्या हमारा गला बंद करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुखी जी देखिए बैठ जाइए, मैंने अभी आपके सामने एक मिनट में एक्शन लिया है लेकिन आपको अपने मेम्बरर्स को भी तो कहना चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है, वो कोई गलत बात न करें यह आपकी जिम्मेदारी है। वो सारी बात करेंगे, ये तो कोई बात नहीं है। आप अपने मेम्बर को क्यों नहीं समझाते? वो बैठे–बैठे बोलते रहते हैं उन्होंने गलत बात कही है जो उनको नहीं कहना चाहिए।....*व्यवधान*.... किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी को गलत टोंड करने का ....*व्यवधान*....उसको सजा मिल गयी है उनको हाउस से बाहर निकाल दिया....*व्यवधान*.. .. आप बैठ जाइए यह गलत बात है।....*व्यवधान*.... आप दो मिनट में बैठिए....*व्यवधान*.... मैंने उनको हाउस से बाहर निकाल दिया है....*व्यवधान*.... केवल आज के लिए निकाला है....*व्यवधान*.... आप बैठ जाइए।....*व्यवधान*....

श्री रमाकांत गोस्वामी : अध्यक्ष महोदय, शुरूआत वहां से हुई है....*व्यवधान*.... ये भाजपा वालों ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है....*व्यवधान*.... क्या इनको पूरा अधिकार है कि ये कुछ भी कह सकते है?

अध्यक्ष महोदय : देखिए, यहां बैठे–बैठे टोंट कसे जा रहे हैं कायदे में सजा तो इनको भी मिलनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए....*व्यवधान*....मैंने देखा है इनको .... *व्यवधान*.... आप लोग मेम्बर हैं....*व्यवधान*.... आप अपने मेम्बर को समझा नहीं रहे हैं और प्रोटेस्ट दे रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ....*व्यवधान*.... आप लोग बैठ जाइए.... *व्यवधान*....

श्री रमाकांत गोस्वामी : अध्यक्ष जी, शुरूओत वहां से हुई है। हम सुन रहे हैं यहां पर उन्होंने एक सदस्य को पाकिस्तान का एजेंट कहा है। ....*व्यवधान*....

अध्यक्ष महोदय : आप कृपा करके बैठ जाइए और हाउस की कार्यवाही चलने दीजिए उसने गलती की मैंने उसे निकाल दिया अब हाउस की कार्यवाही तो चलने दीजिए, आपको बात को समझना चाहिए....*व्यवधान*.... आप बैठिए....*व्यवधान*.... आप बात सुनिए, मैंने साहब सिंह जी को भी वार्निंग दे दी है कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आप लोग ऑनरेबल मेम्बर हैं अच्छा नहीं लगता....*व्यवधान*.... मैंने उनसे

कह दिया है कि वो इस तरह की बात न करें जिससे एक–दूसरे के मान– सम्मान को ठेस पहुंचे.....*व्यवधान*.... लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कम से कम यह तो देखना चाहिए....*व्यवधान*....चौहान साहब बैठ जाइए, रमाकांत जी बैठ जाइए.... *व्यवधान*.... बात सुनिए....*व्यवधान*.... साहब सिंह जी अभी मैंने सारी बात सुनी है और आप रिकार्ड की बात कर रहे हैं, ...*व्यवधान*.... मुखी जी आप जरा अपने सदस्यों को समझाइए।

मुख्य मंत्री : ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपसे एक रिकवेस्ट करना चाहती हूं। यहां पर जिस तरह से अनपार्लियामेंटरी लैंग्वेज यूज़ की गयी है वह बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अपने लीडर आफ द अपोजीशन से रिकवैस्ट करती हूं कि वो कुछ कंट्रोल करें। लेकिन मैं आपसे कुछ रिकवेस्ट करना चाहती हूं कि मेरी बात से सारा हाउस भी सहमत होगा कि जिसने इस बात को शुरू किया उसको भी एक्सपैल करना चाहिए....*व्यवधान*....

अध्यक्ष महोदय : मैं साहब सिंह चौहान को नेम करता हूं कि वो हाउस से बाहर चले जाएं....*व्यवधान*.... हाउस की कार्यवाही पांच मिनट के स्थगित की जाती है।

(हाउस की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित की गयी।)

सदन पुनः 2.47 बजे अपराह्न समवेत हुआ

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

विविध

अध्यक्ष महोदय : जगदीश मुखी जी।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो इंसीडेंट सदन में हुआ है, आपने दो सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई की है और उनको सदन से बाहर किया है। एक अहम मुद्दे पर आप चर्चा शुरू करवाने वाले हैं। मेरी प्रार्थना है कि दोनों सदस्यों को आप अंदर आने की अनुमति दें, उन्हें वापिस बुलवा लें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बुलाइये, खेद व्यक्त करने के लिए बुलाइये। दोनों सदस्यों को बुलाइये। साहब सिंह चौहान जी, आपके पास किताब है, आप इनकी बात सुनो ही मत। शुएब इकबाल जी।

श्री शुएब इकबाल : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि आज सदन बहुत अहम विषय पर चर्चा करने जा रहा था। विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव यहां लाया गया था और उसका मैंने समर्थन किया था। लेकिन अफसोस की बात है कि इस दौरान बातचीत चल ही रही थी कि हमारे साथी साहब सिंह चौहान ने रिमार्क पास किया। वो गंदा रिमार्कस था और वो मुख्य मंत्री से ताल्लुक रखता था जो सब ने सुना। उसके जवाब में प्रोवोक किया। उन्होंने इसके जवाब में इसको भी बोला जो अपशब्द था। वो शब्द गलत था। उसके बाद इसने मुझे पाकिस्तानी आई. एस. आई. का एजेंट कहा। जो इसने 4 साल पहले मुझे कहा था और इस सदन में इसने माफी भी मांगी थी। अध्यक्ष महोदय, मेरी तरफ से अपशब्द इसको कहे गए चूंकि इन्होंने शुरूआत की अतः उसके लिए मैं माफी चाहता हूं और इसने जो पाकिस्तानी एजेंट कहा है उसके लिए ये माफी मांग लें।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। चौहान साहब।

श्री साहब सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, जब भी मैं कोई विषय उठाता हूं तो मैं नियमानुसार उठाता हूं, पुस्तक के अनुसार उठाता हूं। मैं बहुत भली–भांति जानता हूं कि इस सदन में कौन से शब्द का प्रयोग होना है और कौन सा नहीं? पिछली बार भी इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया था। आज भी जैसे इन्होंने मेरी मां को और मेरी बहिन को गाली दीं और उन अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए, प्रोवोक करके, मैंने निश्चित रूप से इनको पाकिस्तान का एजेंट कहा। मैं इन शब्दों को वापिस लेता हूं।

श्री शुएब इकबाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दूसरी मर्तबा बोला है। ये एडिटिंग न कर लें। अगर इन्होंने एडिटिंग कर ली तो फिर भाई अपना आगे का अंजाम सोच लेना। आपने मुझे पाकिस्तान का एजेंट कह दिया।

...अंतरबाधाएं....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

...अंतरबाधाएं....

अध्यक्ष महोदय : आप हाउस की कार्यवाही चलने दीजिए।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमने आपके ऊपर छोड़ा, किंतु धमकी देकर के सदन के अंदर....

...अंतरबाधाएं....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। नहीं, कोई किसी को कोई धमकी नहीं देगा।

...अंतरबाधाएं....

अध्यक्ष महोदय : गौड़ साहब, मारवाह जी आप बैठिए। चौहान साहब, बैठिए।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो धमकी दी है, वे उसे वापिस लें। यहां पर धमकी क्यों दी है?

...अंतरबाधाएं....

अध्यक्ष महोदय : हाउस में इतने इम्पोर्टेंट इश्यू के ऊपर चर्चा है और अब कितनी देर हो गई है। आप हाउस की कार्यवाही चलने दें। ऐसा अच्छा नहीं लगता। आप मुझे सहयोग दीजिए। आपके इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो रह जायेंगे। सारा समय उसमें खत्म हो जाएगा।

...अंतरबाधाएं....

श्री सुशील चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह की परम्परा धमकियों की चलेगी तो हाउस कहां तक चलेगा?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

...अंतरबाधाएं....

अध्यक्ष महोदय : मुखी जी, आप बैठिए। गर्ग साहब, कोई किसी को नहीं मार सकता।

मुख्य मंत्री : आप इस बात को छोड़िए, आप इसको बढ़ा रहे हैं। अब तो ? बात खत्म हो गई।

...अंतरबाधाएं....

अध्यक्ष महोदय : चौधरी साहब, आप बैठिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना करती हूं।

...अंतरबाधाएं....

अध्यक्ष महोदय : गौड़ साहब आप बैठिए।

...अंतरबाधाएं....

अध्यक्ष महोदय : आपके लीडर ने हम दोनों पर छोड़ा। दानों से मेरी बात होने के बाद, मामला आराम से निपट गया। अब आपको उस पर चर्चा करनी चाहिए। आप उस सवाल को उठाइए।

...अंतरबाधाएं....

अध्यक्ष महोदय : राम सिंह जी, आप बैठिए। मुखी साहब, ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा कि हमने एक स्थगन–प्रस्ताव रखा है। उस पर मैंने पहले ही अपनी रूलिंग दे दी है कि हम उस पर चर्चा करवा रहे हैं और आपसे बातचीत करने के बाद, सी. एम. से बातचीत करने के बाद ही क्योंकि यह आज के एजेंडे में नहीं है लेकिन फिर भी विषय की गंभीरता को देखते हुए दोनों से बातचीत करने के बाद, उस पर चर्चा करेंगे।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, आप समय तो देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपको बता देंगे।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, आप दो घंटे की चर्चा रखिए।

अध्यक्ष महोदय : आपसे जो बातचीत हुई है।

श्री रामभज : अध्यक्ष महोदय, यह बातचीत क्या हुई है।

अध्यक्ष महोदय : यह आप अपने लीडर से पूछिए। अब आप मेरी बात सुन

लीजिए। स्पीकर, दोनों लीडरों से बात करता है और लीडर्स से बात करने के बाद वह निर्णय लेता है। वे अपने अपने मेम्बर्स को बता दें कि क्या बात हुई है? बात यह हुई है कि आज इस पर चर्चा हो रही है, यही बात हुई है।

...अंतरबाधाएं....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। क्या आपको अपने लीडर पर भरोसा नहीं है। क्वश्चन नंबर–21, श्री रूप चंद।

श्री रूप चंद : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं क्वश्चन नंबर–21 प्रस्तुत करूं।

श्री नंद किशोर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, कल के क्वश्चन्स का क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : कल के क्वश्चन्स तो गए। उनके लिखित में जवाब आ जायेंगे। मेम्बर्स को जवाब मिल जायेंगे।

श्री रूप चंद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा।

श्री नंद किशोर गर्ग : अध्यक्ष जी, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : क्वश्चन ऑवर में पाइंट आफ आर्डर नहीं होता।

श्री रूप चंद : अध्यक्ष जी, मैं आपकी तवज्जो चांहूगा।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई पाइंट ऑफ आर्डर नहीं है। आप बैठिए।

श्री रूप चंद : अध्यक्ष जी, इससे पहले कि मैं क्वश्चन नंबर–21 प्रस्तुत करूं।

श्री नंद किशोर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, कल का एजेंडा पोस्टपोन हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : नैक्स्ट क्वश्चन इसके बाद कर लेंगे।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, कल जो आपने निर्णय लिया था वो यह था कि हम इनको पूरा का पूरा पोस्टपोन कर रहे हैं। जब पोस्टपोन किया है तो ऍज इट इॅज एजेंडा आज आना चाहिए। आपका डिसीजन उसमें क्या है?

श्री रूप चंद : अध्यक्ष महोदय, आपने क्वश्चन ऑवर शुरू कराया है। मैं मुखी जी से कहूंगा कि हमारे बहुत इम्पोर्टेंट क्वश्चन्स हैं।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, आपने कल एजेंडे को पोस्टपॉन किया है। आज वो सारा एजेंडा एज इट इज आना चाहिए था।

श्री रूप चंद : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए एलाउ किया है, आपने मुखी साहब को बोलने के लिए एलाउ नहीं किया है। आपने मेरा नाम पुकारा है।

श्री नंद किशोर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक नंबर क्वश्चन है। कल का ऍज इट इज सारा एजेंडा आज आ गया है।

श्री रूप चंद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न संख्या–21 प्रस्तुत करने से पहले अध्यक्ष जी, आपकी तवज्जो चाहूंगा।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, जब सारा का सारा एजेंडा आ सकता है तो कल के वो क्वश्चन्स क्यों नहीं आ सकते?

...अंतरबाधाएं....

श्री रूप चंद : अध्यक्ष महोदय, मेरे हाथ में यह 29 मार्च, 2000 की कार्यवाही है। अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या–21 प्रस्तुत करने से पहले मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : रूप चंद जी आप अपना क्वश्चन बोलिए।

श्री रूप चंद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, तवज्जो नहीं, यह क्वश्चन ऑवर है।

...अंतरबाधाएं....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप अपना क्वश्चन बोलिए।

श्री रूप चंद : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको कहा कि प्रश्न संख्या–21 प्रस्तुत करने से पहले मेरे हाथ में यह 29 मार्च, 2000 की कार्यवाही है, इसमें प्रश्न नंबर–13, इसकी जो पिछली कार्यवाही है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए। आपने अपना सवाल करना है तो करिए वरना बैठ जाइए।

श्री रूप चंद : अध्यक्ष महोदय, यह सारे सदन का अपमान है।

...अंतरबाधाएं....

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना सवाल करना है तो बोलिए। आप बैठिए।

श्री रूप चंद : अध्यक्ष महोदय, आपने जो रूलिंग दी है वो रूलिंग नहीं छपी।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

श्री रूप चंद : अध्यक्ष महोदय, आपने रूलिंग दी है वो पेज नंबर–13 पर छपी हुई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना क्वश्चन रखिए। आप मुझे क्वश्चन ऑवर के बाद मिलिए। आप बैठिए। वे क्वश्चन कर रहे हैं

...अंतरबाधाएं....

श्री रूप चंद : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे समय देंगे या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अगला सवाल श्री राधेश्याम खन्ना।

श्री रूप चंद : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले प्रश्न प्रस्तुत किया है। मेरा प्रश्न संख्या–21 है।

अध्यक्ष महोदय : जब आप सवाल नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या करूं?

...अंतरबाधाएं....

अध्यक्ष महोदय : जब आप सवाल नहीं पूछ रहे तो आप सप्लीमेंट्री किस बात पर करेंगे। अगला सवाल श्री राधेश्याम खन्ना।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–21 जॉइन्ट क्वश्चन है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह बिष्ट, प्रश्न संख्या–21 प्रस्तुत करें। यह प्रश्न ज्वाइंट है। यह प्रश्न क्लब्ड है। खन्ना जी, आप बैठिए। यह प्रश्न संख्या–21 इनका भी है। श्री मोहन सिंह बिष्ट आप प्रश्न संख्या–21 बोलिए।

———————

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

Hon'ble Speaker : Question No. 21 Shri Roop Chandji.

(Instead of raising Question Shri Roop Chand tried to raise another matter again and again for which he was not allowed by Hon'ble Speaker)

Hon'ble Speaker : Shri Mohan Singh Bishtji, Question No. 21.

Shri Mohan Singh Bisht : Sir, Question No. 21.

Will the FINANCE MINISTER be pleased to state :

(a) the articles on which the rate of sales tax is higher in Delhi in comparison to other States;

(b) whether uniform sales tax rate has been enforced in Delhi;

(c) if not, the reasons thereof;

(d) whether the Delhi, 8% sales tax is being charged on the hand made paper; and

(e) whether 8% sales tax is also charged on this item in the States of Uttar Pradesh, Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir ?

Finance Minister (Shri Mahinder Singh Sathi) : Hon'ble Speaker Sir, the replies to Question No. 21 are as follow -

(a) A High Powered Committee consisting of Finance Ministers of 8 States has been constituted to implement uniform Sales Tax system. This Committee supervises the implementation of the system from time to time. As per the report of the last meeting of the Committee all the States have implemented the Uniform Sales Tax. Under this system a minimum floor rate has been decided in respect of 205 items which have been implemented by all states. The department does not have upto date list of taxes in respect of all the states. So it is not possible to prepare such list.

(b) Yes please.

(c) Question does not arise.

(d) Yes please.

(e) As per information collected telephonically the rate of sales tax this

time from the States is as under -

U.P.	8%
Bihar	8%
Haryana	10%
Madhya Pradesh	8%
Punjab	8%
Himachal Pradesh	8%
Jammu & Kashmir	8%

अध्यक्ष महोदय : बिष्ट जी।

श्री मोहन सिंह बिष्ट : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं .....

श्री नंद किशोर गर्ग : अध्यक्ष जी, मेरा भी क्वश्चन है।

श्री रूप चंद : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न पर सप्लीमेटरी करना चाहता हूं पहले मेरा नाम है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आपने प्रश्न पूछा ही नहीं है।

...अंतरबाधाएं.....

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल मोहन सिंह बिष्ट जी का भी है। यह दोनों का सवाल है। आप बैठिए। मैंने आपका नाम लिया लेकिन आप क्वश्चन पूछना ही नहीं चाहते थे। श्री मोहन सिंह बिष्ट, पूछिए।

श्री मोहन सिंह बिष्ट : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वर्ष 1999–2000 में कुल कितने बिक्री कर राजस्व की प्राप्ति हुई, मैं यह पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री जी।

वित्त मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1999–2000 में टोटल टैक्स 2530 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ।

अध्यक्ष महोदय : गर्ग साहब, क्या आप पूछेंगे?

श्री नंद किशोर गर्ग : अध्यक्ष जी, लाटरी के ऊपर दिल्ली में कितना टैक्स है और बाकी स्टेटस में कितना है? यह मुझे बताया जाए?

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री जी।

वित्त मंत्री : अध्यक्ष महोदय, लाटरी पर इस वक्त कोई टैक्स नहीं है। लाटरी इस वक्त दिल्ली में बैन है और जब वह चल ही नहीं रही है तो टैक्स लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

श्री नंद किशोर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, गलत जवाब आया है।

अध्यक्ष महोदय : तो आप लिखकर भेज दीजिए कि गलत जवाब आया है।

श्री नंद किशोर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने खुद जवाब दिया था कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के जो यहां सदन हैं, वहां पर ड्रा होता है और लाटरी की यहां पर सेल होती है। इन्होंने मुझे उसकी रिकवरी भी बतायी थी कि पिछले मार्च महीने में इतनी रिकवरी हुई और आज ये कह रहे हैं कि बैन है और ये कोई टैक्स नहीं ले रहे।

वित्त मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया था, वह दिल्ली के सदंर्भ में था और दिल्ली के संदर्भ में वही पोजीशन है जो मैंने कही है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मुखी जी।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा...*व्यवधान*....

अध्यक्ष महोदय : आप हाउस में बैठे थे न जब मैंने आपका नाम लिया था? या कान बंद करके बैठे हुए थे। मैंने जोर से नाम लिया था, रिकॉर्ड में है। अगर प्रश्न न पूछें तो मैं क्या करूं?

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यूनिफार्म टैक्स करने की आड़ में दिल्ली में विभिन्न मदों में बिक्री कर बहुत बढ़ाया गया। मैं यह जानना चाहूंगा कि जब पड़ोसी राज्यों में और पूरे

हिन्दुस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्टस पर सेल्स टैक्स 8 प्रतिशत रेट प्रिस्क्राइब्ड था और आपने उसे 20 प्रतिशत किया, इसके कारण दिल्ली में त्राहि–त्राहि मच रही है, क्या इसे सुधारने के लिए आप कोई कदम उठाने जा रहे हैं?

वित्त मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल हमारे विचाराधीन है, जो कुछ माननीय सदस्य कह रहें है उस पर दिल्ली सरकार संजीदगी से विचार कर रही है।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

22. श्री राधेश्याम खन्ना : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहतास नगर विधान सभा क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट की उचित व्यवस्था हेतु सोडियम/टयूब लाईटों की व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या यह सत्य है कि समस्त सोडियम/टयूब लाइटें दिन के समय जलती रहती है;

(ग) क्या इन्हें दिन में बंद करने हेतु कोई स्विच लगाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो ये स्विच कब तक लगा दिये जायेंगे?

उद्योग मंत्री : (क) एवं (ख) जी हां। दिल्ली नगर निगम ने, बिना दिल्ली विद्युत बोर्ड की जानकारी के, कुछ पथ–प्रकाश प्वाइंट लगाए हैं, और इन्हें दिल्ली विद्युत बोर्ड की मैन लाईनों से जोड़ दिया गया है। जिसके कारण ये पथ–प्रकाश के प्वाइंट दिन में भी प्रकाश देते रहते हैं।

(ग) एवं (घ) अध्यक्ष, दिल्ली विद्युत बोर्ड ने आयुक्त दिल्ली नगर निगम से अनुरोध किया है कि वे अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि वे दिल्ली विद्युत बोर्ड की आवश्यक वाणिज्यक औपचारिकताओं को पूरा करते हुए आवश्यक स्वीकृति लें। जिससे इन्हें सामान्य रूप से चालित किया जाये और बंद करने की सुविधा प्राप्त हो सके।

23. डॉ. हर्ष वर्धन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष दिल्ली की योजना पर कितना खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था तथा कितना खर्च किया गया;

(ख) इस वर्ष विभिन्न योजनाओं पर कितने खर्च का प्रावधान है और अभी क कितना खर्च हो चुका है; और

(ग) बजट का सही समय पर समुचित उपयोग हो इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्री : (क) दिल्ली की वार्षिक योजना 1999–2000 के लिए स्वीकृत योजना राशि 3000/– करोड़ रुपये थी। संशोधित अनुमान के स्तर पर दिल्ली परिवहन निगम तथा दिल्ली विद्युत बोर्ड को गैर–योजना खर्च हेतु अधिक राशि देने के कारण, योजना राशि 2500/– करोड़ रुपये निर्धारित की गई। वर्ष 1999–2000 में कुल योजना व्यय 2302.43 करोड़ रुपये हुआ।

(ख) दिल्ली की चालू वार्षिक योजना 2000–01 के लिए स्वीकृत योजना राशि 3300/– करोड़ रुपये है तथा माह सितंबर 2000 तक कुल योजना व्यय 866.15 करोड़ रुपये है।

(ग) 1. योजनाओं की प्रगति समीक्षा पद्धति को अधिक सशक्त बनाया गया है। योजनाओं की प्रगति समीक्षा कार्य का प्रथम चरण मुख्य सचिव व वित एवम् योजना मंत्री के स्तर पर पूर्ण कर लिया गया है।

2. वर्ष 1998–99 से वार्षिक योजनाओं का विस्तारपूर्वक मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है।

3. सभी मंत्रियों, प्रमुख सचिव/सचिवों द्वारा योजनाओं की प्रगति की लगातार समीक्षा की जा रही है।

24. श्री भीष्म शर्मा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत बोर्ड में विधान सभा क्षेत्र घोंडा के निवासियों ने बिजली कनेक्शन लेने हेतु प्रार्थना–पत्र दिए हैं, पिछले पांच वर्षों में इनका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने व्यक्तियों ने इनके पैसे जमा कर दिए है व कितनों को बिजली के कनैक्शन पिछले पांच वर्षों में दिए गए, उनका पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि पिछले पांच वर्ष पूर्व बिजली के कनैक्शन हेतु जमा किए गए पैसों के बावजूद भी बिजली का कनैक्शन नहीं दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं व इसमें कौन–कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं?

उद्योग मंत्री : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत बोर्ड के नये कनैक्शनों का ब्यौरा अपने जिलानुसार रखता है। इसलिए विधान सभा क्षेत्रों के अनुसार वांछित ब्यौरा तुरंत उपलब्ध नहीं है। प्रश्न में पूछा गया विधान सभा क्षेत्रोंनुसार ब्यौरा परिमाण में विशाल है और टाईम कन्जूमिंग है। इसलिए दिल्ली विद्युत बोर्ड किसी मामले में संदर्भ प्राप्त होने पर वांछित जानकारी कम से कम समय में दे सकता है।

(ग) और (घ) माननीय विधायक महोदय ने किसी विशेष बिजली के कनैक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए संदर्भ का उल्लेख नहीं दिया है। इसलिए दिल्ली विद्युत बोर्ड संदर्भ की प्राप्ति पर आवश्यक जानकारी दे सकता है।

25. श्री ब्रह्म सिंह तंवर : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली विद्युत बोर्ड के निजीकरण के तहत महरौली जोन में मीटर रिडिंग एवं बिल वितरण का ठेका किसी निजी कं. को दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त ठेका पूर्व कीमत से लगभग सात गुना अधिक कीमत पर दिया गया है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इन ठेकेदारों को बिल बनाने हेतु किसी विद्युत बोर्ड द्वारा ही कागज, लेखन, सामग्री, कम्प्यूटर एवं कर्मचारी उपलब्ध कराये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्यों?

उद्योग मंत्री : (क) जी, हां। परंतु इसका संबंध प्रस्तावित निजीकरण से नहीं है।

(ख) दिनांक 1.9.2000 से पहले व इसके बाद से प्रभावित मीटर रीडिंग/बिल वितरण का तुलनात्मक अध्ययन इस प्रकार है :

दिनांक 1.9.2000 से पहले

1. निश्चित मासिक की 80,000 रुपये प्रतिमाह
2. मीटर रीडिंग 77 पैसे प्रति मीटर
3. बिल वितरण 67 पैसे प्रति बिल
4. बिजली काटने के नोटिस का वितरण 1.99 पैसे प्रति नोटिस
5. मीटर रीडिंग पंच करना 35 पैसे प्रति मीटर रीडिंग

सभी बिजली उपभोक्ताओं के विषय में, सिर्फ परिसर बंद पाये जाने की स्थिति को छोड़कर, मीटर रीडिंग का भुगतान होता है।

दिनांक 1.9.2000 से प्रभावित

1. प्रत्येक बिजली मीटर का सर्वे 10/– रुपये प्रति मीटर (एक बार के लिए)
2. मीटर रीडिंग 75 पैसे मीटर
3. बिल वितरण– 100 पैसे बिल पावती के साथ
4. बिजली काटने के नोटिस का वितरण पावती के साथ 10/– रुपये प्रति नोटिस

अन्य निबंधन और शर्तें :

1. किसी भी कारण से मीटर रीडिंग न करने की स्थिति में इस पर कोई भुगतान नहीं।
2. खराब मीटर की रीडिंग पर प्रथम चरण में 50 प्रतिशत का भुगतान, उसके बाद मीटर बदला जाने के बाद ही भुगतान।
3. प्रत्येक गलत रीडिंग पर 100/– रुपये का दंड।
4. बिजली उपभोक्ता की शिकायत पर उसके द्वारा बिजली के बिल के न प्राप्त होने पर 100/– रुपये प्रति घटना पर दंड

(ग) और (घ) बिजली के बिल छापने की स्टेशनरी के अलावा किसी प्रकार की स्टेशनरी दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा नहीं दी जाती।

26. श्री रमाकांत गोस्वामी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इन्द्रप्रस्थ बिजली उत्पादन करने वाले इस बिजलीघर के सुधार के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ख) क्या पटेल नगर क्षेत्र में बढ़ती हुई बिजली की मांग को देखते हुए सरकार बिजली का ग्रिड लगाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक?

उद्योग मंत्री : (क) इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन की इकाई संख्या 2 से 5 की क्षमता की पुनरावृत्ति के लिये केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सी. पी. आर. आई.) बंगलौर द्वारा पावर स्टेशन की एक इकाई तथा कामन सिस्टम की शेष आयु आंकलन हेतु वांछित निरीक्षण एवं परिक्षण कराये गये। सी. पी. आर. आई. की रिपोर्ट पर दिल्ली विद्युत बोर्ड का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ विचार विमर्श चल रहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर सुधार कार्यों के कराने पर इन इकाईयों की मौलिक क्षमता पुनः स्थापित की जाने की संभावना दशाई गई है।

इकाई नं. 1, 1995 में बंद कर दी गई थी, क्योंकि इससे पैदा होने वाली बिजली की लागत बहुत अधिक थी। इस इकाई के हटाने की कार्यवाही चल रही है। जिसके पश्चात् इसी स्थान पर आधुनिक इकाई स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है।

साथ ही साथ दिल्ली विद्युत बोर्ड ने एन. टी. पी. सी. को सलाहकार नियुक्त किया है जो इन्द्रप्रस्थ पावर स्टेशन से विस्तृत रूप से जांच करेंगे तथा दीर्घकालीन एवं निकट भविष्य हेतु समुचित उपचार एवं योजना पर विस्तृत रूप से सुझाव देंगे। इसके अंतर्गत, इन्द्रप्रस्थ पावर स्टेशन के परिसर में उपलब्ध विभिन्न वांछित तकनीकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान इकाईयों को हटा कर एक अधिक उत्पादन क्षमता वाला आधुनिक एवं पर्यावरण प्रिय पावर प्लांट लगाने की योजना एवं उसकी संभावनाओं के विषय में एन. टी. पी. सी. (एन. टी. पी. सी.) अपनी रिपोर्ट देगी। साथ ही इन इकाइयों को हटाये जाने तक इनको सक्षम एवं बेहतर दक्षता से चलायमान रखने के लिये वांछित कार्यों का विस्तृत ब्यौरा भी एन. टी. पी. सी. देगी।

एन. टी. पी. सी. की रिपोर्ट फरवरी, 2000 के मध्य तक दिये जाने की अवधि निर्धारित की गई है।

उपरोक्त सुधारात्मक कार्यवाही के प्रयासों के अतिरिक्त इन्द्रप्रस्थ विद्युत गृह में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से अनुमोदित कुछ कार्य पहले ही आर. एंड एम. फेज–1 और फेज–2 कार्यक्रमों के अधीन कराये जा चुके हैं, कुछ कार्यान्वित हो रहे हैं।

(ख) व (ग) पटेल नगर और इसके आस–पास के क्षेत्रों में बिजली की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, 33 के.वी. का एक ग्रिड सब स्टेशन आनंद पर्वत में स्थापित करने की योजना बनाई गई है जिसको कार्यान्वित करने में लगभग दो वर्ष का समय लगेगा।

27. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधान सभा क्षेत्र में एक ग्रिड बनाने की योजना थी;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस कार्य को समाप्त करने की तारीख क्या निश्चित की गई थी;

(घ) यह कार्य समय पर समाप्त न होने के क्या कारण है; और

(ङ) कब तक इस कार्य के पूरा होने की संभावना है?

उद्योग मंत्री : (क) जी, हां। फिलहाल वहां पर एक अस्थाई ग्रिड बनाने की योजना है जिसमें 16 एम. वी. ए. क्षमता का एक ट्रांसफार्मर लगाने का प्रावधान है।

(ख, ग, घ व ङ) उक्त ग्रिड सब–स्टेशन जो भगीरथी ग्रिड सब स्टेशन से मिलाने के लिए 33 के.वी. की क्षमता की एक केबल डाल दी गई है। भागीरथी ग्रिड सब–स्टेशन पर 33 के.वी. यार्ड को स्थापित किया जा रहा है। इसके चालू होने के पश्चात ही करावल नगर के अस्थाई सब–स्टेशन को मार्च 2001 तक चालू किया जा सकेगा। यद्यपि जुलाई, अगस्त, 2000 तक चालू करने के प्रयत्न किये जा रहे थे, परंतु कुछ तकनीकी कारणों से यह संभव नहीं हो सका।

28. श्री मुकेश शर्मा : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि समाज कल्याण विभाग ने केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई अनेकों योजनाओं को लागू नहीं किया है, यदि हां तो, क्यों;

(ख) दिल्ली सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिनको अभी लागू किया जाना बाकी है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि किसी घर में लड़की पैदा होने के बाद समाज कल्याण विभाग केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना द्वारा लड़की के वयस्क हो जाने के बाद आर्थिक मदद देने का प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत किस विधान सभा क्षेत्र से कितने फार्म भरे गये; और

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि फार्म जमा होने के बाद भी इस योजना को लागू करने के लिए प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गयी है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) विधान सभा क्षेत्र के अनुसार विवरण उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह योजना आईसीडीएस के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है पिछले 3 वर्षों में कुल 1135 लाभार्थियों को इस योजना के तहत 500 रुपये प्रति बालिका वितरित किया जा चुका है। गत वर्ष 2181 आवेदन प्राप्त हुए जिनकी राशि स्वीकृत की जा चुकी है व शीघ्र ही वितरित कर दी जायेगी चालू वर्ष 2000–2001 में अब तक 467 आवेदन प्राप्त किये जा चुके हैं व शीघ्र ही इन पर कार्यवाही शुरू हो जायेगी।

(ङ) जी नहीं, यह योजना पिछले 3 वर्षों से प्रक्रिया में है।

29. श्री महेन्द्र यादव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार बिक्री कर प्रणाली में कोई संशोधन करने जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री : (क) जी हां, वैट (मूल्य वद्धित कर) योजना प्रस्तावित है।

(ख) 1. वैट सिस्टम में सभी व्यापारियों द्वारा, उनके द्वारा किये गये मूल्य–वर्द्धन पर टैक्स लिया जाता है। दिल्ली से बाहर से लाये गये वस्तुओं की पुनः बिक्री करने पर वैट Full sale price पर levy होता है।

2. निर्माताओं के इनपुटस including capital goods पर सेट आफ प्रक्रिया के द्वारा लोकल टैक्स नहीं लगाया जाता है।

3. मूल्यवर्द्धन व सेट आफ का परिकलन, केश मीमो, टैक्स वाउचर के द्वारा किया जाता है।

4. इस प्रणाली में स्टेटच्यूरी फार्म नहीं होते।

5. यह प्रणाली मुख्यतः स्वतः कर निर्धारण पर आधारित है। रिस्क एनालिसिस के आधार पर कुछ विशेष व्यापारियों की पहचान करके उनका संपूर्ण कर निर्धारण किया जाता है।

30. **श्री अमरीश सिंह गौतम** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पटपड़गंज विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा 60 लाख रुपये के कार्य करने की योजना बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यों में से कितना कार्य हो चुका है;

(ग) इसका विवरण क्या है; और

(घ) शेष कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे?

उद्योग मंत्री : (क, ख, ग, घ) दिल्ली विद्यत बोर्ड के पास 60 लाख रुपये की कोई विशेष योजना नहीं है। परंतु पटपड़गंज विधान सभा क्षेत्र के लिए निम्नलिखित कुछ योजनाएं हैं :–

		अनुमानित लागत
1.	घंडोली डेरी फार्म का विद्युतीकरण	3.01 करोड़ रुपये
2.	हरिजन बस्ती, घडोली एक्स सी–ब्लाक का विद्युतीकरण	1.26 करोड़ रुपये
3.	खिचड़ीपुरी ब्लाक 10 में 400 के.वी.ए. का पोल माउंटिड सब–स्टेशन का स्थापन	5.79 करोड़ रुपये
4.	कल्याणपुरी ब्लाक नं 15 में 400 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर लगाना	5.80 लाख रुपये
5.	खिचड़ीपुर ग्रिड से कल्याण वास सब स्टेशन तक 11 के.वी. का फीडर लगाना	25.00 लाख रुपये
6.	शशी गार्डन में 630 के.वी.ए. के स्थान पर 1000 के.वी.ए. की क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाना	6.80 लाख रुपये

उपरोक्त कार्यों में से 4, 5 व 6 में लिखित कार्य पूरे किये जा चुके हैं।

उक्त 3 में लिखित कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्त 1 तथा 2 में लिखित कार्य अभी आरंभ किए जाने हैं।

आशा की जाती है कि सभी कार्य एक वर्ष की अवधि में पूरे किये जा सकेंगे।

31. श्रीमती ताजदार बाबर :

श्री मोती लाल बोकोलिया :

श्री टेक चन्द शर्मा :

डॉ. हर्ष वर्धन :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 1999 के दौरान डाकघरों द्वारा दी गई वृद्धावस्था पेंशन रोक दी गई तथा वर्ष 2000 में एक भी मामला स्वीकृत/अनुमोदित नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसका विवरण क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा वृद्धों को समय पर पेंशन दिलवाने हेतु क्या योजना बनाई गई है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी हां, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के निर्देश के आधार पर 11500 मामलों में वृद्धावस्था आर्थिक सहायता रोक दी गई थी। जांच के दौरान ठीक पाई गई वृद्धजनों को पेंशन राशि जब से रोकी गई थी तब से मार्च 2000 तक की पेंशन राशि का नकद भुगतान कर दिया गया है तथा उसके पश्चात की धनराशि लाभार्थियों के डाकघर/बैंक खातों में भेजी जा रही है।

(ख) उपरोक्त के अनुसार।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) सरकार द्वारा वृद्धजनों को उनके निवास स्थान के नजदीकी बैंकों/डाकघरों के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

32. श्री महेन्द्र सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों में "सामान बिक्री कर पद्धति" लागू करने का फैसला किया था और दिल्ली सरकार ने इस फैसले को स्वीकार किया है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में डीजल पर बिक्री कर की दर 12 प्रतिशत और सीमावर्ती राज्य हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान में 10 प्रतिशत है;

(ग) अगर हां, तो डीजल पर "समान बिक्री कर दर" का सिद्धांत क्यों लागू नहीं किया गया;

(घ) क्या बिक्री कर की दरों में 2 प्रतिशत के इस अंतर के कारण दिल्ली में डीजल की खपत प्रभावित हुई है; और

(ङ) अगर हां, तो सरकार को प्रतिवर्ष कितना वित्तीय हानि हो रही है और क्या सरकार दिल्ली में डीजल पर भी "समान बिक्री कर" लागू करने पर विचार कर रहे हैं?

वित्त मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी हां, दिल्ली में डीजल पर बिक्री कर की दर 12 प्रतिशत है तथा इस विभाग को प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा में 10 प्रतिशत पंजाब में 8 प्रतिशत व राजस्थान में 16 प्रतिशत है।

(ग) माननीय वित्त मंत्रियों की समिति इस विषय से भिज्ञ है तथा इन्होंने हरियाणा व पंजाब राज्यों को इस विषय में उपयुक्त निर्देश दिये हैं। दिल्ली राज्य ने पहले से ही डीजल पर निर्धारित न्यूनतम रेट लागू कर दिया है।

(घ) बिक्री कर की दरों में 2 प्रतिशत के इस अंतर कारण खपत में क्या परिवर्तन हुए है यह वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर ही कहा जा सकता है लेकिन जहां तक राजस्व का सवाल है पेट्रोल व डीजल द्वारा राजस्व एवं कुल राजस्व में कोई घाटा नहीं हुआ है, अनुमान लगाया जा सकता है कि केवल सीमा पर स्थित हुए पेट्रोल पम्पों की खपत प्रभावित हुई हो लेकिन कोई आंकड़े मौजूद नहीं है।

(ङ) कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है। दिल्ली में डीजल पर समान बिक्री कर पहले से ही लागू किया जा चुका है।

33. श्री जय भगवान अग्रवाल :

श्रीमती दर्शना रामकुमार :

श्री वीर सिंह :

श्री शीश पाल :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पिछले वर्ष से हजारों वृद्धों को पेंशन का सुचारू रूप से भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या 45 वर्ष से 60 वर्ष की विधवा महिलाओं एवं बेसहारा वृद्धों की सहायता देने की कोई योजना है;

(ग) रामनगर तुगलकाबाद तथा सीमापुरी विधानसभा क्षेत्रों से कितने वृद्धों को पेंशन दी जा रही है;

(घ) पेंशन समय पर न मिलने के क्या कारण हैं; और

(ङ) गरीब वृद्ध लोग परेशान न हों इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां, 45 से 60 वर्ष की विधवा महिलाओं को एकमुश्त 5000/– रुपये की धनराशि देने की योजना है एवम् 60 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को विभाग द्वारा 200/– रुपये प्रतिमाह की पेंशन राशि प्रदान की जाती है।

(ग) विधान सभा क्षेत्रानुसार पेंशन लाभार्थियों की संख्या निम्न प्रकार है:

1. रामनगर विधान सभा क्षेत्र में – 1127
2. तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में – 753
3. सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में – 813

(घ) विभाग द्वारा पेंशन राशि वृद्धजनों के डाकघरों/बैंक खातों में रिजर्व बैंक के माध्यम से हर तिमाही भेजी जाती है।

(ङ) वृद्धजनों की सुविधा हेतु सरकार द्वारा वृद्धजनों के निवास स्थान के नजदीक खोले गये डाकघर/बैंक बचत खातों से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

34. श्री वीर सिंह : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सीमापुरी विधान सभा क्षेत्र की कालोनी हर्ष विहार की लगभग 25–30 हजार की आबादी के लिए कोई ग्रिड स्टेशन नहीं है;

(ख) यदि हां, तो अब तक वहां ग्रिड स्टेशन स्थापित क्यों नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि हर्ष विहार के निवासियों से बिजली कनैक्शन देने के लिए विकास शुल्क लिया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो हर्ष विहार के कितने निवासियों से बिजली कनेक्शन देने के लिए विकास शुल्क लिया जा चुका है;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि सरकार निकट भविष्य में हर्ष विहार में ग्रिड स्टेशन स्थापित कर वहां का विद्युतीकरण करायेगी; और

(च) यदि हां, तो कब तक?

उद्योग मंत्री : (क), (ख) जी हां। हर्ष विहार एक बड़ी अनधिकृत कालोनी है जिसकी बिजली की मांग को पूरा करने के लिए 66 के.वी. का एक ग्रिड सब–स्टेशन बनाने की आवश्यकता है। ग्रिड स्टेशन बनाने के लिए प्लाट ही पहचान न हो पाने के कारण ग्रिड सब–स्टेशन संभव नहीं है।

(ग), (घ) हर्ष विहार कालोनी के निवासियों के कनैक्शन लेने के लिए विद्युत विकास शुल्क की पहली किश्त जमा करा दी है। हर्ष विहार कालोनी के 1419 प्लाट होल्डरों ने 21, 67, 401 रुपये की धनराशि विद्युत विकास शुल्क के रूप में 25 प्रतिशत की पहली किश्त जमा कराई है।

(ङ) (च) उक्त सब–स्टेशन बनाने के लिए आवश्यक प्लाट के दिल्ली विद्युत बोर्ड को हस्तातंरण करने के पश्चात ही हर्ष विहार कालोनी के विद्युतीकरण के लिए योजना बनाई जा सकेगी।

35. श्री अरविन्दर सिंह लवली : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि यमुना विकास बोर्ड द्वारा दिल्ली विद्युत बोर्ड को यमुनापार के विकास के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि, कितने किश्तों में दी गई है; और

(ग) क्या यह भी सत्य है कि आबंटित की गई राशि देर से पहुंचने के कारण फंड लेप्स हुआ, तो क्यों?

उद्योग मंत्री : (क), (ख) तथा (ग) यमुना पार विकास बोर्ड ने वर्ष 1999–2000 के लिए निम्नलिखित धनराशि उपलब्ध करायी है:

जून, 99	3 करोड़ रुपये
फरवरी, 2000	6 करोड़ रुपये

मार्च, 2000 3 करोड़ रुपये

12 करोड़ रुपये

उपरोक्त 12 करोड़ रुपये के स्थान पर 13.60 करोड़ रुपये की धनराशि की विभिन्न योजनाएं बनाई गई, परंतु देरी से राशि उपलब्ध होने के कारण संबंधित योजनाओं के वर्क–आर्डर कार्यान्वित करने के लिए जारी नहीं किये जा सके जिसके कारण 8.53 करोड़ रुपये की राशि खर्च नहीं हो सकी।

वर्ष 2000–2001 के लिए 3 करोड़ रुपये की केवल एक किस्त दिल्ली विद्युत बोर्ड को सितम्बर, 2000 में दी गई है। इसके लिए 2.97 करोड़ रुपये की एक योजना बनी।

यमुना पार विकास बोर्ड से अनुरोध किया जा रहा है कि वर्ष 1999–2000 में खर्च न की गई 8.53 करोड़ रुपये की धनराशि को पुनर्जीवित करके दिल्ली विद्युत बोर्ड को विकास कार्यों के लिए दें।

36. श्री माला राम गंगवाल : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि महिलाओं को समर्थ बनाने और सामुदायिक विकास हेतु महिलाओं को आगे आने के लिए उन्हें उत्साहित करने की सरकारी नीति है;

(ख) क्या यह सत्य है कि किसी गैर सरकारी महिला संगठन ने पश्चिम विहार में महिला आश्रम की स्थापना हेतु सरकार से निवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संगठन को महिला गृह की स्थापना की अनुमति न देने के क्या कारण हैं?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) संबंधित मामला विचाराधीन है।

37. श्री शीश पाल : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की दिल्ली में ओल्ड ऐज होम बनाने की योजना है;

(ख) क्या तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में भी ओल्ड ऐज होम बनाने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो ये कब तक बन जायेगा व इस पर कितनी लागत आयेगी?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ग) उपरोक्त ख के संदर्भ में लागू नहीं होता।

38. श्री मोती लाल बोकोलिया : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा दी जा रही वृद्धावस्था पेंशन, विधवा आर्थिक अनुदान, विकलांग आर्थिक अनुदान, क्षय रोगी आर्थिक अनुदान, छात्रवृत्ति सहायता जिलेवार दी जा रही है। परंतु विधवा की पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक अनुदान सहायता अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण निदेशालय, पुराना सचिवालय द्वारा दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे जिलेवार किया जा रहा है, जिससे गरीब विधवाओं को असुविधा न हो; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस विभाग में कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है जिसके कारण सभी जिलों में शाखाएं खोलना संभव नहीं है।

39. श्री ब्रह्म पाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुरूद्वारा चुनाव में मतदाता के लिये न्यूनतम आयु क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि विधान सभा द्वारा आयु को कम करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया है;

(ग) क्या अधिनियम लागू कर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पारित अधिनियम को लागू करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और कब तक?

वित्त मंत्री : (क) गुरूद्वारा चुनाव में मतदाता के लिये न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।

(ख) जी हां।

(ग) संशोधित अधिनियम माननीय राष्ट्रपति महोदय जी की सहमति के लिये भारत सरकार को सन् 1994 में दिल्ली सरकार द्वारा भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) कई अनुस्मारक भेजने के बाद भी भारत सरकार से अभी इसके बारे में अभी कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है।

40. श्री साहब सिंह चौहान : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सोनिया विहार सी. आर. पी. एफ. कैम्प के समीप विद्युत ग्रिड बनाने के लिए डी. डी. ए. से भूमि उपलब्ध करा दी गई है;

(ख) उक्त ग्रिड बनाने में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या इस ग्रिड को बनाने के लिये दि.वि.बो. व सरकार ने कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो इनका विवरण क्या है; और

(ङ) इस ग्रिड पर क्या खर्चा आयेगा?

उद्योग मंत्री : (क) जी हां।

(ख, ग, घ तथा ङ) उक्त ग्रिड सब–स्टेशन बनाने के लिये प्लाट का आबंटन हो गया है। इस प्लाट की चार दीवारी बनाने का कार्य प्रगति पर है।

दिल्ली विद्युत बोर्ड के माध्यम से ग्रिड सब–स्टेशन बनाने के कार्य को जल्दी करने के लिए "टर्न की" आधार पर, निविदाएं मांगी हैं। सोनिया विहार ग्रिड बनाने का कार्य भी इसमें सम्मिलित है। तकनीकी निविदाएं खोली जा चुकी हैं। निविदाओं का मूल्यांकन तथा उन पर निर्णय लेने की प्रक्रिया चल रही है। कार्य आदेश के बाद, एक ग्रिड सब–स्टेशन बनने में लगभग 1–1/2 वर्ष का समय लगता है।

उपरोक्त ग्रिड व लाईन की अनुमानित लागत 6.28 करोड़ रुपये है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

29. श्री सुरेन्द्र कुमार : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बवाना और अन्य विधान सभा क्षेत्रों में 1992 के बाद कृषि कार्यों के लिए टयूबवैल के लिए बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया, यदि हां, तो क्यों ;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि तार चोरी हो जाने के कारण सरकारी व गैर सरकारी टयूबवैल फेल (बंद) पड़े हैं; और

(ग) बवाना विधान सभा में ऐसे कितने टयूबवैल है व ये कब तक चालू हो जायेंगे?

उद्योग मंत्री : (क) संबंधित खंड विकास अधिकारी की सिफारिशों/अनापत्ति प्रमाण पत्र देने पर कृषि कार्यों के लिए टयूबवैल के कनैक्शन दिए जा रहे हैं।

(ख) बिजली की तार चोरी होने की स्थिति में दिल्ली विद्युत बोर्ड संबंधित पुलिस स्टेशन में एफ. आई. आर. दर्ज कराता है। पुलिस द्वारा संबंधित मामले में कार्यवाही करने में समय लगने के कारण बिजली की तार बदलने में भी समय लग जाता है। वैसे बवाना क्षेत्र के अधिकतर मामलों में चोरी किए गए तारों को बदल दिया गया है। शेष मामलों में भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(ग) बवाना क्षेत्र में करीब 87 (सतासी) टयूबवैल ऐसे हैं जिनके तारों को पुलिस कार्यवाही करने के बाद तार की उपलब्धता के अनुसार लगाया जा रहा है। इन पर काम चल रहा है और आशा है कि आगामी 30 दिन के अंदर सभी चालू हो सकेंगे।

30. श्री टेक चंद शर्मा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–99 एवं 1999–2000 वर्ष में मेरे विधायक फंड से मेरे विधान सभा क्षेत्र साकेत में बल्ब, टयूबलाईट, सोडियम लाईट, फिटिंग पोलों इत्यादि पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ख) क्या यह सत्य है कि इस कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल हुई है;

(ग) यदि हां, तो यह सामग्रियां टयूब लाईट सोडियम लाईट, फिटिंग इत्यादि किस निर्माता से ली गई है;

(घ) क्या इस निर्माता की वस्तुएं सरकार द्वारा प्रभावित है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार इस विषय पर क्या कार्यवाही कर रही है?

उद्योग मंत्री : (क) वर्ष 1998–99 एवं 1999–2000 में साकेत क्षेत्र में विधायक फंड से पथ–प्रकाश पर कोई धनराशि नहीं खर्च की गई।

(ख, ग, घ, ङ) उपरोक्त की दृष्टि में कोई टिप्पणी नहीं है। जहां तक रखरखाव के लिए सामग्री का संबंध है, दिल्ली विद्युत बोर्ड पथ–प्रकाश के लिए केवल "आई. एस. आई." मोहर वाला सामान खरीदता है।

31. श्री टेक चंद शर्मा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि तिगड़ी विस्तार पार्ट–2 का विद्युतीकरण नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इसका विद्युतीकरण करने जा रही है;

(घ) यदि हां, तो कब तक यह कार्य हो जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री : (क) व (ख) किसी भी कालोनी के विद्युतीकरण की योजना बनाने के लिए उसके प्रायोजक/वैलफेयर सोसाइटी द्वारा, सब–स्टेशन बनाने के लिए आवश्यक प्लाट दिल्ली विद्युत बोर्ड को देना होता है जिससे कि बिजली वितरण सुचारू रूप से किया जा सके। तिगड़ी विस्तार पार्ट–2 द्वारा सब–स्टेशन बनाने के लिए प्लाट न देने के कारण इसके विद्युतीकरण की योजना नहीं बनाई जा सकी।

(ग) से (ङ) जी हां। अन्ततः इस क्षेत्र का विद्युतीकरण करने के लिए पोल माउंटिड सब–स्टेशन बनाकर विद्युतीकृत करने की 38,92,5000/– रुपये की एक योजना बनाई गई है।

इस क्षेत्र का विद्युतीकरण मार्च, 2001 तक पूरा हो सकेगा।

32. श्री टेक चंद शर्मा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बतना ग्रिड देवली वार्ड–60 के होली चौक देवली गांव और दुर्गा विहार में दो फीडर दिल्ली विद्युत बोर्ड को डालने हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह फीडर नहीं डाले हैं;

(ग) यदि हां, दिल्ली विद्युत बोर्ड इन फीडरों को डालने में क्यों देरी कर रही है; और

(घ) सरकार शीघ्र ही इस कार्य को पूरा करने पर क्या कार्रवाई कर रही है?

उद्योग मंत्री : (क, ख, ग, घ) केवल बतरा ग्रिड से दुर्गा विहार सब–स्टेशन तक 11 के.वी. का एक फीडर डालने के लिए 1,01,28,600/– रुपये की एक योजना बनाई गई है। इस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए ठेका दे दिया गया है। भूमिगत केवल डालने के लिए सडक काटने की अनुमति लोक निर्माण विभाग और दिल्ली नगर निगम से प्राप्त की जा रही है। अनुमति प्राप्त होने के पश्चात उक्त फीडर 6 माह की अवधि में डाला जा सकेगा।

33. श्री टेक चंद शर्मा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि देवली गांव में एक 66 के.वी. के ग्रिड बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि ग्रिड बनाने में पहले से बहुत देर हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार इस ग्रिड को शीघ्र बनाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

उद्योग मंत्री : (क) जी हां।

(ख, ग एवं घ) ग्रिड सब–स्टेशन बनाने के लिए संगम विहार, गांव देवली में, ग्राम सभा की जमीन का एक प्लाट दिनांक 25.9.1998 को दिल्ली विद्युत बोर्ड को दिया गया। क्षेत्र के निवासियों के आपत्ति करने पर इस प्लाट की चारदीवारी नहीं की जा सकी। दिनांक 28.6.2000 को उक्त प्लाट का सीमांकन हो गया है और इस प्लाट की चार दीवारी कर दी गई है। दिये गये प्लाट जमीन नीची होने के कारण प्लाट का भराव किया जा रहा है और साथ–साथ सब–स्टेशन बनाने के लिए दूसरे सिविल कार्य और तकनीकी कार्यों पर कार्यवाही की जा रही है। इस सब–स्टेशन का निर्माण "टर्न की" आधार पर किये गये टेंडर में सम्मिलित है। इस सब–स्टेशन को बिजली पहुंचाने वाली आवश्यक लाईन डालने के लिए वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिली है। जिसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

34. श्री नंद किशोर गर्ग : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली विद्युत बोर्ड के निगमीकरण का निर्णय दिल्ली सरकार द्वारा 1997 में किए गए नीतिगत निर्णय के अनुरूप ही किया गया है तथा इस निर्णय का कार्यान्वयन कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ख) बोर्ड द्वारा उत्पादन एवं वितरण क्षमता का 1998–99, 1999–2000 व चालू वर्ष में 15 नवंबर तक कितना विस्तार हुआ; और

(ग) इसी अवधि में टी एंड डी क्षमता का कितना नुकसान हुआ है?

उद्योग मंत्री : (क) दिल्ली विद्युत बोर्ड का निगमीकरण करने के लिए दिल्ली विद्युत सुधार अध्यादेश–2000 – दिनांक 28.10.2000 को जारी किया गया।

(ख) वांछित जानकारी अनुलग्नक 'क' और अनुलग्नक 'ख' में दी गई है।

(ग) दिल्ली विद्युत बोर्ड के टी एंड डी नुकसान इस प्रकार है :

वर्ष	
1998–99	51.02 प्रतिशत
1999–2000	50.54 प्रतिशत
2000–2001 (सितंबर 2000 तक)	51.49 प्रतिशत

अनुलग्नक 'क'

Department of Generation

Period	DVB (Connection)
1998–99	2104.321 MV
1999–00	2532.377 MV
2000–01 (Upto 15th Nov. 2000)	1710.725 MV

अनुलग्नक 'ख'

Department of Distribution

Sl.No.	Transformation capcity in MVA	1998-99	1999-2000	2000-01 upto 15.11.2000
1.	400/220 KV	630	630	945
2.	220/66 KV	3000	3000	3000
3.	220/33 KV	1675	1925	2025
4.	66/33 KV	1060	1180	1180
5.	66/11 KV	2260	2420	2435
6.	66/6.6 KV	10	10	10
7.	33/11 KV	3014	3171	3217
8.	33/6.6 KV	11	11	11

35. श्री नंद किशोर गर्ग : क्या **उद्योग** मंत्री यह बतांने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (शहरी विकास) को मई, 1998 को दिल्ली स्टेट रेगुलेटरी कमीशन और रीस्ट्रक्चरिंग ड्राफ्ट बिल भेजा गया था;

(ख) इस संबध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विद्युत बोर्ड की सभी चल एवं अचल सम्पत्तियों का आज की दरों पर मूल्यांकन हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो यह मूल्यांकन कब तक हो जायेगा;

(ङ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली विद्युत बोर्ड की कुछ अचल सम्पत्तियों पर अवैध कब्जे हो चुके हैं;

(च) क्या उन्हें खाली कराने के प्रयास किये गये हैं;

(छ) क्या पश्चिमी पंजाबी बाग में ऐसी ही एक सम्पत्ति के लगभग 1200 वर्ग गज पर अवैध मार्केट बनी हुई है; और

(ज) यदि हां, तो इस अवैध कब्जे को कब तक हटा दिया जायेगा?

उद्योग मंत्री : (क) 5 जून, 1998 को अध्यक्ष, दिल्ली विद्युत बोर्ड से एक प्रारूप प्राप्त हुआ था।

(ख) 25.2.99 को सचिव, कानून की अध्यक्षता में सुधार एवं पुनर्गठन के लिए एक बिल बनाने हेतु अधिकारियों की समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा तैयार ड्राफ्ट को पर्याप्त विचार विमर्श तथा भारत सरकार द्वारा सुझाए गए संशोधनों के पश्चात दिल्ली विद्युत सुधार अध्यादेश–2000 को उपराज्यपाल, दिल्ली द्वारा 28.10.2000 को जारी किया गया।

दिल्ली विद्युत नियमक आयोग का गठन मार्च, 1999 में किया गया।

(ग, घ) एस. बी. आई. कैपिटल मार्केटिंग लि. को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। उनकी अंतिम रिपोर्ट अभी नहीं आई है। उन्होंने अपनी इंसेपशन रिपोर्ट में व्यावसायिक मूल्यांकन की संस्तुति की है।

(ङ, च एवं छ) 1295 वर्ग गज क्षेत्रफल पर, जो कि मादीपुर गांव की भूमि है और इस समय रोड नं. 35, नार्थ एवेन्यू रोड, पंजाबी बाग के नाम से अभिलेख में लिखित है, पर सन् 1967 व 1970 के आसपास में अनधिकार कब्जों में है। दिल्ली विद्युत बोर्ड अपने सम्पदा अधिकारी की अदालत में कार्यवाही कर चुका है तथा बाद आदेश कुछ कब्जा करने वाले सम्पदा अधिकारी, दिल्ली विद्युत बोर्ड की अदालत के आदेशों के विरुद्ध उच्च–स्तर की कोर्ट में मुकदमा डाल चुके हैं, जो विभिन्न कोर्ट में लंबित हैं। जिन कब्जों के संबंध में मामला कोर्ट में लंबित नहीं था, उनकी बिजली कटवाने की व्यवस्था की गयी थी। क्योंकि उपायुक्त (क्षेत्रीय) दिल्ली सरकार से जब कब्जा हटाने की कार्यवाही चली तब उपायुक्त महोदय ने निर्देश दिया कि अनधिकार कब्जा हटाने से पहले दिल्ली विद्युत बोर्ड, अनधिकार कब्जा करने वालों की बिजली काटने की कार्यवाही करें, ताकि कब्जा हटाते समय कोइ दुर्घटना नहीं हो। बिजली काटने की कार्यवाही करने पर कुछ अनधिकार कब्जा करने वाले कोर्ट से स्टे प्राप्त कर चुके हैं और मामला इस समय कोर्टों में लंबित है। यहां यह भी उल्लिखित किया जाता है कि 1295 वर्ग गज जमीन में क्षेत्रफल 964 वर्गगज, 127 वर्ग गज पर (बड़े भाग) पर अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्तियों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्टों द्वारा दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा कार्यवाही किये जाने पर रोक है।

(ज) जैसे ही माननीय अदालतें दिल्ली विद्युत बोर्ड के पक्ष में आदेश पारित कर देंगी, तुरंत उपायुक्त महोदय (क्षेत्रीय) दिल्ली सरकार की सहायता से अनधिकृत कब्जा हटा कर भूमि दिल्ली विद्युत बोर्ड के कब्जे में कर ली जायेगी।

36. श्री साहब सिंह चौहान : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विद्युत पैदा करने के कुल कितने विद्युत गृह हैं तथा उनकी विद्युत निर्माण की कितनी–2 क्षमता है;

(ख) दिल्ली में अपनी कुल कितनी विद्युत पैदा होती है;

(ग) दिल्ली में अधिकतम विद्युत की खपत कितनी है; और

(घ) दिल्ली से बाहर से कहां–कहां से कितनी विद्युत की आपूर्ति होती है?

उद्योग मंत्री : (क) दिल्ली में बिजली उत्पादन के लिए निम्नलिखित तीन विद्युत गृह हैं। उनकी क्षमता प्रत्येक के सामने प्रदर्शित है :

1.	राजघाट पावर हाउस	135 मेगावाट
2.	इन्द्रप्रस्थ पावर हाउस	247.5 मेगावाट
3.	गैस टरबाईन पावर हाउस	282 मेगावाट

उपरोक्त के अतिरिक्त बदरपुर ताप बिजली पर 720 मेगावाट से उत्पादित समस्त बिजली दिल्ली विद्युत बोर्ड को मिलती है।

(ख) दिल्ली विद्युत बोर्ड अपने पावर हाउसों से 300–400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है।

(ग व घ) दिनांक 27.8.2000 को दिल्ली विद्युत बोर्ड ने दिल्ली की अधिकतम 2870 मेगावाट की बिजली की मांग को पूरा किया। बिजली आयात के स्रोतों की जानकारी अनुलग्नक 'क' में दी गई है।

अनुलग्नक 'क'

Availability of power to Delhi Vidyut Board (DVB) from various Central Sector Generating Stations at different rate of allocation from unallocated quota of Central Sector Generating Stations as on 15.11.2000

Name of Station	Installed capacity in MW	Total unallocated in MW	Basic allocation (MW)	20% with effect from 1.10.2000	Total
1	2	3	4	5	6
Singrauli Steps Sonebhadra (UP) (Varanasi- U.P.)	2000	300	150	80	210
Rihand Sonebhadra (U.P.) (Reland Lake U.P.)	1000	150	100	30	130

1	2	3	4	5	6
Anta GPS Baran (Raj) (Rajasthan)	419	63	44	13	57
Auriya GPS Etwaha UP (Auriya UP)	683.38	100	72	20	92
Dadri (GPS) Ghaziabad (UP) (Dadri UP)	829.76	124	91	25	118
Dadri NCTPS (T) Ghaziabad (UP) (Dadri UP)	840	0	756	0	756
UnchaharTPS-I Bareilley (U.P.) Allahabad U.P.	420	20	24	4	28
UnchaharTPS-II Bareilley (U.P.) Allahabad U.P.	210	32	23	6	26
Bairasuil HPS Chamba (H.P.)	180	0	20	0	20
Salal, HPS Udhampur (J&K)	690	0	78	0	78
Tanakpura HEP Champawat (Uttar Pradesh)	94	14	10	3	13

1	2	3	4	5	6
Chamera HEP Banikhet (Himachal Pradesh)	540	0	54	0	54
URI HEP Baramula (J&K)	430	0	53	0	53
Narora APS Bulandshahar (U.P.) Bulandshahar (U.P.)	440	65	47	13	60
RAPP (B)* Kota Rajasthan	210	0	0	0	0
Total	9017	968	1522	174	1896
Net Availabillity at Delhi Peripehri			1320	151	1471

Note : (i) Alixiliary consumption is assumed as 9.5% and transmission losses as 9.75%.

(ii) In case of Hydro stations of NHPC the shares are alloted after allowing 12% free power to the Homestate

(iii) W.E.F. 20.10.99 the special allocation (1/3rd generation of Anta) from anta to RSEB has been withdrawn by Ministry of Energy and distributes among the beneficiaries.

(iv) In case of unchahar-I first 206 MW goes to up and balance to the beneficiaries.

(v) In case of unchahar-II one unit has been declared commercial operation with effect from 1.4.2000.

37. श्री साहब सिंह चौहान : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सत्य है कि यमुना विहार में वजीराबाद ग्रिड से सी–7 फीडर पर प्रतिदिन 2, 3 व 4 घंटे पावर शैडिंग होती है;

(ख) क्या यह सत्य है कि उक्त फीडर पर संजय मोहल्ला, सुभाष विहार, नूरइलाही, मोहनपुरी क्षेत्र बिजली से बुरी तरह प्रभावित है;

(ग) क्या अधिकारियों ने उक्त फीडर पर पावर शैडिंग रोकने के लिए कोई योजना या वैकल्पिक योजना तैयार की है;

(घ) यदि नहीं, तो क्यों; और

(ङ) क्या उक्त क्षेत्रों की बिजली सुधार पर विभाग कुछ करेगा?

उद्योग मंत्री : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत बोर्ड इस स्थिति में है कि वह सामान्य परिस्थितियों में, दिल्ली में बिजली की मांग की पूर्ति कर सके। यद्यपि "पीक हावर्स" के समय, बिजली की कमी के कारण, जब कभी इस की आपूर्ति में कठिनाई महसूस होती है, तो दिल्ली विद्युत बोर्ड लोड शैडिंग करने को बाध्य होता है जिससे वह अपने तंत्रों को संपूर्ण निष्क्रियता से बचा सके। ऐसी परिस्थितियों में जब कभी लोड शैडिंग की आवश्यकता होती है, तो वह दिल्ली के सभी क्षेत्रों में की जाती है, किसी एक विशेष क्षेत्र में नहीं।

(ग, घ तथा ङ) जी हां, दिल्ली विद्युत बोर्ड ने, 66 के.वी. ग्रिड यमुना विहार से 11 के.वी. के निम्नलिखित 3 फीडर निकालने की योजना बनाई है :

1. 66 केवी ग्रिड सब–स्टेशन यमुना विहार से नूरइलाही सब'स्टेशन तक।
2. 66 केवी ग्रिड सब–स्टेशन यमुना विहार से सुभाष मोहल्ला सब–स्टेशन नं. 2 तक।
3. 66 केवी ग्रिड सब–स्टेशन यमुना विहार से मौजपुर सब–स्टेशन नं. 1 तक

उक्त फीडर मार्च, 2001 तक डाले जा सकेंगे जिनके चालू होने पर सुभाष विहार, नूरइलाही, मोहनपुरी, विजय पार्क इत्यादि क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति और अधिक सुदृढ़ हो सकेगी।

38. श्री साहब सिंह चौहान : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि 66 के.वी. विद्युत ग्रिड यमुना विहार के लिए जगह उपलब्ध हुए लगभग 2 वर्ष हो गये हैं;

(ख) उक्त विद्युत ग्रिड को बनाने में देरी का क्या कारण है;

(ग) कब तक इस पर कार्य प्रारंभ होगा व कब तक ग्रिड बन कर चालू कर दिया जायेगा;

(घ) इस ग्रिड पर कुल कितना खर्चा आयेगा; और

(ङ) इस ग्रिड से सप्लाई के कहां–कहां के लिए फीडर प्लान लिये गये हैं?

उद्योग मंत्री : (क) एवं (ख) जी हां। दिल्ली विद्युत बोर्ड में 66 के.वी. ग्रिड सब–स्टेशन यमुना विहार "टर्न की" आधार पर पहली बार स्पर्धात्मक क्रिया (Competitive Bidding) द्वारा स्थापित किया जा रहा है इसके लिए प्राप्त निविदाओं व तकनीकी मूल्यांकन किया जा चुका हे। 5 फर्मों को लघु सूचीयन (Short listed) किया गया है। इन फर्मों से तकनीकी पैरामीटर्स पर स्पष्टीकरण मांग गया है तत्पश्चात् ही इन फर्मों की कीमत निविदाएं (Price bid) को खोला जायेगा और सफल फर्म को कार्य निष्पापदन करने के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

(ग) उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात ग्रिड सब–स्टेशन को बनने में लगभग 1–1/2 वर्ष का समय लगेगा।

(घ) उपरोक्त ग्रिड की अनुमानित लागत 8.26 करोड़ रुपये है।

(ङ) उक्त ग्रिड सब–स्टेशन से फिलहाल निम्नलिखित 11 के.वी. के फीडर निकालने की योजना है :

1. यमुना विहार ग्रिड सब–स्टेशन से नूरे इलाही सब–स्टेशन तक।
2. यमुना विहार ग्रिड सब–स्टेशन से सुभाष मोहल्ला सब–स्टेशन नं. 2 तक।
3. यमुना विहार ग्रिड सब–स्टेशन से मौजपुर सब–स्टेशन नं. 1 तक।

39. श्री ब्रह्म पाल : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिलोक पुरी विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी बिजली की आवश्यकता है;

(ख) आवश्यकता की तुलना में कितनी बिजली प्रदान की जाती है;

(ग) क्या यह सत्य नहीं है कि इस क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति में कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव करती है?

उद्योग मंत्री : (क) त्रिलोकपुरी विधान सभा क्षेत्र की कुल बिजली की मांग औसतन 30 एम. वी. ए. है।

(ख) उपरोक्त बिजली की मांग यथावत् पूरी होती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता।

40. श्री शीश पाल : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि प्रहलादपुर आर जेड वेस्ट कालोनी का विद्युतीकरण होना था;

(ख) यदि हां, तो इसका विद्युतीकरण किन कारणों से अब तक नहीं किया गया व कब तक विद्युतीकरण हो जायेगा व इसमें कितनी लागत आयेगी;

(ग) संगम विहार क्षेत्र के लिए पर्याप्त बिजली का प्रबंध कब तक कर दिया जायेगा; और

(घ) इस पर कितनी लागत आयेगी?

उद्योग मंत्री : (क) जी, हां।

(ख) पुल प्रहलादपुर (पश्चिम) के विद्युतीकरण के लिए 66,90,555 रुपये की एक योजना बनाई गई है। इसका विद्युतीकरण आगामी 6–8 माह में किया जाना संभव है।

(ग) संगम विहार देवली गांव में 66 के.वी. का एक ग्रिड सब स्टेशन बनाने के लिए एक प्लाट दिनांक 28.6.2000 को दिल्ली विद्युत बोर्ड को सौंपा गया है। इस प्लाट की चारदीवारी की जा रही है। प्लाट सीधी जमीन में होने के कारण इसका आवश्यक भराव किया जा रहा है। सब–स्टेशन बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी कार्य प्रगति पर है। संगम विहार में "सिंगल प्वाइंट डिलीवरी" स्कीम के अंतर्गत 8 बिजली के कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

(घ) ग्रिड सब–स्टेशन बनाने के लिए 8 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया गया है।

41. श्री शीश पाल : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य नहीं है कि दिल्ली विद्युत बोर्ड को तुगलकाबाद क्षेत्र के विधायक फंड से दस लाख रुपये दे दिए गए हैं वे उस फंड से अभी तक एक भी कार्य शुरू नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा व कार्यों का पूर्ण विवरण क्या है?

उद्योग मंत्री : (क) जी हां, हाल ही में दिल्ली विद्युत बोर्ड को विधायक फंड से फंड दिये गये हैं जिनमें तुगलकाबाद क्षेत्र भी शामिल है।

(ख) इस फंड में से विधायक के परामर्श से पथ–प्रकाश के काम जल्द से जल्द शुरू किये जा सकेंगे।

42. श्री अरविन्दर सिंह लवली : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि यमुनापार विकास बोर्ड द्वारा पथ प्रकाश के लिए दिल्ली विद्युत बोर्ड को राशि आबंटित की गई; और

(ख) यदि हां, तो यह राशि विद्युत बोर्ड से वापस लेकर दिल्ली नगर निगम को दी गई, इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री : (क) एवं (ख) यमुनापार विकास बोर्ड द्वारा वर्ष 1999–2000 के

लिए पथ–प्रकाश की व्यवस्था के लिए एक करोड़ रुपये की राशि दी गई थी जिसको सभी विधानसभा क्षेत्रों में बराबर खर्च करना था इस राशि में से लगभग 96 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है तथा शेष राशि संबंधित विधायक द्वारा काम का ब्यौरा न दिये जाने के कारण खर्च नहीं हो सकी।

वर्ष 2000–2001 के लिए, पथ–प्रकाश की व्यवस्था के लिए, दिल्ली विद्युत बोर्ड को कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है।

43. श्री अरविन्दर सिंह लवली : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कृष्ण नगर विधान सभा के अंतर्गत पड़ने वाले कांतिनगर में एक ग्रिड का निर्माण कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब तक ग्रिड चालू हो जायेगा; और

(ग) किस–किस विधान सभा क्षेत्र में उसका कितना लाभ होगा?

उद्योग मंत्री : (क) जी, हां।

(ख) इस ग्रिड सब–स्टेशन को बनने में लगभग 6 माह का समय लगेगा।

(ग) इस ग्रिड के चालू होने से कृष्ण नगर कांति नगर और आसपास की अन्य कालोनियों को लाभ होगा।

44. श्री महेन्द्र सिंह : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि महिपालपुर विधानसभा क्षेत्र में जे.एन.यू. के समीप "बसंत प्लाजा" कम्पलेक्स को दिल्ली विद्युत बोर्ड ने बिजली के दुरुपयोग का दोषी करार दिया था और बिजली का कनैक्शन काट दिया था;

(ख) क्या यह भी सही है कि संबंधित उपभोक्ता द्वारा बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया गया और कम्पलैक्स को "सिंगल प्वाइंट कनैक्शन" दे दिया गया;

(ग) अगर हां, तो क्या ऐसी स्थिति में बिजली का कनैक्शन देना नियमानुसार उचित है; और

(घ) अगर नहीं तो कनैक्शन क्यों दिया गया?

उद्योग मंत्री : (क) और (ख) बसंत प्लाजा में बिजली की चोरी का पता लगाने के लिए फरवरी, 2000 में छापा मारा गया था। इस छापे में सीधी बिजली चोरी के मामले में 8 व्यक्तियों को दोषी पाया गया। इनमें से 7 व्यक्तियों ने दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा बनाये/दिये गए बिजली चोरी के बिलों का भुगतान कर दिया है और इस प्रकार सिंगल डिलीवरी प्वांइट की योजना के अंतर्गत इनकी शॉपकीपर एसोसियेशन को एक बिजली का कनैक्शन इस शर्त पर दिया गया है कि वे किसी और व्यक्ति को आगे बिजली उपयोग करने के लिए नहीं देंगे। 8वें व्यक्ति ने बोर्ड द्वारा दिया गया बिजली चोरी के बिल का भुगतान नहीं किया है।

(ग और घ) दिल्ली विद्युत बोर्ड की नीतियों के अनुसार ऐसे परिसरों को जिन्होंने बिजली चोरी के बिलों का भुगतान कर दिया है, बिजली के कनैक्शन दिए जा सकते हैं।

45. श्री अमरीश सिंह गौतम : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पटपड़गंज क्षेत्र के अंतर्गत घडौली डेयरी कालोनी में बिजली की सुविधा देने हेतु लाईन खीचीं जानी थी;

(ख) यदि हां, तो देरी का क्या कारण है;

(ग) यह कार्य कब तक शुरू हो जायेगा;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि पटपड़गंज क्षेत्र के अंतर्गत हरिजन बस्ती घडोली विस्तार, ब्लाक सी में ट्रांसफार्मर लगना था तथा इस ब्लाक के वासियों को बिजली की सुविधा देनी थी;

(ङ) यदि हां, तो देरी के कारण क्या हैं; और

(च) यह कार्य कब तक शुरू हो जायेगा?

उद्योग मंत्री : (क) जी हां।

(ख) एवं (ग) घडौली डेरी फार्म को विद्युतीकृत करने के लिए, ठेकेदार को कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र ही विद्युतीकरण का कार्य आरंभ किया जायेगा।

(घ, ङ तथा च) हरिजन बस्ती, सी–ब्लाक को विद्युतीकृत करने के लिए 1, 12, 86, 415 रुपये की एक योजना बनाई गई है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 'वर्क आर्डर' जारी करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। इसकी प्राप्ति पर विद्युतीकरण का कार्य आरंभ किया जाएगा।

46. श्री अमरीश सिंह गौतम : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पटपड़गंज क्षेत्र में बिजली के मीटर देर से लगाए जाते हैं;

(ख) प्रति माह बिजली के मीटर लगाने के कितने आवेदन–पत्र प्राप्त हुए और उसमें से कितने मीटर लगे और कितने आवेदन–पत्र निलम्बित हैं; और

(ग) क्या यह भी सत्य है कि मयूर विहार जिला दिल्ली विद्युत बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई है, इसका कारण बतायें?

उद्योग मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) बिजली के कनैक्शन हेतु प्रति माह औसतन 120 आवेदन प्राप्त होते हैं जिनमें से लगभग 110 मीटर लगाये जाते हैं। बाकी मामलों में भी मीटर आवश्यक वाणिज्यिक औपचारिकतायें पूरी करने अथवा देय राशि का भुगतान करने पर लगा दिये जाते हैं।

(ग) कमेटी के अध्यक्ष द्वारा मीटिंग की तिथि की पुष्टि न होने के कारण कोई बैठक नहीं हो सकी है।

47. श्री मुकेश शर्मा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली विद्युत बोर्ड ने उत्तम नगर टर्मिनल के पीछे 66 के.वी. का एक नया ग्रिड बनाने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है और क्या यह भी सत्य है कि डीडीए ने दिल्ली विद्युत बोर्ड को ग्रिड बनाने के लिए जमीन दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो ग्रिड बनाने का काम कब तक शुरू कर दिया जायेगा और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी?

उद्योग मंत्री : (क) जी हां।

(ख तथा ग) डीडीए ने ग्रिड सब स्टेशन बनाने के लिए भूमि का आबंटन/हस्तांतरण अभी नहीं किया है। इसके लिए पत्राचार जारी है। 66 के.वी. लाईन व ग्रिड बनाने पर बजट में 6.5 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। भूमि उपलब्ध होने पर कार्य प्रारभ किया जा सकेगा। सामान्यतः ग्रिड सब–स्टेशन बनने में लगभग दो वर्ष का समय लगता है।

48. श्री मुकेश शर्मा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सिंगल प्वांइट योजना के अंतर्गत निजी ठेकेदार बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले पकड़े गये हैं;

(ग) सिंगल प्वाइंट योजना के अंतर्गत प्रतिमाह औसतन कितने रुपये बिजली के बिल के रूप में मिल रहे हैं, उसका पूरा विवरण क्या है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि सिंगल प्वाइंट लेने वाले ठेकेदार द्वारा विभिन्न कालोनियों में लोगों के दिये गये निजी मीटरों का कोई रिकार्ड विद्युत बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो क्या ये ठेकेदार बोर्ड के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं; और

(च) हस्तसाल विधान सभा क्षेत्र में सिंगल प्वाइंट योजना के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा विभिन्न कालोनियों में कालोनी बार कितने मीटर लगाये गये हैं और किस ठेकेदार के पास किस कालोनी के कितने निवासियों ने मीटर लेने के लिए पैसे दिये, उनका विवरण क्या है?

उद्योग मंत्री : (क) व (ख) समय–समय पर बिजली की चोरी पकड़ने के लिए मारे गये छापों के दौरान 6 मामले पकड़े गये हैं।

(ग) 'सिंगल प्वाइंट योजना'' के अंतर्गत प्रति माह औसतन 34.5 लाख रुपये की राशि प्राप्त होती है।

(घ) ऐसा रिकार्ड प्रत्येक ठेकेदार द्वारा देय है और दिल्ली विद्युत बोर्ड के संबंधित जिला केन्द्रों में उपलब्ध है।

(ङ) उपरोक्त की दृष्टि में कोई टिप्पणी नहीं।

(च) आवश्यक जानकारी अनुलग्नक 'क' और 'ख' में दी गई है।

Annexure-A

Delhi Vidyut Board

Details of Single Point Connections

S.No.	Connection No.	Name of colony	Name of contractor	Name of Transformer
1	2	3	4	5
1.	7416	Vipin Garden	M/s Arya Elect.	Richa Ram-I
2.	7440	B-Blk Mohan Gdn.	M/s APL Elect.	A-Blk Mohan Gdn. Pipalwala
3.	7441	R/3 Blk. Mohan Gdn.	-do-	Rama Park Rd.
4.	7442	S-Blk Mohan Gdn.	-do-	Pipalwala Rd. Mohan Gdn.
5.	7443	R/3 Blk. Mohan Gdn.	-do-	Rama Park Rd.
6.	7446	Nawada Hou- E-Blk	M/s Arya Elect.	Nawada Hs. E-Blk
7.	7447	Bhagwati Gdn. Extn.	-do-	Bhagwati Gdn.
8.	7484	R & S Blk Vikas Ngr.	M/s APL Elect.	Daya Ram
9.	7485	-do-	-do-	Daya Ram
10.	7486	-do-	-do-	Daya Ram
11.	7487	-do-	-do-	Daya Ram
12.	7489	Vikas Nagar Ph-I	M/s Ghatra Elect.	Vikas Nagar
13.	7490	L-Extn. Blk Mohan Gdn.	M/s API Elect.	Rama Park Rd.

1	2	3	4	5
14.	7492	Ghijkwe Blk Mohan Gdn.	-do-	Pipalwala A-Blk Mohan Gd.
15.	7493	-do-	-do-	-do-
16.	7494	-do-	-do-	-do-
17.	7495	-do-	-do-	-do-
18.	7497	Nawada Hs. Complex E-Blk	M/s Arya Elect	Nawada Hs. Comp.
19.	7498	-do-	-do-	-do-
20.	7499	Vipin Gdn. Extn.	-do-	Ricah Ram
21.	7500	-do-	-do-	-do-
22.	7502	R/3A, R/3B, R/3C A-3, Sethi Encl. Mohan Gdn. etc.	M/s API Elect.	Chandiwala
23.	7504	Surakaha Vihar Vikas Ngr.	M/s Sanan Elect.	Surakaha Vihar
24.	7505	Deepak Vihar Vikas Ngr.	-do-	Deepak Vihar
25.	7506	-do-	-do-	-do-
26.	7507	-do-	-do-	-do-
27.	7531	Vikas Ngr. Ph-II	M/s Ghetra Elect.	Murari S/Stn.
28.	7532	Vikas Vihar A & B Blk Hastsal	M/s Modi Elect.	Vikas Vihar
29.	7533	-do-	-do-	-do-
30.	7534	T & A Blk Uttam Ngr.	-do-	T-Blk Uttam Ngr
31.	7539	Vipin Gdn. Extn North Blk	M/s Arya Elect.	Richa Ram-II
32.	7540	A-Blk Extn. Vikas Ngr.	M/s Modi Elect.	Karnal Bhatia No. 11
33.	7540	Om Vihar Ph-I A	M/s Usha Elect.	Om Vihar Ph-I A
34.	7549	-do-	-do-	-do-

1	2	3	4	5
35.	7555	B-1 Blk, Vikas Ngr.	M/s Modi Elect.	Vikas Vihar
36.	7556	Shiv Vihar Vikas Ngr.	-do-	Shiv Vihar S/Stn.
37.	7561	BI Blk Vikas Ngr.	-do-	Col. Bhatia No. 1

Annexure-B

Delhi Vidyut Board

Distt. Nangloi

S.No.	K.No.	Area	Agency	Weight	Starting Date
1.	FT/NGL/1151/489	Jai Vihar-II		90 K.W.	22.2.2000
2.	FT/NGL/1151/439	Jai Vihar	Tata Electricals	90 K.W.	3.7.2000
3.	FT/NGL/1151/490	Jai Vihar	Tata Electricals	90 K.W.	31.8.2000
4.	FT/NGL/1151/491	Jai Vihar	Tata Electricals	90 K.W.	19.4.2000
5.	FT/NGL/1151/492	Jai Vihar	Tata Electricals	90 K.W.	1.4.2000
6.	FT/NGL/1151/532	Shivapark	Sarovdiya	90 K.W.	23.9.2000
7.	FT/NGL/1151/500	Extn.-2, 3	CPL Electricals	90 K.W.	13.11.2000

49. श्री मुकेश शर्मा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हस्तसाल विधान सभा क्षेत्र की अनाधिकृत बस्तियों एवं दिल्ली की ऐसी अन्य बस्तियों में लोगों ने सिंगल प्वाइंट योजना के अंतर्गत विद्युत बोर्ड द्वारा स्वीकृत निजी कंपनियों से मीटर लगवा लिए हैं;

(ख) क्या बोर्ड कालोनियों के आपसी विवाद को देखते हुए इन कालोनियों को सिंगल प्वांइट योजनायें अपने अधीन लेगा;

(ग) यदि हां, तो उस योजना का प्रारूप क्या है और सिंगल प्वाइंट योजना के अंतर्गत 400 के.वी. क्षमता के ट्रांसफार्मर पर निजी ठेकेदार कितने कनेक्शन दे सकता है; और

(घ) राजधानी की कुल कितनी कालोनियों में सिंगल प्वाइंट योजना लागू कर दी गई है?

उद्योग मंत्री : (क) जी, हां।

(ख, ग) सिंगल प्वांइट डिलीवरी की नीति के अंतर्गत ठेकेदार से अनुबंध 7 वर्ष के लिए है और इसकी दर प्रतिवर्ष बढ़ाई जा सकती है। दिल्ली विद्युत बोर्ड के पास अपने अधीन लेने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सिंगल प्वाइंट योजना के अंतर्गत ठेकेदार/समिति की योजना के अंतर्गत एक बिजली का कनैक्शन दे दिया जाता है। वितरण संबंधी मामला वही ठेकेदार एवं समिति द्वारा देखा जाता है। योजना के अंतर्गत एक किलोवाट लोड एक ड्वैलिंग यूनिट को देने का प्रावधान है। इस प्रकार 400 के.वी.ए. क्षमता के एक ट्रांसफार्मर से 400 कनेक्शन दिए जा सकते हैं।

(घ) अभी तक सिंगल प्वांइट योजना के अंतर्गत 194 बिजली कनैक्शन दिए जा चुके हैं।

50. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि बिहारीपुर–तुकमीरपुर में विद्युत आपूर्ति के लिए एक फीडर डालने की योजना को स्वीकृति मिल चुकी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वह फीडर डाल दिया गया है, यदि नहीं, तो उसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि इस फीडर को अन्य विधान सभा क्षेत्र में स्थानांतरित करने की योजना बन रही है, यदि हां, तो क्यों; और

(घ) बिहारीपुर तुकमीरपुर क्षेत्र में कब तक फीडर डाल दिया जायेगा?

उद्योग मंत्री : (क) जी हां।

(ख) वांछित फीडर के डालने का कार्य प्रगति पर है।

(ग) जी नहीं।

(घ) आशा है कि उक्त फीडर डालने का कार्य जनवरी, 2001 के मध्य तक पूरा हो जायेगा।

51. श्री भीष्म शर्मा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत गावडी रोड तथा फतेह सिंह मार्ग पर बिजली के खम्भे कितने लगे हुए हैं जो इस समय सड़क के बीचोबीच हैं व ये खम्भे यातायात को प्रभावित कर रहे हैं;

(ख) क्या इनको हटाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो यह कब तक हटा दिए जाएंगे?

उद्योग मंत्री : (क) तथा (ख) इस प्रकार के लगभग 40 खम्भे हैं जिनको हटाने की योजना बना ली गई है।

(ग) बिजली के खम्भे स्थानांतरण का कार्य दिल्ली विद्युत बोर्ड, इस संबंध में संबंधित प्रायोजक से इस आशय का प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर करता है। जिसे इस कार्य पर आने वाले खर्च को शत–प्रतिशत वहन एवं दिल्ली विद्युत बोर्ड के पास जमा कराना होता है।

दिल्ली विद्युत बोर्ड ने गावड़ी रोड और फतेह सिंह मार्ग के खम्भों का स्थानांतरण करने के लिए योजना बनाई है। इस मद पर आने वाले खर्च को जमा करने के लिए 12,98,950/- का एक मांग पत्र दिल्ली नगर निगम को 18.8.2000 को भेजा गया है। दिल्ली नगर निगम द्वारा मांग पत्र की राशि जमा करने के पश्चात् ही दिल्ली विद्युत बोर्ड उक्त बिजली के खम्भों को शिफ्ट करने का कार्य कर सकेगा।

52. श्री भीष्म शर्मा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि घोण्डा विधान सभा क्षेत्र का जोन दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा अलग से बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस जोन का कार्यालय वहां पर बनाया गया है व इसमें कितना स्टाफ लगाया गया है व स्टाफ के कौन–कौन अधिकारी हैं व उनके पद क्या हैं;

(ग) घोंडा विधान सभा क्षेत्र के लिये दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा कितनी स्कीम अब तक बनाई गई है व कितनी लम्बित है; और

(घ) इन लंबित स्कीमों पर कब तक कार्य शुरू करवा दिया जायेगा?

उद्योग मंत्री : (क) जी हां।

(ख) घोंडा विधान सभा क्षेत्र का जोन घोंडा विधान सभा क्षेत्र में स्थान न मिलने के कारण सीलमपुर जोन के कार्यालय से ही कार्य कर रहा है। इस जोन के लिए निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारियों को लगाया गया है :

1	सहायक अभियंता	1
2.	अवर अभियंता	2
3.	कार्यकारी दूसरा स्टाफ जैसे मिस्त्री, मजदूर इत्यादि	32

इस जोन के लिए किराये पर परिसर लेने के लिए, कार्यवाई की गई है।

(ग) उपरोक्त जोन में लगभग 550 मीटर एल. टी. भूमिगत केबल को बिछाया गया है। 1½ किलोमीटर ओवर हैड कन्डक्टर डाला गया है।

12 नई योजनाएं जिनमें एल. टी. फीडर्स का डालना तथा एल. टी. कन्डक्टर का बदला जाना इत्यादि शामिल है, लंबित है।

220 के.वी. वजीराबाद ग्रिड सब–स्टेशन से मौनी बाबा मन्दिर सब–स्टेशन तक 11 के.वी. के एक फीडर डालने की योजना बनाई जा रही है।

(घ) उक्त सभी योजनाओं पर कार्य इस माह से आरंभ किये जा सकते हैं।

53. डा. हर्ष वर्धन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में बिजली (ऊर्जा) की कमी है;

(ख) सरकार ने बिजली की कमी को दूर करने के लिए पिछले दो वर्षों में क्या प्रयास किया है; और

(ग) दिल्ली में बिजली का संकट कब तक समाप्त होगा?

उद्योग मंत्री : (क) "पीक आवर्स' के समय को छोड़कर दिल्ली में सामान्य रूप से बिजली की आपूर्ति की जा रही है।

(ख) बिजली की उपलब्धता में सुधार के लिए निम्न कदम उठाये गए हैं।

1. 330 मेगावाट प्रगति पावर प्रोजेक्ट पर कार्य प्रगति पर है, इसकी पहली इकाई जनवरी, 2002 में दूसरी मार्च, 2002 और संपूर्ण प्रोजेक्ट नवबर, 2002 से चालू होने की संभावना है।
2. एन. टी. पी. सी. से 285 मेगावाट और एन. एच. पी. सी. से 25 मेगावाट उनकी विभिन्न प्रोजेक्ट से खरीदने के लिए बिजली खरीद समझौते किए गये हैं।
3. हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड से वर्ष 1999 व 2000 की ग्रीष्म ऋतु के लिए 200 मेगावाट बिजली खरीद के लिए द्विपक्षीय समझौते किये गये थे।

(ग) दिल्ली में बिजली का संकट समाप्त होने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यह एक लगातार चलने वाला सिलसिला है।

54. श्री रूप चंद : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंद नगरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ऊर्जा विभाग ने किसी जमीन पर कोई भवन बनाया है, और क्या यदि हां, तो कहां पर स्थित है, व उसकी क्या दशा है?

उद्योग मंत्री : (क) जहां तक दिल्ली बोर्ड का संबंध है, दिल्ली विद्युत बोर्ड ने 66 के.वी. ग्रिड सब–स्टेशन नंद नगरी को छोड़कर नंद नगरी क्षेत्र में कोई भवन नहीं बनाया है।

55. श्री मालाराम गंगवाल : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार भागीदारी योजना के अंतर्गत स्ट्रीट लाईट के प्रबंधन में आर. डब्ल्यू. ए. का सहयोग को शामिल करने की इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपात्मकता क्या होगी;

(ग) क्या आर. डब्लयू. ए. को खराब टयूब लाईटों बल्वों या स्थानीय इलैक्ट्रीशियन वायरमैन के द्वारा अन्य गौण सुधार के लिए कोई सहायता/वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी जायेगी?

उद्योग मंत्री : (क), (ख) दिल्ली विद्युत बोर्ड ने आवास कल्याण समितियों से कहा है कि "भागीदारी योजना" के अंतर्गत पथ–प्रकाश के प्वाइंट को खोलने/बंद करने की जिम्मेदारी लें। तकनीकी दृष्टि से इस कार्य को करने के लिए समितियों का दिल्ली विद्युत बोर्ड के संबंधित जोन/शिकायत केन्द्र से लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। यहां यह भी वांछनीय है कि समिति किसी जिम्मेदार व्यक्ति को दिल्ली विद्युत बोर्ड से प्राधिकृत करायें। अभी तक कोई भी समिति उपरोक्त कार्य के लिए नहीं आई है।

(ग) कोई प्रस्ताव नहीं है।

56. श्री माला राम गंगवाल : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम विहार में ए–4 ब्लाक में 33 के.वी. के 34 केन्द्र (सब स्टेशन) का निर्माण कब प्रारंभ हो जायेगा तथा इस परियोजना की नवीनतम प्रगति क्या है;

(ख) पीरागढ़ी पर प्रस्तावित 66 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की क्या प्रगति है, और क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि का आबंटन कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो पश्चिम विहार में बिजली की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए भविष्य की क्या योजना है?

उद्योग मंत्री : (क) पश्चिम विहार ए–4 ब्लाक में 33 के.वी. का ग्रिड सब–स्टेशन बनाने के लिए योजना बना दी गई है। इसे अनुमोदन के लिए सक्षम अधिकारी के पास भेजा गया है।

(ख) पीरागढ़ी में प्रस्तावित 66 के.वी. का ग्रिड सब–स्टेशन दिल्ली विकास प्राधिकरण की भावी योजनाओं के लिए मागा गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस सब–स्टेशन को बनाने के लिए भूमि का आबंटन नहीं किया है।

(ग) इस क्षेत्र की बिजली की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए चालू ग्रिड सब–स्टेशन सक्षम है।

57. श्री मालाराम गंगवाल : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 4.4.2000 के प्रश्न संख्या 473 में माननीय मंत्री द्वारा ए–1

ब्लाक पश्चिम विहार में ओवर हैड वायरिंग के कार्य को एक माह में पूरा करने का आश्वासन दिये जाने के बावजूद यह अधूरा क्यों पड़ा हुआ है;

(ख) क्या यह सत्य है कि निष्पादित कार्य की गुणवत्ता घटिया है तथा वरिष्ठ अधिकारियों या गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा कोई जांच नहीं की गई है;

(ग) यह कार्य कब सौंपा गया और इस कार्य की लागत और कार्य क्षेत्र क्या था; और

(घ) इस मामले में यह कहा गया है कि कार्य समाप्त होने पर माननीय मंत्री द्वारा स्थान का स्वयं निरीक्षण करना चाहिए या किसी जांच समिति की नियुक्ति की जाये?

उद्योग मंत्री : (क) पश्चिम विहार ए ब्लाक के एल टी ओवर हैड लाईन का लगभग 80 प्रतिशत कार्य किया जा चुका है। कार्य का अधूरा रहने का कारण विशेषतया वहां के निवासियों द्वारा कुछ अड़चनें डालना था। अब यह कार्य लगभग एक महीने में पूरा किया जा सकेगा।

(ख) कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है और इसे जांचा जा सकता है। इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) कार्य का कार्य–क्षेत्र पश्चिम विहार ए–1 ब्लाक में ओवर हैड लाईन डालने का था। इसकी अनुमानित लागत कुल 1.5 लाख रुपये थी। इसे वर्ष 1998 में निष्पादन के लिए सौंपा गया था।

(घ) किसी प्रकार का कोई निरीक्षण नहीं किया गया है।

58. श्री चरण सिंह कंडेरा : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

समाज कल्याण मंत्री : अ.जा./ज.जा. कल्याण निदेशालय, अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम के माध्यम से अ.जा./ज.जा. के लोगों की बेरोजगारी दूर करने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जिनके अंतर्गत लाभार्थियों को अनुदान, मारजिन मनी व ऋण के अतिरिक्त विभिन्न

व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है :

1. **बैंकों के माध्यम से**

   क. स्वरोजगार योजना

   ख. सिर पर मैला ढोने में रत व्यक्तियों के पुनर्वास की योजना।

2. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम के माध्यम से**

   क. परिवहन क्षेत्र : जैसे बस, हल्के व्यावसायिक वाहन, पुराने तिपाईया वाहन की जगह नये तिपाहिया वाहन हेतु ऋण।

   ख. कृषि क्षेत्र : जैसे डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन इत्यादि।

   ग. औद्योगिक क्षेत्र : इस योजना के तहत किसी भी आय जन्य व्यवसाय हेतु अधिकतम 30 लाख रुपये तक का ऋण।

   घ. सेवा क्षेत्र : जैसे फोटोकापी योजना इत्यादि।

3. **निगम के माध्यम से**

   क. कंम्पोजिक ऋण योजना जिसके तहत निगम द्वारा 50000/– रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

4. **प्रशिक्षण योजना** : जैसे कम्प्यूटर, कटिंग टेलरिंग, ब्यूटी कल्चर इत्यादि।

59. श्री चरण सिंह कंडेरा : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है जो 60 वर्ष से कम आयु की विधवाओं को भी पेंशन दी जा सके?

समाज कल्याण मंत्री : जी नहीं। वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

60. श्री चरण सिंह कंडेरा : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि सफाई कर्मचारियों के परिवारों को सफाई कार्य से मुक्ति दिलाने के लिए व दूसरे कामों में लगाने के लिए हमारी सरकार ने कितने लोगों को पैसा दिया जो दूसरे कार्यो में लग गए हैं?

समाज कल्याण मंत्री : सफाई कर्मियों की मुक्ति एवं पुनर्वास राष्ट्रीय योजना

के अंतर्गत इसके आरंभ होने से वर्ष अनुसार स्वीकृत ऋणों का विवरण निम्न प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	संयुक्त ऋण जांच समिति द्वारा स्वीकृत ऋणों की संख्या
1992–93	505
1993–94	196
1994–95	303
1995–96	825
1996–97	1125
1997–98	1258
1998–99	1786
1999–2000	2011

2. जिन लोगों को बैंकों द्वारा ऋण दिया गया उनकी सूचना एकत्रित की जा रही है। इस सूचना की प्राप्ति के उपरांत यह सर्वेक्षण किया जाएगा कि जिन लोगों को सिर पर मैला ढोने के घृणित कार्य को त्यागने व सम्माननीय कार्य करने में लगने के लिए ऋण दिया गया था वे सिर पर मैला ढोने के घृणित कार्य को त्याग दूसरे सम्माननीय कार्यों को कर रहे हैं या नहीं।

61. श्री टेक चंद शर्मा : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) साकेत विधान सभा क्षेत्र में पिछले सात वर्षों के दौरान समाज कल्याण विभाग में कितने वृद्धावस्था पेंशन के फार्म जमा हुए हैं;

(ख) इन सात वर्षों के दौरान कितनी पेंशन स्वीकृत हुई है;

(ग) इनमें कितने पेंशनधारियों को चालू वित्त वर्ष तक पेंशन मिल रही है;

(घ) क्या यह सत्य है कि इन सात वर्षों के दौरान कुछ पेंशन रोक दी गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है ?

समाज कल्याण मंत्री : (क) वृद्धावस्था पेंशन के 1620 आवेदन पत्र गत सात वर्षों में प्राप्त हुए हैं।

(ख) गत सात वर्षों में 1438 वृद्धजनों की पेंशन स्वीकृत हुई है।

(ग) चालू वित्त वर्ष तक 1404 वृद्धजनों को पेंशन प्राप्त हो रही है।

(घ) जी हां।

(ङ) जांच के पश्चात 34 वृद्धजनों की पेंशन रोक दी गई है।

62. श्री नंद किशोर गर्ग : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र में 31.3.2000 तक जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी उनमें से कितने लोगों को पेंशन 31.3.2000 तक नहीं मिल पा रही है उनकी सूची कारण सहित देने की कृपा करें;

(ख) इसी क्षेत्र में विधवाओं की बेटियों के विवाह हेतु 31.3.99 व 31.3.2000 तक किन–किन लोगों को सहायता दी गई उनकी सूची देने का कष्ट करें; और

(ग) कम उम्र की विधवाओं को एकमुश्त सहायता 31.3.99 व 31.3.2000 तक किन–किन को दी गई उसकी सूची भी प्रदान करें?

समाज कल्याण मंत्री : (क) वर्ष 1999–2000 के अंतर्गत त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र के 147 वृद्धजनों को पेंशन स्वीकृत की गई है। इन सभी को पेंशन प्राप्त हो रही है।

(ख) त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1998–99 में पांच, वर्ष 1999–2000 में चार विधवा महिलाओं की बेटियों के विवाह हेतु प्रत्येक तक 5000/– रुपये की सहायता दी गई। सूची संलग्न है।

(ग) सूची संलग्न है।

विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु प्रदान आर्थिक सहायता का विवरण

1998–99

क्रम सं.	लाभार्थी का नाम	पता	राशि
1	2	3	4
1.	प्रेमवती	1523/108, त्रिनगर, दिल्ली	5000/– रुपये
2.	सरोज रानी	2052/160, त्रिनगर, दिल्ली	5000/– रुपये
3.	सरोज रानी	2052/160, त्रिनगर, दिल्ली	5000/– रुपये
4.	माया देवी	4548/2, त्रिनगर, दिल्ली	5000/– रुपये
5.	संतोष देवी	टी–345/27, ओंकार नगर, दिल्ली	5000/– रुपये

1999–2000

1.	दर्शन देवी	2016/157, गणेशपुरा, दिल्ली	5000/– रुपये
2.	रामवती	85, नि.आ.व. फलैट	5000/– रुपये
3.	मुन्नी देवी	ए–2/96, बी लारेंस रोड	5000/– रुपये
4.	हुक्म देवी	297, रामपुरा त्रिनगर, दिल्ली	5000/– रुपये

	नाम	पति का नाम	पता	आयु	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	
1.	दयावंती	मुरारी लाल	924/60, लेखू नगर, त्रिनगर	35	10000/– रु.
2.	इन्द्रावती	रमेश कुमार	330, मामचंद पार्क, रामपुरा	36	10000/– रु.
3.	कुसुम देवी	मुन्ना लाल	245/53, लेखू नगर, त्रिनगर	35	10000/– रु.
4.	वीन कुमारी	सतीश जैन	150/15, ओंकार नगर, त्रिनगर	27	10000/– रु.
5.	सरदारी	लालचंद	डब्लूजैड–16ए शकुरपूर गांव	42	10000/– रु.
6.	निर्मला देवी	रामअवतार	10944 गली पीपलवाली, झंडेवालान	34	10000/– रु.

1	2	3	4	5
7. विमला	सोहनलाल	1/103, कृष्णा विहार	38	10000/– रु.
8. सविता	रमन कुमार	के–21/63, कृष्णा विहार	41	10000/– रु.
9. मंजू गुप्ता	कृष्ण गुप्ता	सी–123, पूर्वी आजाद नगर	35	10000/– रु.
10. शोभा देवी	भगवती	डब्लूजेड 3294, महेन्द्रा पार्क	38	10000/– रु.
11. गुरमीत कौर	देवेन्द्रपाल	सी–8/123, केशवपुरम	37	10000/– रु.
12. कांता देवी	अमीर सिंह	923/60, त्रिनगर	40	10000/– रु.
13. कालासोनी	लक्ष्मीनारायण	2147/166, गणेशपुरा त्रिनगर	43	10000/– रु.
14. नीलम गोयल	महिपाल गुप्ता	737/143, सीएस मार्ग त्रिनगर	35	10000/– रु.
15. अनुपकौर	स्वर्णपाल	सी–4/68, केशवपुरम	38	10000/– रु.
16. सावित्री देवी	पूरन चंद	3043/223, विश्वास नगर	42	10000/– रु.
17. चन्द्रकांता	श्यामकिशन	3711/91, नारंग कालोनी	46	10000/– रु.
18. कमलेश	देवकीनंदन	1817/81, त्रिनगर	39	10000/– रु.
19. सावित्री देवी	कृष्ण कुमार	272 रामपुरा, दिल्ली-35	41	10000/– रु.

63. श्री साहब सिंह चौहान :

श्री वीर सिंह धिंगान :

श्री अमरीश सिंह गौतम :

श्री अरविन्दर सिंह लवली :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) यमुना विहार, सीमापुरी, पटपड़गंज तथा गांधी नगर विधान सभा क्षेत्रों में कुल कितने लोगों द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा सहायता, अपंग सहायता तथा विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु आवेदन फार्म जमा हुए;

(ख) इनमें से कितने लोगों को सहायता प्रदान की गई तथा इस पर कितना धन व्यय हुआ; और

(ग) लाभार्थियों की सूची क्या है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) विधान सभा क्षेत्रानुसार ब्यौरा इस प्रकार है :

		वृद्धा.	विधवा	अपंग स.	विवाह हेतु
1.	यमुना विहार	43	20	06	
2.	सीमापुरी	206	22	20	
3.	पटपड़गंज	107	10	08	15
4.	गांधी नगर	96	16	01	

(ख) विधान सभा क्षेत्रानुसार स्वीकृत किये गये प्रार्थना पत्रों का विवरण इस प्रकार है :

		वृद्धा.	विधवा	अपंग स.	विवाह हेतु
1.	पटपड़गंज	–	10	08	
2.	गांधी नगर	–	16	01	1

कुल धनराशि 2,58,000 खर्च किये गये हैं।

(ग) सूची संलग्न है।

विधवा आर्थिक सहायता

1	2	3	4	5
1.	2213	गयासी देवी पत्नी रामजी लाल 1/427, त्रिलोक पुरी, दिल्ली	38	10,000 रुपये
2.	2214	प्रेम कौर पत्नी बलवंत सिंह 13/340, कल्याण पुरी, दिल्ली	42	10,000 रुपये
3.	2212	सावित्री देवी पत्नी शाम बाबू बी–506, कोंडली, दिल्ली	43	10,000 रुपये

1	2	3	4	5
4.	2211	विजयलक्ष्मी पत्नी बाल सिंह बी–61, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली	28	10,000 रुपये
5.	1709	गीता क्वात्रा पत्नी किशन लाल क्वात्रा 9/2484, गुरूदवारा कैलाश नगर गांधी नगर	46	5,000 रुपये
6.	1700	शोभा पत्नी अजय कुमार 1541, मुकेश मार्किट, गांधी नगर दिल्ली	31	10,000 रुपये
7.	1706	सतनाम कौर पत्नी हरजीत सिंह 1502, शंभू नाथ बिल्डिंग गांधी नगर दिल्ली	37	10,000 रुपये
8.	1704	कौशल गुप्ता पत्नी विजय गुप्ता 10/399, रघुबर पुरा नं. 1 गांधी नगर	41	10,000 रुपये
9.	2215	आशा सोंलकी पत्नी मोहन सिंह सोंलकी 10/3686/16, ग.न. 5, शांति मोहल्ला गांधी नगर।	43	10,000 रुपये
10.	1708	ओमवती पत्नी शंकर लाल 9/4253, ग.न. 10 अजीत नगर, गांधी नगर	32	10,000 रुपये
11.	1303	गोमती देवी पत्नी रंजीत सिंह 9/5374, पुरानी सीलमपुर, गांधी नगर	54	5,000 रुपये
12.	1702	रमा पत्नी राजू बजाज 1174, मुलतानी मो. गांधी नगर, दिल्ली	28	10,000 रुपये
13.	1707	मंजू पत्नी विनोद कुमार 9/3459, ज्ञान मो. ग.न. 3 धर्मपुरा गांधी नगर	32	10,000 रुपये
14.	1705	नीलम पत्नी नंद किशोर 2638, ग.न. 6, रघुबर पुरा न.2 गांधी नगर	34	10,000 रुपये

1	2	3	4	5
15.	2217	चंचल रानी पत्नी यशपाल	43	10,000 रुपये
		2632, ग.न. 6 रघुबरपुरा नं. 2 गांधी नगर		
16.	2216	वल्लो देवी पत्नी सूरज सिंह	40	10,000 रुपये
		7566 ग.न. 11, अमर मोह. रघुबर पुरा–2 गांधी नगर		
				1,50,000

विधान सभा क्षेत्र संख्या 38 में स्वीकृत की गई
विधवा आर्थिक सहायता की सूची।

नाम	पिता का नाम	पता	आयु	स्वीकृत सहायता राशि
1	2	3	4	5
1. आशा	देशराज	6/71, त्रिलोकपुरी	30	10,000 रुपये
2. कमलेश	डी.डी. सूद	बी–3 कोंडली	37	10,000 रुपये
3. बबली	विजय सिंह	21/51 कल्याणपुरी	23	10,000 रुपये
4. जुबैदा	अकबर अली	जवाहर मोहल्ला पटपड़गंज	38	10,000 रुपये
5. चन्द्रो	जोन्सन	नई बस्ती, कोंडली	37	10,000 रुपये
6. शारदा देवी	छोटेलाल	बी–49 शक्ति गार्डन, पटपडगंज	46	5,000 रुपये
7. रामदुलारी	मदनलाल	जी–5, डीडीए फ्लैट कैम्प खिचड़ीपुर	35	10,000 रुपये
8. रामनन्दी	तिरखाराम	21/62, कल्याणपुरी	42	10,000 रुपये
9. शशिबाला	मामराज	एचबी–18, इन्दरा कैंप कल्याणपुरी	35	10,000 रुपये
10. जमील	शेरदिल	273, गांव पटपड़गंज	25	10,000 रुपये

वृद्ध एवं अपंग व्यक्तियों की सूची

1	2	3	4	5
1.	1652 बुन्दु खान	काले खान	6/500 खिचड़ीपुर	38	1,000 रुपये
2.	1515 राम सरण सिंह	बिशन दयाल सिंह	ए–516, घडौली डेयरी फार्म	38	1,000 रुपये
3.	1516 सुनीता	रामसरण सिंह	ए–516, घडौली डेयरी फार्म	38	1,000 रुपये
4.	1564 मौन वती	गुरूमुख सिंह	11/333 कल्याणपुरी	38	1,000 रुपये
5.	1561 चरण सिंह	संत राम	15/131, कल्याणपुरी	38	1,000 रुपये
6.	1557 उदय पाल	अमर सिंह	एफ/98, हरिजन बस्ती, कोंडली		1,000 रुपये
7.	1560 सुमन लता	भोले राम	बी–12 कोंडली	38	1,000 रुपये
8.	1806 भगवान सहाय	स्व.बाबू राम	14/5, कल्याणपुरी	38	1,000 रुपये
					8,000 रुपये

अपंग श्रेणी सहायता की सूची :

नाम	पिता का नाम	पता	सहायता राशि
1. दीपक कुमार	सुभाष चन्द्र	X 1075, गली नं. 3 न्यू चांद मोहल्ला, गांधी नगर	1,000 रुपये एकमुश्त

विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता सूची :

1. श्रीमती कांता देवी	रोड नं. 64, प्रियदर्शिनी विहार लेपरोसी कालोनी, ताहिरपुर, दिल्ली।	5000/–

63. श्री **मोती लाल बोकोलिया** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या करोल बाग क्षेत्र के अंतर्गत नं. 9, देव नगर स्थित वृद्धा मनोरंजन केन्द्र सुचारू रूप से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र में किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं और केन्द्र खुलने और बंद होने का समय क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसे सुचारू रूप से चलने में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

समाज कल्याण मंत्री : (क) दिल्ली नगर निगम के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार यह केन्द्र बन गया है पर अभी चलाना शुरू नहीं हुआ।

(ख) उपरोक्त 'क' के संदर्भ में लागू नहीं होता।

(ग) इस सदंर्भ में सचिव स्तर पर दिनांक 31.8.2000 और 18.10.2000 को बैठकें हुई थी, जिसमें दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को इसे शीघ्र सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्देश दिए गए।

64. श्री **अरविन्दर सिंह लवली** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) गांधी नगर घोंडा तथा हस्तसाल विधानसभा क्षेत्र में कुल कितनी आंगनवाड़ी है तथा उनकी सूची क्या है;

(ख) इनमें कितने बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है; और

(ग) इन आंगनवाडियों को सरकार क्या सुविधा उपलब्ध करा रही है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) गांधी नगर घोंडा तथा हस्तसाल विधानसभा क्षेत्रों में आंगनवाड़ी की संख्या

गांधी नगर	16 आंगनवाड़ी केन्द्र (सूची संलग्न)
घोंडा	88 आंगनवाड़ी केन्द्र (सूची संलग्न)
हस्तसाल	230 आंगनवाड़ी केन्द्र (सूची संलग्न)

(ख)

गांधी नगर	2416 बच्चे	304 महिलाऐं
घोंडा	7072 बच्चे	4798 महिलायें
हस्तसाल	2147 बच्चे	419 महिलायें

(ग) इन आंगनवाड़ियों के माध्यम से सरकार द्वारा बच्चों एवं महिलाओं को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है :

1. **स्कूल एवं अनौपचारिक शिक्षा**
   3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों का।
2. **प्रतिरक्षण क्षेत्र** के सभी बच्चे एवं महिलाओं का प्रतिरक्षण
   (0–6 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का)
3. **स्वास्थ्य जांच** क्षेत्र के सभी 0–6 वर्ष के सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की जाती है।
4. संदर्भ सेवायें **क्षेत्र** के सभी 0–6 वर्ष के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं का।
5. पूरक **पोषाहार** क्षेत्र के सभी 0–6 वर्ष के बच्चों एवं महिलाओं को (गर्भवती एवं धात्री) दिया जाता है।
6. स्वास्थ्य एवं **पोषाहार** शिक्षा सभी महिलाओं (15–45 वर्ष) को स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा दी जाती है।

उपरोक्त सभी सेवाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित सेवायें भी आंगनवाड़ी के माध्यम से सरकार द्वारा सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है।

1. पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत (0–6) वर्ष के बच्चों को पोलियों की खुराक पिलवाना।
2. कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत घर–घर जाकर सर्वे करवा कर रोगी से संबंधित व्यक्ति की जांच हेतु स्वास्थ्य केन्द्र भेजना।
3. एड्स से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को जागरूक करना।

4. (स्तनपान दिवस) स्तनपान के लिए माताओं में जागरूकता लाना।

5. मातृ सुरक्षा अभियान।

6. महिला मंडल मीटिंग द्वारा महिलाओं को जागरूक करना।

7. बालिका दिवस कार्यक्रम (बालिकाओं की महत्ता के विषय में जानकारी देना।)

8. पोषाहार दिवस में महिलाओं को संतुलित आहार से संबंधित जानकारी देना।

9. अनु. जाति/अनु. जनजाति वर्ग की गर्भवती व धात्री महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना आदि।

गांधी नगर विधान सभा क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	पता	आंगनवाड़ी संख्या
1	2	3
1.	109 घास मंडी, कैलाश नगर, गांधी नगर	49
2.	251 घास मंडी, कैलाश नगर, गांधी नगर	50
3.	2533 कश्यप मुहल्ला, गांधी नगर	51
4.	x-662 रघुबर पुरा नं. 1, गांधी नगर	52
5.	2243 रघुबरपुरा नं. 1, गांधी नगर	53
6.	1198 मुल्तानी मोहल्ला, गांधी नगर	54
7.	2815 गली नं. 12 कैलाश नगर, गांधी नगर	55
8.	3381/1, गली नं. 8, धर्मपुरा	56
9.	3223, गली नं. 5, धर्मपुरा	57
10.	2043 गली नं. 6, कैलाशनगर	58
11.	3202 गली नं. 5, धर्मपुरा	59

1	2	3
12.	1809 गली नं. 1, कैलाशनगर	60
13.	2798 चन्द्रपुरी, कैलाशनगर	61
14.	2688 गली नं. 1, धर्मपुरा	62
15.	317 गली नं. 6, चन्द्रपुरी कैलाशनगर	107
16.	2815/37 गली नं. 4, धर्मपुरा गांधी नगर विधानसभा क्षेत्र	108

Name of M.L.A. S. Arvinder Singh Lovely

Area Gol Baithak, Shanti Mohalla Constituency No. 41

S.No.	C.No.	Address
1	2	3
1.	68	H.No. 5352, G.No. 2 Old Seelam Pur, Delhi
2.	70	H.No. 9/5278 Gole Baithak, Old Seelam Pur, Delhi
3.	71	H.No. 5181, Gole Baithak, Old Seelampur, Delhi
4.	72	H.No. 4355, Gali No. 8, Old Seelampur, Delhi.
5.	74	H.No. 4696, Gali No. 5, Old Seelampur, Delhi.
6.	75	H.No. 5403, Gali No. 2, Old Seelampur, Delhi.
7.	76	H.No. 9/4772, Harijan Basti, Old Seelampur, Delhi.
8.	78	H.No. 3234, Gali No. 5 Old Seelampur, Delhi.
9.	79	H.No. 4771, Harijan Basti Old Seelampur, Delhi.
10.	80	H.No. 2931, Gali No. 4, Old Seelampur, Delhi.
11.	82	H.No. 4704, Gali No. 8, Old Seelampur, Delhi.
12.	83	H.No. 4477, Gali No. 6, Old Seelampur, Delhi.
13.	85	H.No. 9/5200, Gali No. 6, Old Seelampur, Delhi.

1	2	3
14.	86	H.No. 4193, Gali No. 11, Old Seelampur, Delhi.
15.	89	H.No. 3373, Gali No. 2, Old Seelampur, Delhi.
16.	90	H.No. 3557, Ajit Nagar, Old Seelampur, Delhi.
17.	94	H.No. 7634, Gali No. 2, Old Seelampur, Delhi.
18.	95	H.No. 4695, Gali No. 6, Old Seelampur, Delhi.
19.	96	H.No. 4012, Gali No. 17, Old Seelampur, Delhi.
20.	97	H.No. 4147, Gali No. 12, Old Seelampur, Delhi.
21.	98	H.No. 4095, Gali No. 16, Old Seelampur, Delhi.
22.	99	H.No. 4268, Gali No. 9A, Old Seelampur, Delhi.
23.	124	H.No. X/4388, Gali No. 8, Old Seelampur, Delhi.
24.	67	H.No. 5035, Gali No. 4, Old Seelampur, Delhi.
25.	69	H.No. 3938, Gali No. 14, Shanti Mohalla, Delhi.
26.	73	H.No. 3688, Gali No. 6, Shanti Mohalla, Delhi.
27.	77	H.No. 4964, Gali No. 5, Kaushik Puri, Delhi.
28.	81	H.No. 4959 Gali No.17, Kaushik Puri, Delhi.
29.	84	H.No. 5003 Gali No. 4, Kaushik Puri, Delhi.
30.	87	H.No. 3748/8 Gali No.8, Shanti Mohalla, Delhi.
31.	88	H.No. 3672 Gali No.7, Shanti Mohalla, Delhi.
32.	91	H.No. 4916 Purvi Seelampur, Delhi.
33.	92	XI/4928A/8BI Purvi, Old Seelam Pur, Delhi
34.	93	9/4875/1 Gali No. 1, Purvi Old Seelam Pur, Delhi
35.	110	H.No. 5133 Old Seelampur, Delhi.

1	2	3
36.	111	H.No. 4925/26 Gali No. 2, Old Seelampur, Delhi.
37.	112	H.No. 3764 Gali No. 4, Shanti Mohalla
38.	113	H.No. 4929 Gali No. 19, Shanti Mohalla
39.	114	H.No. 4424 Gali No. 22, Shanti Mohalla
40.	118	H.No. 4010 Gali No. 15, Shanti Mohalla
41.	119	H.No. 4924/A Gali No. 1, Kanti Nagar, Shahdara
42.	120	H.No. 4924/M Gali No. 4, Kanti Nagar, Shahdara
43.	121	H.No. B-146 C Gali No. 13, Kanti Nagar, Shahdara
44.	122	H.No. 4155 Gali No. 13, Shanti Mohalla Old Seelampur, Delhi
45.	123	H.No. 3989 Gali No. 14, Shanti Mohalla Old Seelampur, Delhi

क्र.सं.	आ. केन्द्र संख्या	पता
1	2	3
1.	68	वी–587 अरविन्द मोहल्ला गावड़ी।
2.	69	जे–3/69 जय प्रकाश नगर घोंडा
3.	70	बी–533 अरविंद मोहल्ला गावड़ी।
4.	71	एच–14ए जय प्रकाश नगर घोंडा
5.	91	661 भोला नाथ गली घोंडा।
6.	92	वी–79 उत्तरी घोंडा।
7.	93	63 अम्बेडकर बस्ती घोंडा।
8.	94	335 अम्बेडकर बस्ती घोंडा।
9.	95	बी–48/14 उत्तरी घोंडा।
10.	96	वी–75 खजूर वाली गली घोंडा।

1	2	3
11.	97	वी–187 गली नं. 8 ब्रह्मपुरी
12.	98	वी–212 अरविन्द मोहल्ला घोंडा।
13.	108	एक्सयू–32 राधेश्याम मंदिर अरविन्द मोहल्ला गावड़ी।
14.	101	वी–32/8 दयानंद गली घोंडा।
15.	102	वी–80/3 अरविन्द मोहल्ला घोंडा।
16.	105	वी–26 अरविन्द मोहल्ला गावड़ी।
17.	107	बी–37/6 ब्रह्मपुरी घोंडा।
18.	108	एच–58/3 ब्रह्मपुरी घोंडा।
19.	109	126/3 ब्रह्मपुरी घोंडा।
20.	110	एच–22 ब्रह्मपुरी घोंडा।
21.	111	एचएन–46 ब्रह्मपुरी घोंडा।
22.	112	एचएन–6 ब्रह्मपुरी घोंडा।
23.	113	एचएन–6/10 ब्रह्मपुरी घोंडा।
24.	114	एक्स 6/43/14 ब्रह्मपुरी घोंडा।
25.	115	एक्स 49 ब्रह्मपुरी घोंडा।
26.	116	एक्स 351/1 ब्रह्मपुरी घोंडा।
27.	117	एच–14/13 ब्रह्मपुरी घोंडा।
28.	118	एक्स 75/17 ब्रह्मपुरी घोंडा।
29.	119	एक्स 49/2 ब्रह्मपुरी घोंडा।
30.	120	एक्स 9/136/10 ब्रह्मपुरी घोंडा।
31.	129	ए–31/जे एंड के भाटिया गली मौजपुर
32.	130	1/32, पुरी गली मौजपुर।

1	2	3
33.	131	274/7 अशोक मोहल्ला मौजपुर।
34.	132	सी–15/5 अर्जुन मौहल्ला मौजपुर।
35.	133	132 चेतक गली मौजपुर।
36.	134	शिव मंदिर गली मौजपुर।
37.	135	ए–31/138 ई माता मंदिर गली मौजपुर।
38.	136	71/5 शिव मंदिर गली मौजपुर।
39.	137	122 अम्बेडकर गली मौजपुर।
40.	138	गली नं. 7 विजय मौहल्ला मौजपुर।
41.	139	119/5 अम्बेडकर बस्ती, मौजपुर।
42.	140	12ए/20बी गली नं. 10 विजय मौहल्ला मौजपुर।
43.	141	ए–19/20 गली नं. 10 विजय मौहल्ला मौजपुर।

हस्तसाल क्षेत्र की आंगनवाड़ी की सूची (कुल आंगनवाड़ी–23)

क्र.सं.	आं.	कार्यकर्ता का नाम	आ. वा. पता	बच्चे	औरत
1	2	3	4	5	6
1.	30	सुमनलता	बी–190 उत्तम नगर, हस्तसाल	110	24
2.	31	कमला शर्मा	बी–357 उत्तम नगर, हस्तसाल	83	16
3.	32	सरोज	बी–469 उत्तम नगर, हस्तसाल	79	15
4.	33	नारायणी	बी–710 उत्तम नगर, हस्तसाल	78	20
5.	34	कांता सरीन	सी–510 उत्तम नगर, हस्तसाल	76	24
6.	35	ऊषा	सी–467 उत्तम नगर, हस्तसाल	97	24
7.	36	सुरेश	सी–823 उत्तम नगर, हस्तसाल	98	24
8.	37	दुर्गेश	सी–240 उत्तम नगर, हस्तसाल	101	15

1	2	3	4	5	6
9.	38	इन्दु	ए–81 उत्तम नगर, हस्तसाल	60	25
10.	39	संतोष	ए–221 उत्तम नगर, हस्तसाल	101	20
11.	40	प्रेमलता	ए–525 उत्तम नगर, हस्तसाल	100	14
12.	41	किरन	जी आई 376 दाल मिल रोड़	96	20
13.	42	ओमवती	बी–17 हस्तसाल विहार	101	28
14.	43	कमलेश	सी–27 हस्तसाल विहार	91	20
15.	44	सुदेश	जी आई 256 दाल मिल रोड	96	13
16.	45	संतोष	जी आई हस्तसाल विहार	111	19
17.	46	सरला	टी कैम्प. 378 हस्तसाल	94	17
18.	47	शारदा	टी कैम्प. 547 हस्तसाल	81	18
19.	48	शशि अरोड़ा	टी कैम्प. 360 हस्तसाल	107	18
20.	49	अमृतपाल कौर	टी कैम्प. 585 हस्तसाल	102	18
21.	50	सरोज	टी कैम्प. 879 हस्तसाल	84	20
22.	51	सन्तरा	टी कैम्प. झुग्गी नं. 24	104	22
23.	52	कृष्णा	टी कैम्प. 249 हस्तसाल	97	15
				2147	419

सरकार द्वारा निम्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

1. स्कूल पूर्व शिक्षा
2. पूरक पोषाहार
3. टीकाकरण
4. स्वास्थ्य जांच
5. स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा
6. संदर्भ सेवाएं

66. श्री महेन्द्र यादव : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार एक विधान सभा क्षेत्र में 20 से ज्यादा विधवाओं को सहायता राशि दिलवाने के विधायकों के अधिकार पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) यह बजट की उपलब्धता पर आधारित है।

(ख) उपरोक्त के अनुसार।

67. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 1999–2000 व 2000–2001 (जुलाई 2000) तक कितने वृद्धों, अपंगों व विधवाओं को आर्थिक सहायता दी गई उनका विवरण;

(ख) पिछले दो सालों में कुल कितने आवेदन पत्र विभिन्न प्रकार की सहायता हेतु समाज कल्याण विभाग को प्राप्त हुए हैं;

(ग) कितने लोगों को इनमें से सहायता प्राप्त हो चुकी है; और

(घ) बाकी की सहायता प्राप्त न होने के क्या कारण हैं?

समाज कल्याण मंत्री : (क) करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 1999–2000 एवं 2000–2001 में जुलाई तक विभिन्न आर्थिक सहायता योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत किये गये मामले इस प्रकार हैं :

1.	वृद्धावस्था पेंशन वर्ष	99–2000	2000–2000 जुलाई तक
1.	वृद्धावस्था पेंशन	138	–
2.	विधवा आर्थिक सहायता	30	22
3.	वृद्ध एवं अपंग	16	5

(ख) पिछले दो वर्ष में विभिन्न आर्थिक सहायता योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण इस प्रकार है :

		98–99	1999–2000
1.	वृद्धावस्था पेंशन	295	175
2.	विधवा आर्थिक सहायता	16	52
3.	वृद्ध एवं अपंग सहायता	20	18
4.	क्षय रोगी आर्थिक सहायता	9	7
5.	विधवा के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति	14	18

(ग) विभिन्न आर्थिक सहायता के अंतर्गत दी गई सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :

		98–99	99–2000
1.	वृद्धावस्था पेंशन	281	138
2.	विधवा आर्थिक सहायता	16	30
3.	वृद्ध एवं अपंग आर्थिक सहायता	14	16
4.	क्षय रोगी आर्थिक सहायता	8	7
5.	विधवा के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति	12	10

(घ) प्रार्थना पत्र नियमानुसार पूर्ण न होने के कारण अस्वीकृत कर दिये गये हैं।

68. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) करावल नगर विधान सभा क्षेत्र में विधवाओं की लड़कियों की शादी के लिए कितनी विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता वर्ष 1999–2000 व 2000–2001 (जुलाई 2000 तक) प्रदान की गई;

(ख) उपर्युक्त वर्षों में अब तक कुल कितनी विधवाओं को इस तरह की सहायता दी जा चुकी है; और

(ग) इस योजना को अधिक कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

समाज कल्याण मंत्री : (क) करावल नगर क्षेत्र की वर्ष 1999–2000 के दौरान 5 विधवा महिलाओं को उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गई। जारी वित्त वर्ष में 31.7.2000 तक किसी भी विधवा महिला को सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(ख) वर्ष 1999–2000 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 601 विधवाओं को तथा जारी वित्त वर्ष में (31.7.2000 तक) 146 विधवाओं को इस योजना के अंतर्गत सहायता दी जा चुकी है।

(ग) इस योजना को अधिक कारगर बनाने तथा सहायता को शीघ्रता उपलब्ध कराने हेतु कुछ और कर्मचारियों को इस कार्य पर लगाया गया है तथा 1.11.2000 के उपरांत होने वाली लड़कियों की शादी पर आर्थिक सहायता 5000/– रुपये से बढ़ाकर 10,000/- रुपये कर दी गई है।

69. श्री भीष्म शर्मा : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु मिट्टी उपलब्ध न होने से पिछड़ा वर्ग समुदाय के प्रजापतियों का व्यवसाय लगभग बंद सा हो गया है;

(ख) इनको अन्य व्यवसाय करने हेतु आर्थिक सहायता देने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रकार की योजना कब तक बना दी जाएगी?

समाज कल्याण मंत्री : (क) मिट्टी आसानी से उपलब्ध न होने के कारण प्रजापति समुदाय को कुछ कठिनाई हो रही है।

(ख) दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रजापति समुदाय को मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1995–96 तक ऋण सुविधा दी जाती रही है। परंतु 1995–96 से सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेने के लिए उच्च स्तरीय समिति

(हाई पॉवर कमेटी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना तथा उसके बाद नगर निगम लाइसेंस (एम. सी. एल.) लेना अनिवार्य होने के कारण, अभी तक किसी भी प्रजापति ने मिट्टी बर्तन बनाने हेतु ऋण के लिए आवेदन नहीं किया है।

(ग) एक प्रजापति को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं के अंतर्गत 10.00 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता दी जा सकती है बशर्ते कि वह ऋण लेने की सभी शर्तें, मुख्यतः सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार नगर निगम लाईसेंस, पूरी करता हो। इसके अतिरिक्त इस वर्ष अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को ऋण देने की योजना बनाई गयी है जिसके अंतर्गत कोई भी अन्य पिछड़ा वर्ग का गरीब व्यक्ति ऋण प्राप्त कर सकेगा।

(घ) यह योजना शीघ्र ही आरंभ होने वाली है।

70. श्री रूप चंद : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) समाज कल्याण विभाग के लिए इस वर्ष कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है, नवबंर 2000 तक कितनी राशि खर्च हुई, उसका माहवार ब्यौरा क्या है;

(ख) समाज कल्याण के लिए क्या–क्या योजनाएं हैं;

(ग) समाज कल्याण विभाग में समाज कल्याण के लिए किस–किस योजना के लिए कितनी राशि खर्च की जाती है;

(घ) क्या यह सत्य है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजन बस्तियों में इस वर्ष एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो क्यों?

समाज कल्याण मंत्री : (क), (ख) एवं (ग) ब्यौरा संलग्न है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं होता।

Department of Social Welfare

Government of NCT of Delhi

Name of the Scheme (Headwise)	Budget Alloted	Expenditure incurred upto Sept. 2000
Major Welfare Head '2225 '		
Total Major Head '2225'		
of SC/ST	9409	3663
Total Head '2235'	9409	3663
Social Security & Welfare		
Direction & Administartion	16234	7791
Welfare of Handicapped	65381	22973
Child Welfare	63987	24473
Women Welfare	24838	9570
Welfare of Aged infirm & Destitute	94309	41692
Assistance to Voluntary Organisations	12400	1370
Other Expenditure	50299	8003
Correctional Services	1451	293
Total Major Head '2235'	328899	116165
Major Head '2236'		
Nutrition Programme	131592	19668
Total Major Head '2236'	131592	19668
Total Budget of DSW (Non-Plan)	469900	139496

Plan (Centrally Sponsored Schemes)

Name of the Scheme (Headwise)	Budget Alloted	Expenditure incurred upto October, 2000
ICDS A.2 (1) (3) (7)		
Opening Balance	135.83	
Ist Instalment	217	
IInd Instalment	224	
Total Budget of DSW (Plan)	576.83	462

71. श्री रूप चंद : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या नंद नगरी स्थित किसी संस्था को लड़कियों के कढ़ाई–बुनाई के प्रशिक्षण हेतु कोई प्रोजेक्ट दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी लड़कियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया;

(ग) प्रशिक्षण लेने वाली कितनी महिलाओं को प्रतिमाह कितने पैसे दिए गए;

(घ) कितनी राशि संस्था को दी गई है; और

(ङ) राशि क्या समय पर दी गई यदि नहीं, तो कौन–कौन से अधिकारी दोषी हैं?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) 111 (एक सौ ग्यारह)

(ग) प्रतिमाह कोई भुगतान नहीं किया गया।

(घ) रुपये 209790/– (दो लाख नौ हजार सात सौ नब्बे रुपये)

(ङ) राशि का भुगतान नियमानुसार समय पर किया गया (90 प्रतिशत)। शेष राशि (10 प्रतिशत) संस्था को प्रमाण पत्र वितरित करने के बाद किया जाएगा।

इस संदर्भ में कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

72. श्री रूप चंद : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) विधवाओं के लिये एकमुश्त राशि के लिये दिल्ली में कितने प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए;

(ख) अनुदान का भुगतान कब और कितना किया गया;

(ग) कितनी राशि विधवा महिलाओं के कल्याण के लिये रखी गई हैं तथा 7 नवंबर 2000 तक कितनी धनराशि खर्च हुई;

(घ) क्या विधायक के अलावा भी एकमुश्त राशि का फार्म दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो किसके माध्यम से ?

समाज कल्याण मंत्री : (क) वर्ष 1999–2000 में 2160 प्रार्थना–पत्र विधवाओं के लिये आर्थिक सहायता के अंतर्गत प्राप्त हुए।

(ख) वर्ष 1999–2000 में स्वीकृत 1841 मामलों में 1.70 करोड़ की राशि व्यय हुई।

(ग) चालू वित्त वर्ष में कुल 1.50 करोड़ में से नवंबर 2000 तक 49.40 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) निदेशक, समाज कल्याण के माध्यम से।

73. श्री माला राम गंगवाल : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दिनांक 27.3.2000 को संख्या 162 के जरिए माननीय समाज कल्याण मंत्री द्वारा दी गई ज़ानकारी के अनुसार समस्त दिल्ली में बनने वाले 70 मनोरंजन केन्द्रों में से कितने पूरे किए जा चुके हैं;

(ख) पूरे किए गए मनोरंजन केन्द्रों को कौन चला रहा है;

(ग) पश्चिम विहार के मनोरंजन केन्द्र का कार्य कब प्रारंभ किया जाएगा;

(घ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली नगर निगम दिल्ली सरकार के इन कार्यो के निष्पादन में कोई रूचि नहीं ले रही है;

(ङ) दिल्ली सरकार ने इन केन्द्रों का कार्य लोक निर्माण विभाग को क्यों नहीं सौंपा; और

(च) इस निर्माण कार्य की देखभाल और दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि से भूमि प्राप्त करने के लिए समन्वय कौन कर रहा है।

समाज कल्याण मंत्री : (क) दिल्ली नगर निगम के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 मनोरंजन केन्द्र बन गए है।

(ख) दिल्ली नगर निगम चला रहा है।

(ग) 1994–95 में दिल्ली नगर निगम को 40 मनोरंजन केन्द्र बनाने का पैसा दिया जा चुका है। इस निर्माण कार्य के उपरांत ही और पैसा जारी किया जाएगा जिसमें दिल्ली नगर निगम द्वारा पश्चिम विहार में या संबंधित विधान सभा के क्षेत्र में निर्माण कार्य हेतु पैसा मांगे जाने पर विभाग द्वारा दिया जाएगा।

(घ) दिल्ली नगर निगम के द्वारा निर्माण का कार्य किया जा रहा है पर प्रगति संतोषजनक नहीं है।

(ङ) योजना के अनुसार कम्युनिटी सेंटर में उपलब्ध भूमि पर ही मनोरंजन केन्द्र के निर्माण का प्रावधान है। अतः इनके निर्माण की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम को दी गई है।

(च) लागू नहीं होता।

74. श्री नंद किशोर गर्ग : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे देश में बिक्री कर की समान दरें होने के कारण किस किस मद में दिल्ली का राजस्व बढ़ा, विशेषकर खनिज तेल, वाहन, शराब आदि की मद में;

(ख) 31 मार्च, 1999, 31 मार्च, 2000 और 31 अक्तूबर, 2000 तक कुल कितना; और

(ग) भाग–क में उल्लेखित मदों से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ?

वित्त मंत्री : (क) जी हां, बिक्री कर की समान दरें लागू होने के कारण विभाग के कुल राजस्व में बढ़ोत्तरी हुई है तथा करीब करीब सभी मुख्य मदों जैसे की खनिज तेल, वाहन व शराब, सभी के राजस्व में बढ़ोत्तरी हुई है।

(ख) 31.3.1999 तक 2113.76 करोड़ रुपये, 31.3.2000 तक 2513.27 करोड़ रुपये और 31.10.2000 तक 1417.14 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति है।

(ग)

(लाख रुपयों में)

	1998–99	1999–2000	4.2000 से 31.10.2000
डीजल आयल	7948.63	10198.21	7865.89
पेट्रोल	30865.82	42555.14	33171.17
वाहन	10212.18	10286.26	9550.32
शराब	8095.99	8913.28	6948.64

75. श्री ब्रहम पाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार बिक्री–कर मूल्यांकन हेतु वैट प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है;

(ख) वर्तमान प्रणाली की अपेक्षा नई प्रणाली लागू करने से क्या लाभ होंगे;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इससे राजस्व में कमी आयेगी तथा कर–प्रणाली को लागू करने से अत्यधिक हानि होगी; और

(घ) इस घाटे को रोकने और राजस्व के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री : (क) जी हां।

(ख) नई प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ हैं।

1. डीलरों को वैधानिक फार्म, जैसे कि एस टी–1 व एस टी–35 लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

2. यह प्रणाली मुख्यतः स्वतः कर निर्धारण पर आधारित है। "रिस्क

एनालायसिस' के आधार पर कुछ विशेष व्यापारियों की पहचान करके उनका संपूर्ण कर-निर्धारण किया जाता है।

3. वैट प्रणाली से दिल्ली के वितरक स्वरूप को प्रोत्साहन मिलेगा।

4. कर चोरी की संभावना में कमी आयेगी।

(ग) ऐसा अपेक्षित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

76. श्री भीष्म शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घोंडा विधान सभा क्षेत्र में उन दुकानों की संख्या क्या है जो कि बिक्री कर विभाग में पंजीकृत है;

(ख) क्या यह सत्य है कि जो व्यापारी बिक्री कर विभाग में पंजीकृत होने योग्य है लेकिन विभाग में पंजीकृत नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो अपंजीकृत व्यापारियों की संख्या कितनी है व इनके पंजीकरण के लिए विभाग ने अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री : (क) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र को बिक्री कर सुविधा के लिए 106 क्षेत्रों मे बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र में जो मनुष्य बाजार, सड़कों पर बाजार और अन्य दुकानें, प्रतिष्ठान और औद्योगिक इकाइयां आदि हैं उन्हें बिक्री कर हेतु व्यापारियों की सुविधा के लिए इन क्षेत्रों में आबंटित किया गया है। अतः किसी विशेष क्षेत्र के विधान सभा क्षेत्र के अनुरूप डीलर्स का वर्गीकरण असंभव है। अतः घोंडा विधान सभा क्षेत्र के पंजीकृत दुकानों की संख्या बताना विभाग के लिये संभव नहीं है।

(ख) ऐसा संभव है, हालांकि ऐसे व्यापारी के होने के पता चलने पर उसके खिलाफ कारवाई की जाती है।

(ग) अपंजीकृत व्यापारियों की संख्या बताना संभव नहीं है।

1. समय-समय पर सर्वे किये जाते हैं व अपंजीकृत व्यापारियों का पता लगाया जाता है।

2. पंजीकरण के लिये विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में पंजीकरण कैम्प का भी आयोजन किया गया है।

3. पता चलने पर ऐसे व्यापारियों पर बिक्री कर अधिनियम की 23(6) धारा में कार्रवाई की जा रही है।

77. डॉ. हर्षवर्धन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष सरकार द्वारा कितना बिक्री कर वसूल किया गया और उसका लक्ष्य क्या था;

(ख) इस वर्ष अब तक कितना बिक्री कर वसूला गया है;

(ग) सरकार इस बारे में क्या कर रही है; और

(घ) बिक्री कर वसूलने के नाम पर व्यापारियों को परेशान न किया जाये रिश्वतखोरी न हो इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री : (क) सरकार का पिछले वर्ष का बिक्री कर का लक्ष्य 2550 करोड़ रुपये था और विभाग द्वारा 2513 करोड़ रुपये की वसूली की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रणाली में संशोधन के कारण इन आंकड़ों को रिकॉन्साइल किया जा रहा है।

(ख) इस वर्ष 14.11.2000 तक बिक्री कर 1573.71 करोड़ रुपये वसूल किया गया है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इसमें 31.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) लक्ष्य पूरा करने का सतत् प्रयास किया जा रहा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी संभावना है।

(घ) प्रश्न में उठाये गये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न कदम उठाये गये हैं :

1. विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के फार्म जारी करने की विधि का सरलीकरण कर दिया गया ह।

2. फार्म की वैधानिक सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।

3. समरी एसेसमैंट (स्वयं कर निर्धारण स्कीम) की सीमा को बढ़ाकर 30 लाख रुपये से 50 लाख रुपये कर दिया गया है।

4. एसेसमैंट के समय को 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया है।

78. श्री रमाकांत गोस्वामी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सिख गुरूदवारा प्रबंधक कमेटी के आम चुनाव अनिश्चित काल तक के लिए टल गए हैं; और

(ख) क्या चुनाव करवाने में कोई राजनीतिक अड़चन पैदा की जा रही है?

वित्त मंत्री : (क) जी नहीं, दिल्ली सिख गुरूदवारा अधिनियम 1971 में संशोधन करने के लिए काफी सुझाव प्राप्त हुए हैं। न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष करने के लिये संशोधित अधिनियम माननीय राष्ट्रपति जी की सहमति के लिये भारत सरकार के पास विचाराधीन है। इन सब पर निर्णय के बाद दिल्ली सिख गुरूदवारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की तारीख सरकार द्वारा निश्चित कीं जायेगी।

(ख) जी नहीं।

सदन पटल पर प्रस्तुत पत्र/समितियों के प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण/विधेयकों का पुरःस्थापन

सदन पटल पर प्रस्तुत पत्र

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। वित्त मंत्री जी अब आप सदन पर पेपर्स रखिये।

Finance Minister : Sir, with your permission. I lay on the Table of the House a copy of 'The Delhi Sales Tax (Second Amendment) Ordinance, 2000. *

अध्यक्ष महोदय : उद्योग मंत्री जी।

Minister of Industry : Hon'ble Speaker, Sir, with your permission I lay on the Table of the House a copy of The Delhi Electricity Reforms Ordinance, 2000. *

* Copies available at Library Nos. 6240, 6239.

अध्यक्ष महोदय अब अजय माकन जी बिजनिस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन पटल पर रखेंगे।

Shri Ajay Makan : Hon'ble Speaker, Sir, I present the Fifth Report of the Business Advisory Committee to the House. *

अध्यक्ष महोदय : अब मगत राम सिंघल जी गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक एवं संकल्पों संबंधी समिति की रिपोर्ट * सदन पटल पर रखेंगे।

श्री मंगत राम सिंघल : अध्यक्ष महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक एवं संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन सदन पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुख्यमंत्री जी।

Chief Minister : Sir, I beg to move for leave to introduce 'The Delhi Prisons Bill, 2000 (Bill No. 12 of 2000). *

अध्यक्ष महोदय : ये प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ।

Chief Minister : Sir, I beg to move your permission to introduce the Bill.

अध्यक्ष महोदय : उद्योग मंत्री।

Minister of Industry : Hon'ble Speaker, Sir, with your permission I move for leave to introduce the House 'The Delhi Electricity Reforms Bill, 2000. *

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ।

---

* Copies available at Library Nos. 6240, 6239.

अब ऊर्जा मंत्री विधेयक सदन में पुरःस्थापित करेंगे।

Minister of Industry : Hon'ble Speaker, Sir, with your permission I introduce 'The Delhi Electricity Reform Bill, 2000.

अल्पकालिक चर्चा

औद्योगिक इकाइयों के बंद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा

अध्यक्ष महोदय : मुखी जी, चर्चा शुरू कीजिए।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, आज रिहायशी क्षेत्र के अन्तर्गत जो औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं, इस मुद्दे को लेकर गत लगभग 4–5 सालों से विवाद भी खड़ा हुआ है, विभिन्न आदेश सुप्रीम कोर्ट के आये हुए हैं। उन्हें मुद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने भी अनेक निर्णय लिये हैं और उसकी जो प्रतिक्रिया जनता पर हुई है, वह हम सब ने देख ली है, यह जनता का एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस मुद्दे पर अपनी बात प्रारम्भ करने से पूर्व आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। हमें निश्चित रूप से याद होगा, कुछ माननीय सदस्य हमारे बीच में बैठे हैं, जो पहले भी सदस्य थे। सुप्रीम कोर्ट का पहला आदेश 1996 में आया, जिसमें यह कहा गया था कि 1 जनवरी, 1997 तक ऐसी सारी औद्योगिक इकाइयां जो रिहायशी क्षेत्रों में चल रही हैं या नॉन–कन्फर्मिंग क्षेत्रों में चल रही हैं, उनको बन्द कर दिया जाये, जिस समय यह आदेश मिला 1.1.97 का, उस समय हम सत्ता में थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यह एक ऐसा आदेश था जिससे पूरी की पूरी दिल्ली हिल गयी होगी कि जिन लाखों वर्कर्स की रोजी–रोटी इन औद्योगिक इकाइयों पर निर्भर करती है, वह कहां जायेंगे? बीस लाख लोगों की रोजी–रोटी का सवाल था, अध्यक्ष महोदय, उसे मद्देनजर रखते हुए हमने तुरन्त कार्रवाई की, हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपील की थी कि आपकी मंशा इन उद्योगों को दिल्ली से बाहर करने की है या इनको दिल्ली में स्थापित करें, क्या इसमें आपको एतराज होगा, माननीय न्यायालय का उस समय बड़ा स्पष्ट मत

था कि हमें इसमें कोई एतराज नहीं है, हमें तो केवल एतराज यह है कि जो दिल्ली की मास्टर प्लान है, उसकी उल्लंघन इसमें हो रही है। इसलिए आप इसकी उल्लंघन न करें, आप उन्हें दिल्ली में बसाना चाहते हैं तो बसाइये। उस समय हमने उनके सामने अपील की थी कि वर्तमान मास्टर प्लान में जो 31 मार्च, 2001 तक चलेगा, इसके अन्तर्गत 4 हजार एकड़ भूमि एक्विजिशन करके उसे औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने पूछा कि यह क्यों नहीं किया गया। स्वाभाविक है कि हमें बताना पड़ा कि हमारे से पूर्व जो सरकार सत्ता में थी, जिसमें माननीय जगप्रवेशचन्द्र जी सी.ई.सी. थे, उस समय की सरकार ने यह निर्णय लिया था कि दिल्ली में भविष्य में कोई भी इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलप नहीं किया जाएगा।

यह हॉउस का रिकॉर्ड है। इस कारण से पिछले काफी अर्से से कोई औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं किया और जगह–जगह रिहायशी क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां चलने लगी। हमने उनसे अनुमति मांगी कि आप इसे अनुमति दीजिए कि हम 4 हजार एकड़ जमीन एक्वायर करके इण्डस्ट्रियल एस्टेट डेवलप करके और वहां पर उनको रिलोकेट करें। न्यायालय का मत यह था कि हम तुरन्त ही हां नहीं करते। 10–15 दिन हम आपको देखेंगे कि आप क्या करते हैं। उसके पश्चात 10–15 दिन के बाद वापस आइये। हमने 15 दिन नहीं, केवल एक सप्ताह के अन्दर सौ करोड़ रूपये जमा कराये और अपनी इन्टैन्शन एस्टेब्लिस की कि हम उन्हें एक्विजिशन करके सारी यूनिट्स को दिल्ली में रिइन्स्टेट करना चाहते हैं। वह भी न्यायालय का रिकॉर्ड है। उस समय न्यायालय ने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की कि जिस गति से आपने काम किया है। उससे हमें विश्वास है कि दिल्ली की सरकार चाहती है कि उनको रिइन्स्टेट किया जाये। इसलिए आपको दो साल का समय दिया जाता है और दो साल का समय दे दिया। उस दो साल के समय हम पूरे समय सत्ता में नहीं रहे। 6 महीने कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गयी। हमें कुछ समय मिला, उस समय हमने व्यवस्था की।

लैंड एक्वायर करने से पूर्व लैंड को आईडेंटीफाई करना कि कहां पर इतनी सारी जगह मिल सकती है वह सब हमने किया और हम 1300 एकड़ जमीन हमने एक्वायर कर ली उसके पश्चात कोर्ट ने हमें यह भी कहा था कि आप हमें क्वाटरली

रिपोर्ट कीजिएगा कि आपने इस क्षेत्र के अंदर क्या प्रोगरेस की है। आप हर एक्वायर करने में कामयाब भी हुए, 1300 एकड़ जमीन हमने तीन महीने के पश्चात् हमें रिपोर्ट दीजिएगा और हर तीन महीने बाद हम प्रोगरेस रिपोर्ट देते रहे। मैं जानना चाहता हूं कि यदि उस समय न्यायालय का दृष्टिकोण यह था कि सरकार को उद्योगों को रि–लोकेट करने के लिए समय दिया जाना चाहिए तो आज समय क्यों नहीं दिया गया? अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि इस गत दो साल के अंतर्गत इस दिल्ली की सरकार के अंदर जो मेरे बंधु बैठे हुए हैं उन्होंने कुछ भी इसके अंतर्गत नहीं किया है। उस 1300 एकड़ को आज तक विकसित नहीं किया, आज तक वहां पर एक ईट भी नहीं रखी गयी। माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि हमने भी 800 एकड़ जमीन एक्वायर की है, मैं सहमत हुआ उनसे जब उन्होंने कहा, कितनी हुई है यह वह बताएंगे किंतु मेरी जानकारी में अभी तक यही है कि जो 1300 एकड़ जमीन एक्वायर की गयी थी उसमें आज तक एक ईट भी नहीं रखी गयी है और जो क्वाटरली रिपोर्ट उनको सुप्रीम कोर्ट को देनी चाहिए थी वो आज तक नहीं दी गयी है। इसीलिए सुप्रीम कोई ने दिल्ली सरकार के इस नकारात्मक रवैये से नाराज होकर के, मजबूर होकर इस प्रकार के आदेश जारी किये हैं कि उद्योग बंद किये जाएं। अध्यक्ष महोदय, यह पहला आदेश नहीं है। हमारे समय में भी एक आदेश आया था और हमें समय मिल गया तो हमने वह काम कर के दिखाया। उसके पश्चात् तीन आदेश आ चुके हैं। एक आदेश आया, 3.8.99 को तब भी इन्हीं की सरकार थी। दूसरा आदेश आया 30.8.2000 को तब भी इन्हीं की सरकार थी। तीसरा आदेश आया 12.9.2000 को और तब भी इन्हीं की सरकार थी। इसके बाद चौथा आदेश आया पिछली 14 तारीख को तब भी इन्हीं की सरकार थी। लास्ट आदेश जो दिया है मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं जो कि 12.9.2000 को आया था और वो था कि प्रदूषित इकाईयों को बंद किया जाए। यह जो लास्ट आदेश 14 तारीख को दिया गया जिसके कारण यह सारा हैविक दिल्ली सरकार के कारण हुआ है, मैं उसकी की चर्चा करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का यह जो जजमेंट या रूलिंग हैं, जो आदेश हैं वो मेरे पास हैं और उसमें से मैं केवल मात्र दो वाक्य पढ़ना चाहता हूं कि जो लास्ट के आर्डर के हैं। इसमें यह बड़ा ही स्पष्ट कहा गया है कि कन्टैंम्ट का नोटिस चीफ सैक्रेटरी और एम.सी.डी. कमिश्नर पर को

on the part of NCT of Delhi and for the non-compliance of the various orders passed by the Court starting from 1996, 1999-2000 and September 2000 regarding the closure of the polluting units situated in the residential area. बड़ा स्पष्ट नोटिस है किंतु मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार ने यह नोटिस कैसे दे दिया कि दिल्ली के रिहायशी क्षेत्र के अंदर, जितनी भी औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं उनको तुरंत बंद किया जाये। मैंने मुख्य मंत्री जी से बात की उनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया कि आपकी सरकार ने यह बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है जिसके कारण पूरी दिल्ली चारों तरफ से धधक रही है। आज आप देखिएगा जाकर, आपका यह निर्देश ठीक नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश केवल मात्र प्रदूषित इकाइयों को बंद करने के लिए था लेकिन आपकी सरकार सारी यूनिट्स को बंद करने के लिए क्या कदम उठा रही है, इन्होंने इस बात को माना और कहा कि मुखी जी मैं इस बात को देखती हूं और उन्होंने तुरंत जाकर के मीटिंग भी की, मुझे मालूम है कि मीटिंग की और उन्होंने इस बात को माना कि कन्फ्यूजन था जिसकी वजह से यह सब हुआ किंतु अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के यह कहने से कि कन्फ्यूजन था इसलिए ऐसा हो गया, यह कहना पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं और दिल्ली के अंदर तीन जानें गई उसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। आज दिल्ली के अंदर करोड़ों रूपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है उसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं और अगर आप इस बात से बचना चाहते हैं कि यह मेरे आदेश नही थे, यह मुख्य सचिव ने मीटिंग की थी, उन्होंने आदेश दिए तो मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि बिना मुख्य मंत्री के कंसलटेंट के इतना बड़ा निर्णय लेकर इम्लीमेंटेशन कर देंगे ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे वो भी याद है जब पिछली बार मुख्य मंत्री अपने एक मुख्य सचिव के ऊपर बहुत नाराज थीं, जिन्होंने विजय कुमार मल्होत्रा की दूसरी रिपोर्ट के बारे में यह लिख कर केंद्रिय मंत्रालय को लिखकर भेज दिया कि हमें स्वीकार नहीं है और हमें इस पर इम्लीमेंटेशन नहीं करना। इसके बारे में जब मुख्य मंत्री जी से बात की तो उन्होंने कहा कि यह मेरी जानकारी में नहीं है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि मेरे मुख्य सचिव ने बिना मेरी जानकारी के कैसे दे दिया और अल्टीमेटली उन्होंने उस मुख्य

सचिव की छुट्टी कर दी, उन्होंने मुझ से यह कहा था। मैं जानना चाहता हूं कि आज यहां पर या मुख्य मंत्री इस्तीफा दें या फिर अपने मुख्य सचिव को यहां से रूखसत करें इससे शोर्ट पर अध्यक्ष महोदय और कोई बात नहीं हो सकती। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर यह नुकसान हुआ है इसे कम पर कोई बात नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय .....*अंतरबाधाएं*.....। वो भी आ रहा है मैं उस पर भी आ रहा हूं मैं हर बात का जवाब दूंगा लेकिन पहले मुझे बोलने तो दीजिए। आपको बड़ा समय मिलेगा .....*अंतरबाधाएं*.....

अध्यक्ष महोदय : बीच में टोकाटाकी मत कीजिए। अगर आपको कुछ बोलना है तो नाम भेज दीजिए पर बीच में मत बोलिए। उन्हें बोलने दीजिए।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इन्होंने जो बात की मैं उसका जवाब दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी ही बात का जवाब दें।

डॉ. जगदीश मुखी : ठीक है अपने प्रश्न का जवाब देता हूं। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में कांग्रेस बंधुओं ने सोचा कि ये तो मरा हुआ सांप है और इसको डाल दें इनके गले में और पब्लिक इनके जिम्मे पड़ जाएगी पर शायद इनको पता नहीं था कि उल्टे इनके गले में ही पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि नोडल एजेंसी केंद्रीय सरकार को बना दिया है अब तो वही भुगतेंगे, चुप करके बैठ जाओ। अध्यक्ष महोदय, यह संभव नहीं है। जो यह कहते हैं कि आज इंडस्ट्रीयल यूनिटस के लाइसेंस म्यूनिसिपल कमीशनर ने रद्द किये हैं तो क्या बिना बात के किये हैं, नहीं, यह आप के आर्डर से किये हैं, मुख्य सचिव के आर्डर से किये हैं, सबकी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किये हैं आपकी पार्टी के भी सभी सदस्य हैं। एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करे कि हम किसी भी, जो कारपोरेशन के हमारे कर्मचारी हैं किसी यूनिट को सील करने के लिए नहीं हैं। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है और दिल्ली के हित में क्या है। कल भी हम इस बारे में डिस्कशन चाहते थे कि यहां मिल बैठकर के कुछ ऐसा करें दिल्ली के उद्योगों के साथ जो नॉन-कंफर्मिंग क्षेत्र के अंदर उद्योग हैं उनके साथ जो ज्यादती हो रही है उसका कुछ सॉल्यूशन निकाले। तो आप कहेंगे कि जगमोहन का कसूर है, और हम कहेंगे

कि मुख्य मंत्री का कसूर है तो केवल बात बनने वाली नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। हमारी मुख्य मंत्री जो वहां बैठी हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती हैं किंतु देखना है कि जिम्मेवारी किसकी है। जिसकी जहां पर गलती होगी हम उसको वहां पर पिन–पाइंट करेंगे। यह जो बार–बार चर्चा की जा रही है मास्टर प्लान चेंज हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। जगमोहन जी मास्टर प्लान चेंज नहीं कर रहे हैं, यह धारणा हटा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, यह वास्तविकता से बहुत परे है। हमने उनसे जाकर के बात की वे कहते हैं कि मैं उद्योग को स्थापित करने के लिए मास्टर प्लान को एक बार नहीं दस बार चेंज करने के लिए तैयार हूं किंतु जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपना प्रस्ताव भेजा है हमें वो स्वीकार नहीं है। सलेक्टिड एरिया ले लिये उनको आप इंस्ट्रीयल एरिया डिक्लीयर करो इनके लिए मास्टर प्लान चेंज करो। क्यों करें? आपने एफीडेविट दे रखा है, सरकार ने एफीडेविट दे रखा है कि हम इनल सारी औद्योगिक इकाइयों को रि–सेटल करेंगे। आप अपने एफीडेविट से परे जा रह हैं। आपने एफीडेविट दे रखा है सारी इकाइयों को लेकर के रि–सेटल करेंगे और आज आप कहते हैं कि इनको वहीं रहने दीजिए। यदि आपको एडीशनल लैंड चाहिए, 4,000 एक्वायर तो आप अधिकृत लैंड एक्वायर करेंगे जो आप आज तक नहीं कर सके। लेकिन जगमोहन जी का यह कहना है कि आपको चार हजार की भी अनुमति देंगे, मास्टर प्लान चेंज करना पड़ा तो करेंगे और करने के लिए तैयार हैं। किंतु हमने उन्हें कहा कि आज तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं प्रदूषित इकाईयों को बंद करने के लिए जगह चाहिए क्योंकि उनको भी कहीं शिफ्ट करना होगा, उनको बंद करने के आदेश हैं उनको बचाने के लिए कारगर फार्मूला चाहिए। विशेषकर जो छोटे–छोटे उद्योग हैं जिस पर दो लेथ मशीन लगा रखी है, कोई एक शेपर लगा रखा है। 40 गज के अंदर चल रहे है, 25 गज के अंदर चल रहे हैं, 10 मजदूर लगे हुए हैं, पांच मजदूर लगे हुए, चार मजदूर लगे हुए हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। उनको शाम को रोटी मिलती है जब वो मजदूरी करके जाते हैं तब अपने परिवार को, बच्चों को खिलाते हैं, हमने उनके सामने यह बात रखी, दिल्ली सरकार के सामने यह बात रखी तो दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने 14 एरिया सेलेक्ट कर लिये हैं उसके लिए मास्टर प्लान चेंज कर दें, गलत ढंग से पिक्चर को पाइंट किया गया है, अध्यक्ष महोदय,

यदि हम उद्योगों को कोई राहत देना चाहते हैं तो हमें यह चाहिए कि जगदीश सागर कमेटी की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से इम्पलीमेंट किया जाये।

अध्यक्ष जी, हमें प्रसन्नता है कि श्री जगमोहन जी ने स्वीकार किया है और वे शायद बिल भी लाएंगे या आर्डिनेंस लायेंगे। आज उनका वहां पर स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट में क्या हुआ है यह तो आपको पता लग जायेगा मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जब आप ठोस बात ही नहीं करेंगे, केस प्रेजेंट ही नहीं करेंगे, केवल मात्र राजनीति करेंगे और केवल ब्लेम करेंगे तो कौन सहन करेगा, आपने पब्लिक का इतना रिएक्शन देखा। वह सब आपके इस काले कारनामे के कारण हुआ। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के गलत इंटरपटेशन के कारण ही यह सारा हुआ है। जिसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। मैं फिर से वही आना चाहता हूं। जगदीश सागर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अन्दर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज की डेफीनेशन में परिवर्तन करने की बात है। आज हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज को हम दिल्ली से बाहर नहीं कर सकते, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाउस होल्ड इंडस्ट्री की जो परिभाषा है आज की तारीख में वह है एक कि.वा. पावर का कनेक्शन हो और उसमें 5 व्यक्ति काम करते हों। इस परिभाषा को बदलने के बारे में कमेटी की रिपोर्ट में जो मेंशन किया गया है कि अगर 5 कि.वा. यदि होगा तो हम उसे हाउस होल्ड इंडस्ट्री करार देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इससे अच्छा और कोई हल नहीं निकल सकता था। आज दिल्ली के उद्योगों की जो समस्या है जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं मैं समझता हूं कि 70 प्रतिशत उद्योगों की समस्या का हल तो इस रिपोर्ट के स्वीकार करने के साथ हो गया जिसकी आज तक इस दिल्ली सरकार ने चिंता नहीं की थी.....

अध्यक्ष महोदय : मुखी जी आप अपनी बात समाप्त करिए, आप सभी बाते कह चुके हैं और भी बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक प्वाइंट करना चाहता हूं कि कल भी हम इस पर चर्चा करना चाहते थे और ईमानदारी से चर्चा करना चाहते थे क्योंकि मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी के सभी मिनिस्टर कटघरे के अंदर खड़े हुए थे, फंसे हुए थे गले तक, क्योंकि जो कल घटना घटी उसके लिए वे व्यक्तिगत

रूप से जिम्मेदार हैं. वे उससे बचना चाहते थे मैं जानना चाहता हूं और आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार का सदन के अंदर जो प्रस्ताव आया है कि हाउस को स्थगित कर हम प्रधानमंत्री जी से मिलने जाएंगे, मैं कहना चाहता हूं कि आप हमें भी कांफीडेंश में लेते तो हम भी आपके साथ प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते, आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और आपके मिलने का समय 5.30 बजे का था आप 2.00 बजे सदन को स्थगित करना चाहते हैं आप क्या करना चाहते हैं, उसके पीछे क्या लाजिक था और मुख्यमंत्री जी वहां पर क्या संदेश देकर आई हैं और उनके साथ 70 में से केवल मात्र 22 लोग हैं इस विषय के ऊपर, क्या यही संदेश मुख्य मंत्री जी वहां पर देना चाहती थीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे केन्द्रीय मंत्री श्रीमान जगमोहन जी को बधाई देना चाहता हूं कि इतने लंबे अरसे से लटकी हुई समस्या का समाधान अल्टीमेटली हमारी सरकार ने आपको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुकेश शर्मा। मुकेश जी आप एक मिनट ठहरिए, पहले मुझे एक सूचना सदन को देनी है। माननीय सदस्यगण मुझे सदन को यह सूचित करना है कि मुझे दिल्ली पुलिस से कल शाम को एक वायरलैस मैसिज प्राप्त हुआ जिसके द्वारा उन्होंने सूचित किया है कि कांग्रेस के श्री दीपचंद बंधु के नेतृत्व में 18 विधायकों के साथ प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शन करने पर 21.11.2000 को 16.05 बजे गिरफ्तार किया गया और उन्हें 16.30 बजे छोड़ दिया गया।

श्री शुएब इकबाल : अध्यक्ष महोदय, हम भी गिरफ्तार हुए थे और हमने भी अपना प्रोटैस्ट किया था, दिल्ली पुलिस यह क्या कार्य कर रही है.....

अध्यक्ष महोदय : देखिए यह सूचना हमें वायरलैस से प्राप्त हुई, मैं आपके मामले में पता करवा लूंगा, आप बैठ जाइए।

नियम 114(1) के अनुसार एक बधाई संदेश श्री अरविन्दर सिंह लवली व श्री भीष्म शर्मा की ओर से प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने विधान सभा भवन की बहुत कम समय में सुन्दरता बढाए जाने पर बधाई दी है क्योंकि यह सम्माननीय काम है

इसलिए मैं इसका उल्लेख सदन में करके सदन की ओर से उनको बधाई देना चाहता हूं।

श्री अरविन्दर सिंह लवली : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। यह आपका बधाई पत्र था जिसे सदन में सुना दिया गया है। आप बैठिए। भीष्म जी आप बैठिए। मुकेश जी आप बोलिए.... लवली जी इस पर चर्चा नहीं होती है, आप बैठिए। जो आपने प्रस्ताव दिया था उसे मैंने सदन में पढ़कर सुना दिया है अब बात समाप्त हो गई। आप बैठिए। मुकेश जी आप बोलिए।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि कल जो एजेंडे में डॉ. जगदीश मुखी और मेरे नाम से जो दिल्ली के उद्योगों को लेकर चर्चा मांगी गई थी आपने उसे आज चर्चा के लिए स्वीकार किया है। अध्यक्ष जी, दिल्ली के उद्योगों के उद्योगों के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में 1996 में जब यह मामला शुरू हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है कि देश के तमाम अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर खबर छपी, हमारे बहुत ही अच्छे साथी और दिल्ली के पूर्व उद्योग मंत्री जो लड़ाई में लगातार सरीक भी रहे हैं, श्री एच.एस. बल्ली की फैक्टरी को सबसे पहले नोटिस दिल्ली की अदालत की तरफ से दिया गया। उसके बाद यह सिलसिला शुरू हुआ और 1996 में जब मामला अदालत में शुरू हुआ तो अध्यक्ष जी अभी हमारे विपक्ष के नेता कह रहे थे कि अदालत में सही पक्ष को नहीं रखा गया, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूं कि अदालत में सही पक्ष हमने नहीं रखा। क्योंकि अध्यक्ष जी, सच बात यह है कि 1996 में जब यह मामला शुरू हुआ और 1997 में जब वह आदेश आया उसके बाद से लगातार अदालत में जिस तरीके से अनधिकृत कालोनियों के मुद्दे पर अदालत में सही तथ्य नहीं रखे गये और ऐसे हालात बनाए, ठीक वही हालात राजधानी की इन फैक्टरियों को लेकर बने। सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक आदेश जारी किए। मुखी जी ने कहा कि 899, वह मेरे पास भी आदेश हैं, इस आदेश को बारबार घुमाया जा रहा है। राजनैतिक रूप से दिल्ली के बाहर शहर के अन्दर अपने मतदाताओं के सामने अपनी इज्जत को बचाने के लिए हर राजनीतिक व्यक्ति एक ही बात कह रहा है कि साहब दिल्ली की

पोलिटिड यूनिट्स को बंद करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अध्यक्ष जी, इस आर्डर में कहीं न कहीं यह जिक्र है कि जो भी मास्टर प्लान को या जो भी रिहायशी क्षेत्र में मास्टर प्लान के रूल को वाइलेट करके इंडस्ट्री दिल्ली में चल रही हैं उन तमाम इंडस्ट्रीज को दिल्ली में बंद करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश कह रहा है। इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है। अध्यक्ष जी, राजनीतिक रूप से अपनी जान बचाने के लिए हम, विपक्ष के नेता ने आरोप लगाएं कि साहब दिल्ली सरकार के नॉन पोलीटिड यूनिट भी बंद करा दिए या यह आरोप लगाया जाए कि पोलीटिड यूनिट का आर्डर था इसलिए नान पोलीटिड यूनिट को हमारी सरकार के एस.डी.एम. जाकर बंद कर रहे थे इस बहस में न पड़ कर पहला प्रश्न इस बात का है कि 14.11.2000 के आदेश से पहले सुप्रीम कोर्ट में 1996 से 2000 तक जब चार साल से यह मामला चल रहा था आखिर 14 तारीख की रात को ऐसी कौन सी मुसीबत और आ गई थी कि दिल्ली के अन्दर सरकारी आदेश दे दिए गए और पूरी दिल्ली की सड़कों पर आग लग गई और पूरी दिल्ली सड़कों पर निकल आई। पूरी दिल्ली बंद हो गई, दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई। आम आदमी अपने आपको ठगा सा महसूस करने लगा। अगर ये आदेश 14 तारीख को होने थे तो हम जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कोई नये आर्डर नहीं दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आर्डर्स का हवाला देकर यह कहा है कि 28 तारीख को दिल्ली के चीफ सेकेट्री और कमिश्नर एम.सी.डी. सुप्रीम कोर्ट में पर्सनली एपियर होंगे और उनके खिलाफ क्यों न कंटेम्प लगाया जाये। अध्यक्ष जी मैं एक बात जानना चाहता हूं कि यह चुना हुआ हाउस है दिल्ली के लोगों ने हमको चुनकर भेजा है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि दिल्ली में सरकार किस पार्टी की है, सवाल इस बात का है कि जब कंडक्ट दिल्ली के चीफ सेक्रेटी और कमिश्नर एम.सी.डी. पर बनेगा तो साहब दिल्ली के सी.एम. और कमिश्नर एम.सी.डी. रात को आदेश देंगे कि दिल्ली में हमने लाइसेंस रद्द कर दिए हैं और सुबह दनादन हमारे एस.डी.एम., कारपोरेशन कमिश्नर के आफिसर फैक्टरियों में जायेंगे और उनमें दनादन सील लगायेंगे। और हम पोलिटीकल लोग हाथों में चूड़ियां पहन कर यह कह कर कि साहब हम पर कंटेम्प लग गयी उन्होंने आर्डर कर दिया। हम क्या करें। अध्यक्ष जी, इससे काम चलने वाला नहीं है। अध्यक्ष जी,

दिल्ली में राजनीतिक रूप से हमारी जवाबदेही है। हम दिल्ली के लोगों को यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि दिल्ली के चीफ सैक्रेटरी के है। दिल्ली में चुनी हुयी जवाबदेही सरकार है। मैं जानना चाहता हूं कि 14 तारीख से पहले यदि लग रहा था कि कंटेम्पट बनेगी जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट के मामले में कहा था 14 तारीख से पहले लीगल कार्रवाई क्यों नहीं हुयी। अध्यक्ष जी, मैं निवेदन के तौर पर कहना चाहता हूं कि जो ब्यूरोक्रेट्स, जो अफसर, जो लोग इस बात के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने दिल्ली के अंदर आज यह हालात पैदा किये हैं, 1996 से 2000 तक जिन लोगों ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं चाहे वह छोटा अफसर है, चाहे बड़ा अफसर है उन तमाम आफीसर्स की लिस्ट बना कर 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करनी चाहिये। उन लोगों को कटहरे में खड़ा किया जाये। उनके ऊपर कंटेम्पट बनायी जाये। आज पूरी दिल्ली के 25 लाख लोगों को बेघर करने की योजना बना दी है। अध्यक्ष जी, मैं इसके साथ–साथ आदरणीय मुख्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, 52 हजार एप्लीकेशन आई थी। 23938 एप्लीकेशन को हमने इलीजीबल माना। बाकी एप्लीकेशन्स को हमने रद्द कर दिया। जिस जमीन को अभी मुखी जी कह रहे थे कि 13 हजार एकड़ हमने एक्वायर की थी। 1300 या 800 एकड़ हमारे आदरणीय उद्योग मंत्री साहब कह रहे हैं कि हमने एक्वायर की है। जनाबेआली उस 1300 में सिर्फ 16000 यूनिट जाने वाली हैं। रातों रात जगमोहन साहब की मशीन लग जाये, पूरे देश की मशीन लग जायें तो 16 हजार यूनिट शिफ्ट होंगी। हम जानना चाहते हैं कि जिन इंडस्ट्रीज को आपने आइडेंटीफाईड कर रखा है। अभी तो जनाबेआली जमीन एक्वायर नहीं हुयी, अगला प्रोसेस कब चलेगा। आखिर इंडस्ट्रीज को आप कहां ले जाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता यह जवाब जानना चाहती है। यह जवाब आने से पहले कि दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन रूकने वाला नहीं है। इसका जवाब दिल्ली की जनता को चाहिये। इसके लिए कोई भी अफसर जिम्मेदार हो। अध्यक्ष जी, इसके साथ–साथ मैं आपको निवेदन के तौर पर कहना चाहता हूं कि इस तरीके से 14 तारीख की रात को आदेश दिये गये हैं कभी अंग्रेजों की सरकार ने भी ऐसे आदेश जारी नहीं किये थे। यकायक गरीब लोगों को मारा गया। आटे की चक्की तक को सील किया गया। जो भ्रष्ट तंत्र था कुछ लोग सुनियोजित

षड़यंत्र के तहत हमारी सरकार को बदनाम करने में लगे हुए थे। अध्यक्ष जी इसकी जांच होनी चाहिए। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिये। चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो। तमाम एमएलए चाहे वे किसी भी पक्ष के हों उनका घरों में रहना मुश्किल हो गया था। इंडस्ट्रीज वालों ने सब को घरों से बाहर निकाला।

अध्यक्ष जी मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं आज आप बड़े खुश नजर आ रहे है। आपने बडा लाइटली इस को खत्म कर दिया। आपके तेवर बड़े ढीले पड़े हुए हैं आपको लग रहा है कि जगमोहन साहब ने शायद जो लॉली–पॉप कल दे दिया है, जो अखबारों में छप गया है कि 5 किलो वाट और 10 मजदूर जिस फैक्टरी में काम करते हैं मास्टर प्लान बदल कर उसको दिल्ली में रख दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जब हम स्कूल में जाते थे तो 10 पैसे खर्चा मिलता था। अब 10 पैसे का सिक्का ही खत्म होने जा रहा है और बच्चे तो 10 पैसे के सिक्के को देख कर राजी नहीं हैं। यह 10 मजदूरों और 5 किलोवाट की कहानी कौन से जमाने की बात आप कर रहे हैं। 5 किलो वाट में और 10 मजदूरों में कितनी इंडस्ट्रीज चलती हैं हम सब जानते हैं। मैं आपके माध्यम से सदन के अंदर कहना चाहूंगा कि जो मास्टर प्लान बदलने की बात है। मास्टर प्लान बदलने की आवश्यकता किन्हीं और मामलों में हैं; लैंड यूज चेंज करने के लिए मास्टर प्लान बदलने की आवश्यकता नहीं है। आज लैंड यूज बदलने के लिए मास्टर प्लान बदलने की बात नही है। लैंड यूल बदलने का काम दिल्ली के उपराज्यपाल के पास है; हमारी डीडीए अथारिटी के पास हैं मास्टर प्लान बदलने की जहां तक बात है अध्यक्ष जी, मैं निवेदन के तौर पर कहना चाहता हूं जगमोहन साहब इस मामले को बार–बार उलझा रहे हैं, जिस तरीके से आज 5 किलोवाट का और 10 मजदूरों का स्टेटमेंट आया है, हम उससे सहमत नही है। वे अपना बयान चाहे पार्लियामेंट में दे या पार्लियामेंट के बाहर दें हम उस गोली में आने वाले नहीं है। और मेरा सदन की नेता से अनुरोध रहेगा कि उस संशोधन को मानने की बजाय हमें सीधे तौर पर एक अमेंडमेंट मास्टर प्लान में करवानी चाहिये। अगर केन्द सरकार की नीयत साफ है कि दिल्ली में जो भी इंडस्ट्रीज जो पोलूशन नहीं फैला रही चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो दिल्ली में रहेगी। उसको दिल्ली से न हटाया जाये। यह हमारी मांग सदन में है। अगर नीयत सही है तो फैसला यह होना चाहिये।

अध्यक्ष जी, गारमेंट्स वाले, एक्सपोर्ट फैक्ट्री वाले एक–एक एक्सपोर्ट फैक्ट्री वाला करोड़ों रुपये विदेशी मुद्रा हमारी दिल्ली में लेकर आता है दिल्ली सरकार को उसमें टैक्स का हिस्सा मिलता है। अध्यक्ष जी, तकरीबन 7 से 8 हजार करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा दिल्ली की फैक्ट्री वाले हमारी दिल्ली सरकार को दे रहे हैं। आज उसको बंद करने की बात चल रही है। क्या आज 10 लोगों की फैक्ट्री चल सकती है। इसलिये मेरा अनुरोध रहेगा कि मास्टर प्लान में संशोधन हो तो यह नहीं कि खाली नाममात्र के लिए कि साहब हमने मास्टर प्लान को अमेंड करवा लिया। मास्टर प्लान में पूरा अमेंडमेंट होना चाहिये और मास्टर प्लान कोई रामायण और गीता नहीं है, 79 बार भारत के संविधान में संशोधन हो सकते हैं तो दिल्ली के 25 लाख लोगों के लिए मास्टर प्लान में संशोधन क्यों नहीं हो सकते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो पूर्व वित्त मंत्री जी ने कहा कि सैलेक्टिड एरियाज, जनाब मुखी साहब, पूर्व वित्त मंत्री जी मेरी तरफ गौर करें, अध्यक्ष जी, जिन सैलेक्टिड एरियाज की बात आज हो रही है दिल्ली के अंदर 12 से 13 विलेजिज को इसी सदन के अंदर दिल्ली के पूर्व मुख्य मंत्री साहिब सिंह वर्मा ने इंडस्ट्रीज वालों से बात करके दिल्ली के चुनिंदा क्षेत्रों को आइडेंटीफाई करके इंडस्ट्रीयल एरिया घोषित करने के लिए रिकमंडेशन की थी। वो हमारी रिकमंडेशन नहीं थी। वो सैलेक्टिड एरिया बल्ली साहब हां भर रहे हैं वो इनकी थी। वो सैलेक्टिड एरिया हमने नहीं किये थे। हमारी तो मांग होनी चाहिये और इस सदन में एक रेज्यूलेशन पास होना चाहिये राजधानी के अंदर जहां भी 60 प्रतिशत से ज्यादा इंडस्ट्रीयल यूनिट किसी भी एरिया में चल रही हैं उसको तुरन्त इंडस्ट्रीयल एरिया घोषित करके सरकार वहां पर सारी सुविधायें दें। यह रेल्यूलेशन हमारा हाउस में होना चाहिये। कहीं सैलेक्टिड एरियाज और बगैर सैलेक्डि एरियाज का सवाल नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप का आभारी हूं और एक बात कह कर मुख्य मंत्री जी, आपको कहना चाहता हूं कि अफसरों पर लगाम रखना हमारा काम है। अगर दिल्ली के कोई भी अफसर कोई तुगलकी आदेश जारी करेंगे और उस आदेश की प्रतिकिया सड़क पर होगी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को कहना चाहूंगा आप दिल्ली के तमाम एसडीएम को आर्डर करेंगे कि जो भी नान–

पॉल्यूटिंग यूनिट सील की गयी हैं उनको तुरन्त डी–सील किया जाये और भविष्य में कोई एसडीएम किसी नान–पॉल्यूटिंग फैक्ट्री में न जाये किसी गरीब को तंग न करें। आप यह आदेश जारी करें। क्योंकि हमारे ऊपर भी उंगली उठ रही है।

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हू। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री रमाकांत गोस्वामी।

श्री रमाकांत गोस्वामी : अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं उन 3 व्यक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो पिछले 3 दिनों में हिंसा के शिकार हुये और उन्होंने अपनी जानें खोयीं। मुखी जी ने यह तो जरूर कह दिया कि जो तीन व्यक्ति मरे हैं मुख्य मंत्री उसकी जिम्मेवार हैं लेकिन उनके मुख से एक शब्द नहीं निकला कि कम से कम श्रद्धांजलि उनको दे देते।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मामला बहुत गंभीर है। यह 1 लाख 37 हजार औद्योगिक इकाईयों का मसला है और यदि एक इकाई से 10 व्यक्ति जुड़े हुये हैं तो आप अनुमान लगाईये कि कम से कम 25 लाख व्यक्तियों का सवाल है और 4 हजार से 5 हजार करोड़ राजस्व का है और इससे बड़ी बात यह है कि दिल्ली जो सारे भारत का व्यापार का मुख्य केन्द्र है, जहां से डिस्ट्रीब्यूशन आफ बिजनेस होता है और उसके साथ–साथ जहां पर छोटी–छोटी व्यापारिक इकाईयों हैं छोटे–छोटे गरीब लोग, दलित पिछड़े, कोई चमड़े का काम करता है और कोई दो रुपये की रोटी कमाता है और उससे वो अपना जीवनयापन करता है और उसके छोटे से उद्योग को यदि उजाड़ दिया जायेगा तो वो गरीब व्यक्ति क्या करेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।

अध्यक्ष जी, उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया और उस आदेश का पालन किस ढंग से हुआ या किसने कैसा किया, अध्यक्ष जी, इस संबंध में मैं 2 बातें जरूर कहना चाहूंगा लेकिन पिछले 3 दिनों में दिल्ली में जो कुछ हुआ उसने केवल भारत का ही नहीं अपितु सारे विश्व का ध्यान दिल्ली की ओर खींचा। मैं बधाई देता हूं मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी को जिन्होंने विषय की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने न केवल दिल्ली की जनता अपितु राष्ट्र के प्रधानमंत्री और उस मंत्री से भी पत्र व्यवहार किया जिसको इंडियन एक्सप्रेस बुल्डोजर के नाम से लिख रहा है। मैं

नहीं कह रहा वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार लिख रहा है। आप यह पढ़ियेगा, इसमें मंत्री के बारे में लिखा गया है और वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ने से यह लगता है कि इसके जो चार नायक हैं। उन चार नायकों में किस के बारे में क्या लिखा गया है?

मैं समझता हूं कि मुखी जी आप इसको जरूर पढ़ लें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुखी जी, आप जानते हैं आप कांग्रेस पार्टी के इतिहास को जानते हैं और कांग्रेस पार्टी का इतिहास किसी गरीब व्यक्ति की रोटी नहीं छीनता और इस देश के राष्ट्र–नायक पंडित जवाहर लाल नेहरू जी को, मैं आज उनको याद करता हूं जिन्होंने इस देश में उद्योग लगाए, औद्योगिक क्रांति पैदा की और उन्हीं की बदौलत इस देश में उद्योगों ने नाम कमाया और आज भारतीय जनता पार्टी यह कहें कि हम इस देश में या इस दिल्ली में उद्योगों को उजाड़ना चाहते हैं और गलतफहमी फैलायें तो ये बहुत बड़ा षडयंत्र है। मैं आपसे यह निवेदन कहना चाहता हूं कि यह बात खुलनी चाहिए। आप जानते हैं कि केन्द्र सरकार ने 1400 के लगभग निर्यात शुल्क में कुछ आइट्म्स में छूट दी है और इस देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश में आ कर के 200 वर्षों तक हमें गुलाम बनाया। आज बड़ी बड़ी कंपनियां इस देश में आ रही हैं।

.....अंतरबाधाएं....

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए।

श्री रमाकांत गोस्वामी : अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मारूति उद्योग के मेरे नेता श्री संजय गांधी ने 80,000 रुपये की वह कार बनाने का वह सपना लिया था और आज वह मारूति उद्योग कहां पहुंचा। एक हड़ताल हुई। एक हड़ताल होने पर मजदूरों के बात करने पर इन्होंने उसको डिस–इनवेस्टमेंट कर दिया और आज वो मारूति उद्योग को भी बाहर बेचना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बड़े–बड़े उद्योगों को बेच रहे हैं, जो स्वदेशी का नाम लेते हैं। अध्यक्ष जी, अभी आप ही के कमरे में मुखी जी कह रहे थे कि हम गांधी जी के बाहर बैठकर हम ने एक धरना दिया। अध्यक्ष जी, इनको पूछियेगा कि गांधी जी के चेलों में वे बैठे थे या नहीं। जिस गांधी जी ने जिस खादी को बनाया

था। उसके ऊपर से इन्होंने सब्सिडी हटा दी और जो पेप्सी कोला बाहर से आ रहा है, जो कोका कोला बाहर से आ रहा है। उसके ऊपर इन्होंने छूट दे दी। अध्यक्ष जी, आज ये कहते हैं कि हम मजदूर विरोधी हैं। हम उद्योग विरोधी हैं, अध्यक्ष जी, इनसे यह पूछा जाए कि दिल्ली में हिंसा का, उपद्रव का, अराजकता का वातावरण किस ने पैदा किया। अभी मुखी जी, यह कह रहे थे कि क्या मुख्यमंत्री जी से चीफ सैकेट्री ने पूछा। अध्यक्ष जी, मैं भी उस कार्पोरेशन की मीटिंग में था, परसों जो कारर्पोरेशन की विशेष मीटिंग बुलाई गई, वहां के सारे कार्पोरेटर्स ने एक स्वर में कहा कि दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर ने बिना पूछे दिल्ली के सारे उद्योगों को बन्द किया और उसने हम से पूछा तक नहीं। मुखी जी, उसका जवाब कौर देगा? आप इसका जवाब नहीं दे सकते, इसका जवाब आपके पास नहीं है। उन्होंने स्वयं स्वीकार है और यहां तक कि मुखी जी, कमिश्नर.....।

.....*अन्तरबाधाएं*.....

अध्यक्ष महोदय : गोस्वामी जी, आप मुझे संबोधित करके बोलिए।

श्री रमाकान्त गोस्वामी : अध्यक्ष जी, खुद स्वीकार किया है। मेरे दो–तीन विनम्र निवेदन है। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि यदि मास्टर प्लान में संशोधन होता है तो हम इन सारे उद्योगों को जो रिहायशी कॉलोनियों में हैं। हम उनको वहीं पर रहने देंगे। अध्यक्ष जी, उस समय यह एफिडेविड क्यों नहीं दिया गया। क्या उस समय एफिडेविड देने की आवश्यकता नहीं थी? अभी मुखी जी ने कहा कि 1300 एकड़ लैण्ड हम ने ली। अध्यक्ष जी, जब इनके पास 5200, 5400 एप्लीकेशन्स थी तो क्या 1300 एकड़ जमीन पर 5400 एप्लीकेशन्स का निपटान किया जा सकता था। क्या उस समय दस हजार एकड़ भूमि नहीं ली जा सकती थी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इनसे यह पूछना चाहता हूं कि पिछले दो साल में हम ने उस भूमि को ठीक किया और हम ने 800 एकड़ भूमि और ली है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनका यह कहना बड़ा आसान है कि हम ने यह किया।

.....*अन्तरबाधाएं*.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए।

श्री रमाकान्त गोस्वामी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी से निवेदन जरूर करूंगा। इनकी पार्टी का आज यह हाल है। यह बात बहुत जरूरी है कि श्री मदन लाल खुराना जी जिन्होंने स्वयं यह मांग की कि मास्टर प्लान में संशोधन होना बहुत जरूरी हैं मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि उस समय यदि संशोधन कर दिया जाता तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। मैं इनसे यह कहना चाहता हूं और उस समय मास्टर प्लान संशोधित क्यों नहीं किया गया? मैं इनसे पूछना चाहता हूं और आज जगमोहन जी ने मास्टर प्लान में संशोधन करना क्यों स्वीकार किया। आप भले ही न मानें। हम प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि कल जब श्रीमती शीला दीक्षित जी गई और उन्होंने कहा कि जगमोहन जी इसमें कुछ करिए। उनके आदेश से, जब हम सब वहां गए, जब उन्होंने माना।

अध्यक्ष महोदय : गोस्वामी जी बैठिए।

श्री रमाकान्त गोस्वामी : अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक द्रोपदी है और पांच पति हैं, उसमें इन्डस्ट्री एक द्रोपदी है और पर्यावरण पहला पति है, सुप्रीम कोर्ट दूसरा है, केन्द्र सरकार तीसरा पति है और मजदूर और मालिक चौथे और पांचवे पति हैं और अध्यक्ष महोदय, मुझे कहना नहीं चाहिए इनकी भूमिका द्रोपदी के प्रति क्या है? इस बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं हैं ये चाहते है कि दिल्ली आज बर्बादी के कगार पर चली जाए।

अध्यक्ष महोदय : गोस्वामी जी, समाप्त करिए।

श्री रमाकान्त गोस्वामी : अध्यक्ष महोदय, ये चाहते है कि दिल्ली का उद्योग बढ़े नहीं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि ये उद्योग यदि हम गांवों में ले जायेंगे। आज गांवों से आवाज उठ रही है। गांव वाले कह रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि हम इन्हें यहां लगने नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

श्री रमाकान्त गोस्वामी : अध्यक्ष जी, इसमें मेरा निवेदन है कि यह मामला बहुत गंभीर है और यह कानून और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इससे दिल्ली का लॉ एण्ड आर्डर खराब हो रहा है। दिल्ली के लोगों में भय और आतंक छाया हुआ है।

अखबारें काली हो रही हैं और आज इसके ऊपर केन्द्र सरकार को दिल्ली सरकार की मदद करनी होगी और भूमि जैसा जो विषय है, वह दिल्ली सरकार को देना पड़ेगा। तब ही यह मामला हल होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : जो आपस में बातचीत हुई थी, उसमें यह था... आप मेरी बात सुन तो लीजिए। मैं आप पर कोई पाबन्दी नहीं लगा रहा। मैं यह कह रहा हूं कि लॉ एण्ड आर्डर भी चर्चा में है, जो आज के एजेण्डे में है। मेरे पास बहुत नाम आए हुए हैं। इस तरह से लॉ एण्ड आर्डर रह जाएगा। शोएब इकबाल जी, बोलिए।

श्री अरविन्दर सिंह लवली : आज इन्डस्ट्री पर हो जाए और कल लॉ एण्ड आर्डर पर चर्चा हो जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप इसी पर बोलते जाइए। आप लॉ एण्ड आर्डर पर कह दीजिए। आप इसमें जो चर्चा हो रही है, दो इधर से और दो इधर से और मूव करने वाले। अब जब नाम ज्यादा आयेंगे तो मैं क्या करूंगा।

.....अन्तरबाधाएं.....

अध्यक्ष महोदय : नहीं ऐसा नहीं होता। जो बिजनिस एडवाईजरी कमेटी ने जो फैसला लिया है, उसी के मुताबिक कार्यवाही चलेगी। इसमें न मेरी चलेगी न आप की चलेगी। यह सब बिजनिस एडवाईजरी कमेटी तय करती है। शुएब जी, आप बोलिए।

श्री शुएब इकबाल : अध्यक्ष महोदय, जो जैसा करता है, वैसा भुगतता है। जो आप लोगों ने किया, वह आप भुगत रहे हैं, जो उन्होंने कहा, वह वे भुगत रहे हैं और मैंने जो किया, वह मैं भुगत रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात एक शेर से शुरू कर रहा हूं कि जो दिल्ली की दासतां सुनाने लगे

अध्यक्ष महोदय : ये शेर कौन सा है, जंगल का है या शहर का है।

श्री शुएब इकबाल : अध्यक्ष महोदय, यह हमारा अपना शेर है, हालात का शेर *....व्यवधान.....*अध्यक्ष महोदय, शेर तो अपना करतब दिखा कर चला गया और गीदड़ बैठे के बैठे रह गये। अध्यक्ष महोदय, जो दिल्ली की दास्तां सुनने लगे, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगे। *.....व्यवधान.....*

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे संबोधित कीजिए।

श्री शुएब इकबाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि जो दिल्ली की स्थिति है, वह बहुत ही नाजुक, कशिशनाक और बड़ी भय, डर और दहशत की स्थिति है। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों की लड़ाई में, इन दोनों की गलत नीतियों की वजह से आज दिल्ली की जनता को पिसना पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, हम पिछले सदन में भी थे। अभी भाई मुकेश जी ने कहा कि बल्ली जी के यहां जब फैक्ट्री सील हुई थी तो बड़ा हाहाकार मचा, बड़ा अखबारों में आया। 1996 में यह मामला चला। अध्यक्ष • महोदय, सबसे पहले जहां से शुरूआत हुई, मैं पहले उसकी तरफ जाऊंगा, पिछले चार–पांच दिन के अन्दर जो हालात पैदा हुए, चीफ सैक्रेटरी साहब की तरफ से जो म्युनिसिपल कमिश्नर ने जो आर्डर जारी किया, जनरल ऑर्डर, कोई इन्डिविज्युअल नहीं, किसी फैक्ट्री वाले को नहीं, बल्कि इश्तिहार में दिया कि अगले दिन दिल्ली की छोटी–मोटी तमाम फैक्ट्रियां, जो भी हों बंद हो जायें। मुझे याद आया शोले फिल्म का अंग्रेजों के जमाने का वो जेलर– कि आधे इधर, आधे उधर और बाकी उसके साथ। ऐसा आर्डर था। दिल्ली की सारी फैक्ट्ररियां एकदम से बंद हो जाये। वहां कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति में इस वक्त भी सील लग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, उसको हम मानते हैं। होना चाहिए। जो पॉल्यूशन फैलाने वाले उद्योग हैं, उसके साथ हम भी विरोधी हैं। होना भी चाहिए। हमने भी देखा है कि पानी की लाइनें सीवर के अन्दर से जाती हैं। आपने देखा है कि पुरानी दिल्ली का बड़ा घना गुंजान इलाका है। सीवर के अन्दर से पानी की लाइनें जा रही हैं, वहा अगर कहीं लीकेज हुआ, वह पानी में मिल गया, कन्टेमिनेशन होता है। लोग मर भी सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। वह होना चाहिए, लेकिन उसके साथ–साथ जिस तरह का यह तानाशाही वाला आर्डर था कि सारी फैक्ट्ररीज छोटी–बड़ी सभी बंद हो जायें। अध्यक्ष महोदय, यह मेरे पास ऑर्डर है। यह मैं दिखाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक महीना पहले तो इस तरह की फैक्ट्रीज थी, पॉल्यूशन के नाम पर लेस मशीन, जो सिलाई की मशीन होती है, दर्जी की दुकान पर होती है, यमुनापार के अंदर उस दुकान पर सील लगाई गई कोई पूछने वाला नहीं है। ऑर्डर उधर से चले, चीफ सैक्रेटरी साहब के यहां से चले। म्युनिसिपल

कमिशनर साहब खड़े, दनदनाते हुए चले, अपनी जान बचाओ, पूरी दिल्ली को भाड़ में झोंको। तो ये हाल किया है। कमिश्नर साहब को मैं जानता हूं। बड़े तेज दिमाग आदमी हैं, अपने आपको बचाना जानते हैं। दिल्ली की जनता को झोंकने का इस वक्त उन्होंने काम किया है जो ऑर्डर दिया है। अध्यक्ष जी, हमारे साथी प्रधानमंत्री जी से मिलने की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री साहिबा भी मिली। बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए। खुराना साहब की स्टेटमेंट भी आई थी कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पॉलिटिकल माइलेज, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सबने अपनी–अपनी दुकानें चमकाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, हमने भी तलाश किया कि हमें भी कोई साथ मिल जाये, नहीं मिले। अध्यक्ष महोदय, 20 तारीख को रामलीला ग्राउंड पर प्रदर्शन हो रहा था, चक्का जाम किया हुआ था। मैं भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय देवगौड़ा जी को लेकर वहां पहुंचा तो देखा कि हालत बहुत गंभीर थे। वहीं से हमने प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी से टाइम लिया। चार घंटे के अंदर हमें टाइम मिला। 20 तारीख को 6 बजे मैं और देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री जी से मिलने गये और वहां माननीय देवगौड़ा जी ने कह दिया कि आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर मुझे किसी चपरासी– क्लर्क के पास भी जाना पड़ा तो प्रोटोकाल की परवाह किये बिना मैं जाऊंगा और सबसे पहले जनता दल (सैकुलर) प्रधानमंत्री के पास गया और ये मेमोरैन्डम दिल्ली की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री को दिया। मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा, मैं उनकी इज्जत करता हूं, भले आदमी हैं। उनके जैसे एक दो और हो जाये तो भारतीय जनता पार्टी का सुधार हो जाये। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बात को सुना और हमने उनसे उम्मीद चाही कि कल आप इस मामले को जगमोहन जी के सामने रख दें और इस मामले का समाधान करवायें। उन्होंने आश्वासन दिया। अध्यक्ष महोदय, लेकिन कल के हालात में जो हम लोग गये, वह दूसरा मैटर था। हम माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ जाना चाहते थे। माननीय मुख्य मंत्री साहिबा ने आज हमें गाली भी सुनवाने का काम किया। कल हम से बात तक नहीं थी। थोड़ा सा हमें भी ले जाती तो ये होता कि हमें भी थोड़ी सी हिम्मत मिलती और हम प्रधानमंत्री जी से इस बारे में बात कर लेते कि एक दिन पहले तो हमने आपसे कहा था, आपने उसे क्या अमली जामा पहनाया। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ

मैं इतना और कहना चाहता हूं कि ये दिल्ली की गरीब जनता की लड़ाई है। उसमें अमीर भी हैं। अगर कोई अमीर फैक्ट्री मालिक है तो उसके यहां गरीब आदमी काम करता है। इसमें हमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए और आपस में मिल जुलकर, जहां चलना हो, ऐसा करके दिखा दीजिए। हुआ था एक मर्तबा खुराना साहब थे, सबको यहां से लेकर गये थे, 14 कांग्रेस के थे और 4 हमारे जनता दल के थे। यहां से सबको साथ लेकर चले थे। हमने पार्लियामैंट में जाकर मजाहिरा भी किया था। सारे लोग गये थे। अभी भी सभी को लेकर चलना चाहिए था। इसके साथ–साथ मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपने 13 सौ एकड़ जमीन एक्वायर कर ली। 800 एकड़ जमीन आपके पास मौजूदा है। कुल मिलाकर यह इक्कीस सौ के करीब बैठती है इसे डेवलप करने में कितना समय लगेगा? जगमोहन जी अपनी जगह। उनके जैसा आदमी तो शायद ही हिन्दुस्तान की तारीख में कोई पैदा हो। पार्टी परेशान है, अटल बिहारी हैरान है। मैं हकीकत बात कह रहा हूं। जो हालात उन्होंने पैदा किए हैं इस दिल्ली के अंदर। कांग्रेस में थे तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क करवाया। जब दिल्ली के उपराज्यपाल थे तो क्या हाल करवाया दिल्ली का। हमें मालूम है किस तरह से बुल्डोजर चलवाया था उन्होंने तुर्कमान गेट पर। 23 लड़के शहीद हुए। ये जगमोहन साहब हैं। उनको तो बाहर निकाल दो, एक्सपेल कर दो कोई बहाना ढूंढ के। हमारी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है।

अध्यक्ष महोदय इसके साथ–साथ जगमोहन जी ने जो मास्टर प्लान की बात की है, जो संशोधन होना है, वह तो हो जायेगा। वह तो जिस तरह एक रोते हुए बच्चे को खिलौना देकर बहलाया जाता है, भूखा बच्चा होता है, उसे खिलौना दे दिया और बहला दिया, अध्यक्ष महोदय, वह चीज नहीं होने वाली है। अभी आपके यहां दिल्ली सरकार की तरफ से जो हमारे मिनिस्टर हैं नरेन्द्र नाथ जी, डी वी बी के उन्होंने अपना एक आर्डर निकाला कि जो लोग अपना रिहायशी लोड बढ़ाना चाहते हैं, वे हमसे अपना लोड बढ़वा सकते हैं। लोगों ने लालच में आकर जिनका दो किलोवाट, तीन किलोवाट था, बढ़ाकर किसी ने 10, किसी ने 15 और किसी ने 20 किलोवाट कर लिया। वे लोग आज परेशान हैं कि ये तो उल्टी मुसीबत हम पर आ पड़ी है। जगमोहन साहब कह रहे हैं कि 5 किलोवाट तक वो हो नहीं सकता। यह तो वह बात हो गयी कि अल्लाह करे तेरी जुल्फ इतनी बड़ी हो, कि तेरी बला

तेरी गर्दन में पड़ी हो। वही हिसाब हुआ उनके साथ। तो उनका यह 5 किलोवाट का मामला समझ में नहीं आता। इसी के साथ–साथ सरकार ने पार्लियामैंट में एश्योरेंस दिया है कि किसी को भी जब दूसरी जगह सब्सीट्यूट जगह दी जाएगी तो उसको इनडिवीजूअल नोटिस दिया जाता है। पार्लियामेंट में सरकार का एशोरेंस है लेकिन यहां पर तो जनरल नोटिस हो गया है तो इस तरह हटाने के लिए इनडीवीजूअल नोटिस दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ मैं इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर ये जो छोटी–मोटी बड़ी इकाइयां हैं जिसमें तकरीबन 20–25 लाख लोग इन्वॉल्व होंगे, इनको हटाना कोई आसान काम नहीं है, आसान खेल नहीं है। दिल्ली सरकार को कल लताड़ मिली है लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसे कोर्ट के अंदर दोबारा रखें। केंद्र की सरकार ने कहा कि वो अपना पक्ष रखें वो अपनी तरफ से दायर करेंगी लेकिन सबको मिलकर दिल्ली की सरकार को भी, दिल्ली की मुख्य मंत्री को भी चाहे वो म्यूनिसीपल कमिशनर साहब हों, सबको मिलकर चलना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी के डबल ट्रिप्पल रोल हैं जो म्यूनिसीपल कमीशनर साहब हैं, मुझे माफ कीजिएगा, अध्यक्ष महोदय वो मुझे मिलते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं हर पार्टी के आदमी को सैट करने का काम करते हैं लेकिन जिस तरह से इन लोगों को फौरन तुरंत इन्होंने जो सील कराने का काम किया है वो बिल्कुल निन्दनीय है और हम इसकी निंदा करते हैं। इसके साथ ही आखिर में मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो मरने वाले हैं जो तीन लोग मरे हैं, ये दिल्ली पुलिस के डिस्ट्रर्ब होने की वजह से हुई है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है जो मरे हैं उन लोगों को 10–10 लाख रुपये दिल्ली सरकार मुआवजा दे। केंद्र सरकार उसको मिलकर के दे और उसके साथ–साथ इस सदन के अंदर उनके लिए श्रद्धांजलि होनी चाहिए। मै यह समझता हूं कि चाहे वो इस सदन का मेम्बर हो या न हो क्योंकि याद रखना चाहिए कि जब गुलशन कुमार को इस सदन से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस सदन में उनके लिए दो मिनट का मौन और श्रद्धांजलि दी थी तो वो तीन लोग किसी मां के लाल हैं इसलिए उनके लिए भी श्रद्धांजलि होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। यह मामला बहुत खतरनाक है, बहुत ही गंभीर है। 1984 के

राइट्स भूल जाइए, 6 दिसंबर 1992 की घटना भूल जाइए। आप यह देखेंगे कि इस मामले के अंदर हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सड़कों पर आ चुके हैं कहीं ऐसा न हो कि अभी तो वो केवल सड़कों पर आए हैं बाद में कहीं वो हमारे घरों को न फूंक डालें इसलिए इस मामले को निपटाने का काम किया जाये। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : सदन 4.35 तक के लिए स्थगित किया जाता है।

सदन की कार्यवाही 4.35 तक के लिए स्थगित की गयी।

सदन पुनः 4.35 बजे अपराह्न समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (**चौ. प्रेम सिंह**) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदय : श्री नंद किशोर गर्ग जी।

श्री नंद किशोर गर्ग : अध्यक्ष जी, 14 नवंबर, 2000 को सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया जिसका जिक्र करते हुए श्री रमाकांत गोस्वामी ने नेहरू जी को याद किया और ठीक ही किया क्योंकि वे हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। मैं उनको यह भी याद दिला दूं कि पहले उद्योग मंत्री के रूप में डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने नेहरू जी के विचारों को उद्योग के क्षेत्र में लागू किया था और उन्हीं के नाम पर बवाना में बनने वाली औद्योगिक क्षेत्र का नाम रखा है। माननीय श्री जगप्रवेश चन्द्र जी जब यहां पर मुख्य कार्यकारी पार्षद थे जब यह 2001 का मास्टर प्लान बन रहा था और इसे 81 में लागू हो जाना चाहिए था जिसको लागू करने में ही 12 साल लग गये, 12 साल तैयार करने में लग गये, 1993 में जाकर यह लागू हो पाया। 13 साल तक दिल्ली बिना किसी मास्टर प्लान के चली और उस दौरान जो राजनीति लोगों की विवशताएं और नौकरशाही की हर चीज के अंदर ढिलाई ये सारी समस्याएं एग्रीवेट होती चली गई। 1996 में जो जजमेंट आई वह मुकदमा 1996 में प्रारंभ नहीं हुआ जैसे मेरे कुछ भाई कह रहे थे, जिस समय डी. सी. एम. में गैस का रिसाव हुआ जो मेरे चुनाव क्षेत्र में है उसके बाद एम. सी. मेहता जी जो श्री कपिल सिब्बल जी के जूनियर भी हैं और रिश्तेदार भी उन्होंने एक रिट पीटिशन पब्लिक इंट्रस्ट में

डाली थी। उसके बाद ही यह मामला पूरे देश में पर्यावरण का चलता ही चला गया, जब कुलदीप सिंह जी ने जजमेंट दिया तो उस समय उन्होंने बहुत सख्ती से कहा कि इस सारी इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाये और उन्होंने बड़े उद्योगों को बंद भी किया। उस समय हमारी सरकार जिसमें अधिकांश आपके भी लोग 14 के 14 मौजूद थे एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया, उस समय के मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री ने वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि हमारे पास 4 हजार एकड़ भूमि उपलब्ध थी जो हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने यह कह कर कि अब दिल्ली के लोगों को उद्योगों की आवश्यकता नहीं है उसको छोड़ा था हम उसको डेवलप करने के लिए तैयार है और हमें 15 दिन का अवसर दिया जाये तो 15 दिन के अंदर लोगों से बातचीत करके उस जगह को आइडेंटीफाइड करने की कोशिश की कुलदीप सिंह जैसे सख्त जस्टिस ने यह कहा कि मैं इस मेहनत से खुश हूं और मुझे आशा है कि यदि इसी गति से काम होगा तो यह सारा रि–लोकेशन का काम बड़ी आसानी से हो सकता है और उन्होंने नाम से एप्रीसिएट किया। 4 हजार एकड़ में से 1300 एकड़ नोटिफाई हुई एक हजार एकड़ का पोजेशन ले पाए 200 एकड़ का उस समय से आज तक लिटीगेशन चल रहा है। बाकी भूमि के लिए प्रयास हुए परंतु सबसे जरूरी जो काम था एनवायरमेंट की एक स्टडी करानी पड़ती है कि जिस भूमि पर आपको कोई बड़ा काम करना हो एनवायरमेंट पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके लिए स्टडी करानी बहुत आवश्यक थी वह पूरी स्टडी ऐसी एजेंसियों से कराई कि इन फैक्ट्रियों को यहां से हटाने के बाद जहां बसाना है आखिर वहां भी लोग रहते हैं, एक स्लम हटा कर दूसरा स्लम तो नहीं बनाना तो बवाना कंझावला और टीकरी की पी. वी. सी. बाजार के आसपास....*व्यवधान*....

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, उद्योगों से संबंधित इतना गंभीर मामला हाउस में डिस्कश हो रहा है और उद्योग मंत्री हाउस में मौजूद नहीं है....

अध्यक्ष महोदय : मुख्य मंत्री जी बैठी है, वालिया साहब बैठे हैं।

श्री नंद किशोर गर्ग : अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी को तो आनन्द जी ने जल बोर्ड में उलझा रखा है, उनको तो फुर्सत ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : गर्ग जी आप अपनी बात रखिए और आप लोग बीच में मत बोलिए।

श्री नंद किशोर गर्ग : अध्यक्ष जी, मैंने कोई ऐसा भ्रष्टाचार का शब्द नहीं कहा। अध्यक्ष जी उस चार हजार एकड़ भूमि का पूरा एनवायरमेंट का इम्पैक्ट एसैसमेंट हो चुका था 800 एकड़ भूमि को एक्वायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तीन बार दिल्ली सरकार ने कहा कि हमें यह प्रमीशन दी जाए कि हम अतिरिक्त भूमि एक्वायर करें या न करें जबकि 1996 की जजमेंट में यह इनहैरेट उसमें लिखा है कि चार हजार एकड़ भूमि जो दिल्ली सरकार ने कही है उसको तुरंत एक्वायर किया जाये। उसके बाद दिल्ली सरकार पिछले डेढ़ साल से जो रिटर्न भेजती रही उसमें यहीं पूछती रही कि हम भूमि एक्वायर करें या न करें और आखिर में पिछले सितम्बर में जजों ने जो जजमेंट दिया उसमें कहा कि हमें लगता है कि दिल्ली सरकार सीरियस नहीं है दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की उसकी कोई चिंता नहीं हैं इसलिए 31 दिसम्बर, 1999 तक इन उद्योगों को बंद करने के हम आदेश देते हैं ये जगह दे पाएं या न दे पाएं। उस जजमेंट के बाद जज 8–9 महीने चुप रहे, सितंबर में जो हुआ मुख्यमंत्री जी की केबिनेट का मेरे पास नोट है, जिसके अंदर ये आइटम लगे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इतने जजमेंट आ गए कि कूड़ा कचरा डालने के लिए जगह चाहिए, झुग्गियों को बसाने के लिए जगह चाहिए 15 सी. इ. टी. पी. बनाने थे एस. टी. पी. बनाने थे तो यह दो नम्बर आइटम पर केबिनेट में लगा कि all industrial units as have not applied for allotment or have found ineligible for allotment under the scheme for relocation be closed, Cabinet decision of 7th June 1999 and 24th September 1999 be referrered here. इसको लगाया गया परंतु कोई भी ऐसा कठिन काम करने में निश्चित तौर पर डर लगता है खासतौर पर जनप्रतिनिधियों को दिल्ली की केबिनेट ने भी इसको अप्रूव करने में अफसरों द्वारा लाये गये प्रस्ताव को पास करने में जो हिम्मत चाहिए थी या जनता का गुस्सा फेस करने की हिम्मत न होना स्वाभाविक है मैं उसमें कोई दोष नहीं दे रहा और उसको पोस्टपोन किया गया। परंतु सुप्रीम कोर्ट इन सारे मामलों को कोई एक मामला नही है, वहां पर योगानंद शास्त्री लोगों को गांवों में जाकर भड़का देते हैं कि बवाना के आसपास कोई लैंडफिल साइड नहीं बनेगा और मैं आप लोगों के

साथ हूं। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हम कोई भूमि एक्वायर नहीं कर पाए, दिल्ली में 8000 टन जो कचरा निकलता है वह कहां डाला जाये। एस. ओ. पी. बनने से केवल चार फंक्शन हो पाए 15 सी. ई. टी. पी बनने थे एक भी फंक्शनल नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की एक चेन बन गई जिनको मानने में दिल्ली सरकार असमर्थ रही यमुना मैली के कारण प्रदूषण के कारण वाहनों के कारण 31 मार्च, 2001 तक क्या क्या काम करने हैं। जो हमें एक्स्ट्रा आई. एस. बी. टी. बनाने थे न तो बना पाए, वाहनों को हमने यूरो–2 मानक पर लाना था, सी एन जी पर सभी बसें आनी थी, 5 साल पुराने वाहन हटने थे इतना ज्यादा। कम्पलैक्स हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हमारे आदेशों की अवमानना करने के लिए कोई न कोई बहाना सरकार और अफसरशाही ढूंढती है इसलिए क्रोध में आकर मोस्ट पाल्यूटिंग यूनिट्स को बंद करने का आदेश दिया। परंतु इस देश का रिवाज है कि किसी को बैठने के लिए कहो और वह घबराये तो वह लेटने के लिए तैयार है। हमारे मुख्य सचिव महोदय, हमारे कमिश्नर एम. सी. डी. महोदय इन लोगो ने, हमारी मुख्य मंत्री जी भी उस दिन यू.पी. में थी या नहीं थी या जल बोर्ड के किसी वकील से सलाह कर रही थीं कि मैं कैसे बचूं। उनसे शायद सलाह नहीं ली गयी और उन लोगों ने सीधे क्लोजर आर्डर एनवायरमेंट मिनिस्ट डॉक्टर साहब के डिपार्टमेंट ने दो दिन बाद कर दिये। दिल्ली नगर निगम ने दो दिन पहले कर दिये। आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय आज हम यह देखें कि समस्या का निदान कैसे निकल सकता है। 4 हजार एकड़ भूमि को एक्वायर करने का काम तुरंत कोई भी इमरजेंसी क्लाज लगा कर तुरंत हमें करना चाहिये। 28 तारीख से पहले करना चाहिये ताकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजित को लगे कि दिल्ली सरकार जो कह रही है कुछ करना चाहती है। 52 हजार लोगों ने जिन्होंने एप्लाई किया था अप्रैल 1996 की कोई ऐसी तारीख नहीं है जिसके कारण आज 25 हजार लोगों को रिजेक्ट किया गया है कि सबूत ले करके आईये। आंखों के सामने यदि फैक्टरी चलती है एस.डी.एम. जा कर फिजीकली देख ले कि फैक्टरी चल रही है तो उसको रि–लोकेट करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। वो चाहे बेशक 16 अप्रैल तक सबूत है या नहीं है। उन सब 25 हजार लोगों को दोबारा से दरबार लगा कर 27 एसडीएम को एक सप्ताह का टाईम दिया जाये। लोकल एमएलए को

उसमें इनवाल्व किया जाये। उन सब लोगों को री–कंसीडर करते हुए यदि एक्चवल में फैक्टरी चल रही है, सबूत उसके पास है या नहीं है उन सब को पात्र माना जाये और 52 हजार लोगों को री–लोकेट करने के लिए 4 हजार एकड़ भूमि जो आवश्यक है वो दिल्ली के मास्टर प्लान में उपलब्ध है उस भूमि को तुरंत एक्वायर करना चाहिये। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ इंडस्ट्रीयल एरिया ऐसे हैं जैसे मुंडका में....

अध्यक्ष महोदय : कितना समय लगेगा?

श्री नंद किशोर गर्ग : अध्यक्ष जी, आप रूलिग दे चुके हैं कि 6 बजे तक हाऊस का समाप्त होना आवश्यक नहीं है। हाउस जब तक चलेगा....

अध्यक्ष महोदय : वो तो ठीक है, उसमें दूसरी आईटम भी लगी हुयी है। आप रिपीट मत करो, कोई नई बात हो तो कह दो।

श्री नंद किशोर गर्ग : अध्यक्ष जी, शाहबाद है, शहजादा बाग नया, पुराना, दो हैं, आनंद पर्वत हैं, करावल नगर के आसपास जहां शत–प्रतिशत फैक्ट्रिया हैं चाहे वो 10 एकड़ में है चाहे 20 एकड़ में हैं। उनके नक्शे ठीक ढंग से बनें। हम केवल एक बात कह देते हैं कि मास्टर प्लान में अमेंडमेंट करो। कौन से आपको स्पेसीफाईड एकड़ बताने पड़ेंगे, नक्शे बनाने पड़ेगे, उसके लिए अखबार में आब्जेक्शन काल करने पड़ेगे कि इनका भूमि प्रयोग रेजीडेंसल इंडस्ट्रीयल करना होता है। सारी एक्सरसाईज हमने नहीं की है। आज केवल जगमोहन जी को हम एक विलियन बना दें वो तो एक साल से अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। दिक्कत 1996 से है। 6 मिनिस्टर आ करके जा चुके हैं। राम जेठमलानी जी थे उससे पहले देवगौड़ा जी के साथ, इन्द्रकुमार गुजराल के साथ, नरसिंह राव जी के साथ। यह कोई एक दिन की प्रोब्लम नहीं है। इसको हल करने के लिए पेसेंटली हमें लाना होगा। 102 एकड़ जमीन हमारी अपनी विकसित प्लाट पड़े थे जब मैं नौंवे प्लान के लिए बना रहे थे। बल्ली जी ने मुझे कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। उसमें से भी आज ओखला में, बादली में अभी भी लगभग 85 एकड़ जमीन पड़ी है जिसमें इंडस्ट्रीयल प्लाट झुग्गी झोपड़ी बन गये हैं। उनको खाली करवाया जाये और एक रेट की बात हमने 3 हजार रुपया नो–प्रोफिट, नो–लॉस पर रखा था। अभी से हमें लॉस कहां से नजर आ गया कि 4200 रुपये की डिमांड कर दी। इसके लिए कौन दोषी है। डॉ. नरेन्द्र

नाथ दोषी है या कमिश्नर दोषी है कि 4200 रुपये के रेट मांग रहे हैं। अभी वहां पर खेती हो रही है। जिस इंडियन एक्सप्रेस को रमाकांत जी दिखा रहे थे कि ये देखिये खेत। उसी अखबार में यह इंडियन एक्सप्रेस में छपे हुए हैं कि वहां पर खेत हैं और केवल चारदीवारी पर तार लगे हुए हैं और मैं भी परसों जा करके देख कर आया हूं। वहां पर केवल डीएसआईडीसी का दफ्तर अवश्य बना है उसके बावजूद वहां कोई काम नहीं हो रहा है। 42 सौ रुपये के भाव पर पूर्ण विचार किया जाये और उस 3 हजार रुपये गज में से अंत में जब प्रोफिट लॉस आयेगा जब कमर्शियल लैंड को हम बैंकों को बाकी जो चीजें हैं बेचेंगे, ऑक्शन से जो प्राईस आयेगा वो इंडस्ट्रीयल के रूप में सब्सिडी के रूप में उसको हम देंगे। नो–प्रोफिट, नो–लॉस की स्कीम में। अभी से एक्सट्रा पैसा मांगना लोगों को नरेला में 1978 की हमारी स्कीमें आज तक हम प्लाट नहीं दे पाये। आज लोगों को आपके ऊपर, हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं है। कैसे उसको माना जायेगा। इसलिये अध्यक्ष जी, मैं फिर आप से अनुरोध करता हूं कि 4 हजार एकड़ भूमि तुरंत एक्वायर की जाये। उनके ऊपर 50 हजार लोगों को बसाने की तुरंत योजना बनायी जाये। जिस तेजी से मैट्रो और फ्लाई ओवर का काम तेजी से दिन रात चल रहा है उसी प्रकार इन प्लाटों को विकसित करके टर्न की बेसिज पर दिये जायें। बिजली, पानी, सीवर सब एक ही एजेंसी उसमें काम करे और लोगों को वहां पर जब प्लाट काट कर दे दें इतनी देर में एक साल में अपनी बिल्डिंग बनायें। एक साल में सारी सेवायें वहां दे दें। दिल्ली का चैन अमन जो छीना गया। तीन लोगों की मौत हुई उसमें मेरे क्षेत्र को भीखू राम अग्रवाल है और मैं उससे सहमत हूं भाई शोएब ने जो बात कही थी उनके प्रति श्रद्धांजलि तो हम दे ही दें। साथ–साथ कम से कम 10 लाख रुपया उनके परिवार वालों को दें ताकि जो लोग अनाथ हो गये हैं जिन लोगों की रोजी रोटी का साधन छीन लिया गया है, कमाने वाला भी छीन लिया है वे लोग भी सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सकें। आपने समय दिया उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मेरे पास 25 सदस्यों के बोलने के लिए लिस्ट आ गयी है। मेरी प्रार्थना है कि सब इसमें बोलना चाहेंगे। एक तो जो बात कही गयी है उसको रिपीट न करें। नये सुझाव दे दें और दूसरा 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें। श्री तरविन्दर सिंह मारवाह।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह : अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मेरे को बोलने की आपने इजाजत दी है, आपका धन्यवाद। 4 दिन पहले से जो दिल्ली में घटना हुयी उसके लिए दिल्ली में कानून व्यवस्था और आज दो दिन हो गये बच्चों की छुट्टी अगर इन बातों को तरफ ध्यान दे कर जो बीत गया उसके बारे में भी चर्चा हुयी लेकिन जो कल आने वाला समय है हम उसकी तरफ भी ध्यान दे दें तो 25 लाख लोगों की जो बेरोजगारी होने वाली है उसका कुछ हल निकल जाये। लेकिन मुझे लगता है कि यह हल निकलने वाला अध्यक्ष जी, नहीं है। क्योंकि 1996 में यह जो भारतीय जनता पार्टी वाले यहां पर बैठे हैं जो उन्होंने एफीडेविट दिया और बल्ली की चर्चा हो रही है कि अगर इसी की फैक्टरी न होती तो आज यह मुसीबत न आती। 1996 में जो इन्होंने शपथ–पत्र दिया दो साल ये रहे दो साल में इन्होंने कुछ एकड़ जमीन कागजों में जरूर की है। लेकिन उसका कब्जा इन्होंने उस वक्त भी नहीं लिया था। जब से हमारी कांग्रेस पार्टी की मुख्य मंत्री बनी तो हमारे ऊपर जो तलवार मैं तो कहूगा कि तलवार की जगह जो जगमोहन ने आज इंडियन एक्सप्रेस में जब भी दिया बुल्डोजर जो उन्होंने हमारे ऊपर उसको रख दिया। अध्यक्ष जी, ये कहते हैं कि हम उनको एलाटमेंट नहीं दे रहे। दिल्ली की जमीन किसके अंडर है। जमीन तो लेकर बैठा हुआ है जगमोहन। जब तक जमीन नहीं देगा तो हम कैसे उनको एलाटमेंट दे देंगे। तो यह सारा दोष जो जाता है जगमोहन को जाता है। 1977 में भी जो जगमोहन ने किया था वो अभी तक दिल्ली वाले भूले नहीं हैं। आज बड़े शर्म की बात भाजपा वालों के लिए है कि 6 मैम्बर पार्लियामेंट तो एक तरफ घूम रहे हैं और एक मैम्बर पार्लियामेंट उसका एक ही मकसद है कि गरीब आदमियों को उजाड़ना। मेरे आपबाती बात है जंगपुरा विधान सभा में, लोदी रोड में उस वक्त कह रहा था एक अफसर दलाल भी उसका दिल्ली में घूम रहा है उस वक्त कह रहा था कि यह जो झुग्गी उठा रहा हूं यह जगह लोदी सैंटर की है। इसको खाली करो। यहां पर बिल्डिंग बनेगी। आज वहां पर पार्क बना दिया गया। बड़े–बड़े अक्षरों में लिख दिया गया। जिन झुग्गी वालों को उठाया आज तक वो बेरोजगार हैं। उनको वहां पर नाम की जगह नहीं मिली। उनको वहां पर जगह दी गयी लेकिन उनको बसाया नहीं गया क्योंके गांव वालों ने उनको बसने नहीं दिया। इसी तरह इंडस्ट्रीज की बात है क्योंकि अध्यक्ष जी, आप

भी गांव से ताल्लुक रखते हैं। अगर आपके वहां पर जो जमीन खाली पड़ी हुई है अगर कोई इंडस्ट्रीज लगाने आयेगा तो आपके गांव वाले उनको इजाजत नहीं देंगे। यह तो साफ बात है। इसमें हमारी मुख्य मंत्री का कोई कसूर नहीं है। हमारी सरकार का कोई कसूर नहीं है। आज हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर ने जमीन एक्वायर भी की उसके बाद कहा कि अलाटमेंट देंगे लेकिन जब तक जगमोहन हरी झंडी नहीं दिखायेगा। क्योंकि दिल्ली की सारी जमीन जगमोहन के हाथ में दी हुई है। हम अपनी मुख्य मंत्री को बधाई देते हैं और डीपीसीसी प्रेजीडेंट को कल इन्होंने हमारी सरकार ने रूख अपनाया, प्रधानमंत्री के पास गये, राष्ट्रपति के पास गये और वहां से आश्वासन ले कर आये कि आज जो मास्टर प्लान की हमने इनको भी कल अपील की थी वैसे तो कहते हैं कि मिल करके चलो। अभी मुखी जी कह रहे थे कि हमें कुछ सोचना है मिल करके सोचो लेकिन प्रधान मंत्री हाऊस में जाने में कोई भी साथ नहीं चला। प्रधानमंत्री के पास एक भी एम.एल.ए. नहीं गया, सब एम. एल. ए. के लिये वहां मिलने का टाइम था। अपील की थी कि आप चलो हमारे साथ गरीबों की भलाई के लिये, लेकिन इन्होंने गरीबों के बारे में नहीं सोचना। सेंटर की एक पालिसी है, ये कुछ लोगों की पार्टी है, ये गरीबों का नाश करना चाहते है, इनके मन में गरीबों के प्रति आदर नहीं है बल्कि घृणा है, क्योंकि इनको मालूम है कि गरीब आदमी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ कोई जुड़ा नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं तो यहीं कहूंगा कि इसके लिये मुख्य मंत्री जी को आगे बढ़ना चाहिये, चाहे जगमोहन के यहां जाकर क्यों न धरना देना पड़े, हम सबको मिलकर धरना देना चाहिये...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, हो गया .....

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह : अध्यक्ष जी, अभी तो दो मिनट भी नहीं हुए। पांच मिनट तो बोल लेने दीजिये.....

अध्यक्ष महोदय : आपने तो बहुत जोरदार बात कह दी....

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह : अभी तो और भी जोरदार बात कहनी है..... अध्यक्ष जी, ये जरूर हुआ, तो हमारे मुकेश शर्मा जी ने कहा और मेरे अन्य साथियों ने अपनी बात कही। ये बात जरूर हुई कि अफसरशाही ने अपना नजारा दिखाया,

जो उनको दिखाना नहीं चाहिये था। एक ही रात में इतना जुल्म अफसरशाही ने करके दिखाया, इतना जुल्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं दिखाया होगा। क्योंकि इतना उनको खुलकर नहीं आना चाहिये। पोलिटिकल आदमी है। हमको भी जनता ने चुनकर भेजा है, हम कोई हेराफेरी से नहीं आये हैं। हमें जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाया है, हमसे सलाह लेनी चाहिये। मैं तो अपनी मुख्य मंत्री जी को जरूर कहूंगा कि इसमें कोई भी अफसर हो, जो भी दोषी हो, उसको सजा मिलनी चाहिये। जो 3 लोग बेगुनाह मरे हैं उनको 10 लाख नहीं, मैं तो कहूंगा कि 20 लाख देना चाहिये दिल्ली सरकार की तरफ से। क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है, वे सड़क पर क्यों उतरे हैं। अपनी रोजी–रोटी के लिये उतरे हैं उनका कोई कसूर नहीं है। आज किसी अखबार वाले ने लिखा था कि ये गुंडागर्दी है या क्या है, मैं कहना चाहता हूं, प्रेस वाले बैठे है, अगर गरीब आदमी कोई अपनी रोटी मांगता है तो वो गुंडा कहलाता है और अमीर आदमी दिल्ली में कुछ भी कर दे तो उसको कोई भी नहीं पूछता है। ये कहां का इंसाफ है? अध्यक्ष जी, आज इसका जवाब देना है। आप दिल्ली के अध्यक्ष बने हो, पूरी विधान सभा आपके अंडर है, आपको इसके लिये गवर्नर से बात करनी चाहिये, प्रेजीडेंट के पास जाना चाहिये, आपको भी जाना चाहिये, क्योंकि आप भी एक गरीब परिवार से हो। आप भी गरीबों के लिये लड़ो। हम अगर गरीबों के लिये नहीं लड़ेंगे तो कल हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। एक बात और अपने एम. एल. ए. भाईयों की तरफ से करूंगा कि जिस तरह के हालात पैदा हो गयी थी कि हमारे एम. एल. ऐज. के घरों पर पथराव होने वाला था अगर ये हालात एक दिन और रहते तो फिर ऐसा होने वाला था। धमकियां आनी शुरू हो गई थी। लेकिन आज कोई एम. एल. ए. बयान नहीं दे रहा है। इसलिये हरेक एम. एल. ए. को सिक्योरिटी देनी चाहिये। 100 दुश्मन है दिल्ली में, जो कंपनियां, दिल्ली में जो माफियाज चल रहे हैं। एम. एल. ए. अगर उनकी कम्पलेंट करते हैं, किसी अफसर के खिलाफ करते हैं, तो आजकल तो अफसर भी बदमाश लगा रहे हैं। अफसर के खिलाफ बोलो तो उसने बदमाश रखे हुए हैं, दिल्ली में ये गिरोह बना हुआ है। अध्यक्ष जी, आपने हम सबके बारे में सोचना है। मुख्य मंत्री जी आप इसके बारे में प्रधान मंत्री से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, हमारे घरों में भी छोटे–छोटे बच्चे हैं, उनको भी सुरक्षा की जरूरत है। इस पर भी विचार होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, श्री अरविन्दर सिंह लवली।

श्री अरविन्दर सिंह लवली : अध्यक्ष जी, दिल्ली में पिछले दिनों जो हालात हुए, दिल्ली के लोगों ने जिस तरीके से अपने गुस्से का इजहार किया, दिल्ली के अंदर पिछले 50 सालों में कभी भी इस तरह की घटना और इतने गंभीर रूप में नहीं हुई। मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक चुना हुआ नुमाइंदा होने के नाते, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि जहां 20–25 लाख लोगों के जीवन का सवाल बना हुआ हो तो वो कभी भी दलगत राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिये। मुझे मुखी जी का भाषण सुनकर जरूर अफसोस हुआ है, जो 20–25 लाख लोगों की जिन्दगी का, उनकी रोजी–रोटी का मामला है, उन्होंने जिस तरीके से उसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश की है, उसके लिये उनकी जितनी भी निंदा की जाये, उतना ही कम है। क्योंकि यह एक ऐसा मसला है जो भावनात्मक रूप से दिल्ली की जनता के साथ जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि ऐसे मामले में राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिये, उनकी मुश्किलों के बारे में बात करनी चाहिये। जो आज हमारी दिल्ली की जनता, जिन्होंने हमें चुन कर इस ऑगस्ट हाउस में भेजा है, वो आज इतनी परेशानी झेल रही है, हमें उनकी परेशानी की बात करनी चाहिये, राजनीति की बात नहीं करनी चाहिये। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि मुखी जी कांग्रेस के बारे में कह रहे थे, शायद वे जानते नहीं कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास हमेशा गरीबों के लिये बड़ा सुनहरा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने कभी गरीबों को उजाड़ने की बात नहीं की, मगर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों को बसाने की बात की है। चाहे वो इमरजेंसी का टाइम ही क्यों नहीं था। ये आज जो मायापुरी, नारायणा, कीर्ति नगर जितने भी इंडस्ट्रियल ऐरिया है, इमरजेंसी होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने जिन–जिन इलाकों से फैक्टरियों को उस समय निकाला था, उससे पहले इस जगह की व्यवस्था कराई थी कि वो इन इंडस्ट्रियल ऐरिया में आ जाये। ये इंडस्ट्रियल ऐरिया कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की स्व. प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की देन है। जो उन्होंने उस समय बनाई थी। मुखी साहब शायद इस बात से परिचित नहीं है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि जगमोहन हमारा तो बेड़ागर्क इमरजेंसी के वक्त कर ही गया था, अब जगमोहन के एजेंडे पर बी. जे.पी. है। ये

अपने हाई कमान को समझा दें कि जगमोहन का अब बी.जे.पी. को बेड़ागर्क करने का समय आ गया है अपने हाई कमान को सावधान करे दें कि जो हश्र इमरजेंसी में हमारा हुआ था वही हश्र आने वाले चुनाव में इनका होने वाला है, ये अपनी पार्टी हाई कमान को सावधान कर दें। अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हैं कि हमारे सामने वाले दल में तीन–तीन पूर्व मंत्री दिल्ली की सरकार में रहे हैं। इस समस्या के बारे में मैं समझता हूं कि शायद हमसे भी बेहतर ये जानते हैं। इनकी कारगुजारियों का ये नतीजा है कि दिल्ली की जनता को ये दिन भुगतना पड़ रहा है। ये यहां पर भाषण इतना लंबा–चौड़ा कर रहे हैं लेकिन ये यह भी तो जान लें कि इनकी केंद्र की सरकार क्या एफीडेविट जमा करा रही है। अध्यक्ष जी, इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली में बी.जे.पी. प्रचार के मामले में हमसे काफी आगे हैं, अफवाहें उड़ाने में इनकी मास्टरी है। भगवान गणेश को दूध पिला रखा है इन्होंने इस दिल्ली में। अफवाहें उड़ाने में तो इनकी मास्टरी है। कोई खराब काम हो जाये तो वो कांग्रेस ने किया है और अच्छा काम हो जाये तो वो बीजेपी ने कराया है। लड़की हो जाये तो कसूर कांग्रेस का और लड़का हो जाये तो बधाई बी.जे.पी. को। अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर बहस करने से पहले इनको ये देखना चाहिये कि जो यूनियन अरबन डेवलपमेंट मंत्री ने एफीडेविट कोर्ट में जमा कराया किसी भी हमारे बीजेपी के साथी ने उस एफीडेविट को पढ़ने की कोशिश नहीं की। 30 अगस्त, 2000 को यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ अरबन डेवलपमेंट ने जो एफीडेविट जमा कराया, उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है – The proposal of Govt. of Delhi for allowing continuance of industries in certain residential areas was forwarded to DDA. The Ministry of Urban Development have not approved of the proposal nor does it proposes to take any step in presence of the said proposal.

अध्यक्ष जी, उन्होंने अपने एफीडेविट में ये साफ तौर पर कहा कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने जो मास्टर प्लान अमेंडमेंट करने के लिये हमें लिखा था, हम मास्टर प्लान में अमेंडमेंट करने के लिये तैयार नहीं है। आज ये बार–बार यह बात कह रहे हैं कि जग मोहन जी नहीं चाहते। आज जगमोहन जी जो राजी हुए है कि हम अमेंडमेंट कर देंगे, वे केवल इस बात पर हुए हैं कि जब दिल्ली की जनता सड़कों पर आ गई, जब दिल्ली की जनता के सामने बी.जे.पी. का पर्दाफाश हो गया।

मुखी जी कह रहे थे दिल्ली की सरकार के बारे में, कांग्रेस के बारे में नारे लग रहे हैं, वे अपने घरों में बैठकर ऐसी बातें कह रहे हैं। अगर वे दिल्ली के लोगों के साथ सड़कों पर उतरे होते, दिल्ली के लोगों के साथ दिल्ली सड़कों पर गए होते तो उनको पता लगता कि दिल्ली की जनता का कितना रोष केन्द्रीय सरकार की तरफ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्व मंत्री यहां बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ठीक है मैं मानता हूं कि वे दिल्ली के लोगों के प्रति बड़े सजग हैं, दिल्ली के लोगों की समस्या के प्रति बड़े गंभीर हैं। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं। वे भली–भांति जानते होंगे कि जब दिल्ली में नक्शे पास होते हैं। दिल्ली में नक्शे एम. सी. डी. पास करती है, दिल्ली नक्शे डी. डी. ए. करती है, दिल्ली में नक्शे पास अर्बन आर्ट्स कमीशन करती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कृपया वे मुझे यह बताने की कृपा करें कि क्या ये तीनों आथर्टीज क्या दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर हैं। क्या वे मुझे बतायेंगे कि ये तीनों आथर्टीज किस के अंडर हैं? इन्होंने आज तक क्यों नहीं अपनी पार्टी पर दबाव डालकर इन आथर्टीज पर दबाव डलवाया कि दिल्ली की इंडस्ट्रीज के जो मसले हैं। दिल्ली में लैंड की रिलोकेशन का जो मसला है कि उनके नक्शे जल्दी पास करायें। क्या इन्होंने कभी जानने की कोशिश की कि ये तीनों महकमे जो इनकी सरकार के नीचे हैं। इन्होंने इतने दिनों के नक्शे क्यों रोके रखे? क्या इन्होंने यह पता करने की कोशिश की कि एम. सी.डी. ने कब नक्शा पास किया? डी.डी.ए. ने कब नक्शा पास किया और आज की तारीख में भी कौन सा ऐसा महकमा है, जो आज भी इन नक्शों को, दिल्ली में इतना हाहाकार होने के बाद भी आज भी इन नक्शों को रोककर बैठा हुआ है। जब आपकी गवर्नमेंट के अंडर आने वाले महकमे नक्शे पास ही नहीं करेंगे तो आप मुझे बताइए कि कैसे किसी को जमीन एलोकेट हो सकती है। अध्यक्ष जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि आज जो भी हालात हैं, उसके लिए एकमात्र केन्द्रीय सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, वह चाहे कार्पोरेशन में बैठी हुई है। हमारे मुखी जी, विपक्ष के नेता चीफ सैकेटरी के बारे में कह रहे थे लेकिन कमिश्नर, एम. सी. डी. की तरफ मैं समझता हूं कि उनका ध्यान नहीं गया क्योंकि कमिश्नर, एम. सी. डी. की तरफ ध्यान न जाना स्वाभाविक है क्योंकि वहां पर बी.जे.पी. की गवर्नमेंट है। वे भूल गए, वे

छोटी छोटी, चाहे वो आटे की चक्की है या और छोटे संस्थान हैं। उसको कमिशनर, एम. सी. डी. और एम. सी. डी. के अधिकारी बंद कर रहे हैं न कि दिल्ली गवर्नमेंट के लोग। अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो पूर्ण मत है, कांग्रेस की गवर्नमेंट, हमारी मुख्यमंत्री, हमारी केबिनेट, हमारी पार्टी हमारी सब की यह लाईन है कि हम इन 25 लाख लोगों को हम किसी कीमत पर नहीं उजड़ने देंगे और उनके लिए कोई भी संघर्ष करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : लवली जी, आप समाप्त करिए।

श्री अरविन्द सिंह लवली : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं चुने हुए नुमांइदों से यह अपील करना चाहूंगा कि न केवल इस हाउस के चुने हुए नुमाइंदों से, मैं पार्लियामेंट में बैठे हुए उन चुने हुए नुमाइंदों से भी इस सदन के माध्यम से यह अपील करना चाहूंगा कि अब समय आ गया है जब हम देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए हमें संघर्ष करने की जरूरत है मैं सब से अपील करना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता के लिए हमें कंटैप्ट आफ कोर्ट से नहीं डरना चाहिए। हमारी जनता के यहां पर जो कंटेप्ट हो रही है, जिन्होंने हमें चुनकर के भेजा है, उसको ध्यान में रखते हुए, अगर कोर्ट के आदेश के खिलाफ भी जाना पड़े तो चुने हुए प्रतिनिधियों को नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद, जय हिन्द।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरशरण सिंह बल्ली।

श्री हरशरण सिंह बल्ली : अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी कविता सुना दूं :

"कि ना जाने इस घर को क्या हो गया है,
कि हर घर का पहरेदार सो रहा है।
जिसके जिम्मे थी जिम्मेदारी फूल उगाने की,
वहीं कांटे बो रहा है।
हम बचाव की आवाज किस को दें,
जब नाविक ही नाव डुबो रहा है।

गुमशुदा की तलाश का है ताजा इश्तिहार

किसी को मिले तो बताना, मेरा देश खो गया है,

मेरा देश खो गया है।

अध्यक्ष जी, एक दूसरे पर दोष लगाकर, अध्यक्ष जी, इस समस्या को टालना बड़ा आसान है लेकिन इसकी गहराई में जायें तो समस्या कहां से शुरू हुई। अगर आज दिल्ली के झोंपड़ को देखा जाए तो सन् 72 के बाद दिल्ली के अंदर कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं था। सन् 67 से लेकर सन् 72 तक श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी, दिल्ली के चीफ एग्जीक्यूटिव कांउसलर थे। तब मायापुरी बसी, नारायणा बसा, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया बसा, जी. टी. करनाल रोड का औद्योगिक क्षेत्र बसा। सन् 1972 के बाद यह रिकॉर्ड है कि दिल्ली के अंदर कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं बसा। दिल्ली एक छोटे उद्योगों का क्षेत्र है। यहां पढ़े लिखे बेरोजगार रहते हैं। आज के दिन यहां सवा करोड़ आबादी का यह शहर है तो आज दस लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार दिल्ली के अंदर हैं। बेरोजगारी पैदा होती रही, यह बढ़ती रही, हर हाथ को काम चाहिए था, हर पेट को रोटी चाहिए थी। यहां सरकार किसी की भी रही। सब जानते हैं कि यहां 72 के बाद किस की सरकार रही। कौन डी. डी. ए. में रहा, कौन किस जगह पर रहा। किसी ने इस बारे में नहीं सोचा कि दिल्ली के लोगों को रोजगार दिया जाए। हर एक की मजबूरी थी। किसी ने अपने घर के अंदर अपनी खराद लगा दी। किसी ने अपने घर के अंदर बफिंग का एक अड्डा लगा दिया। लोगों के पास जाकर जॉब वर्क करना शुरू कर दिया, किसी ने अलग अलग छोटी छोटी फैक्टरियां लगाई, दिन और रात मेहनत करके उसको औद्योगिक क्षेत्र तक लेकर गए इसमें सरकारों की कमी रही। दोष रहा उन मेहनतकश लोगों का, जिन्होंने अपने लिए तो रोजगार पैदा किया ही बल्कि अपने घरों के अंदर दूसरे लोगों को भी रोजगार देकर शहर की बेरोजगारी को दूर किया। मैं आज के पेपर को पढ़कर हैरान हूं। जब सुप्रीम कोर्ट के महामहिम जस्टिस साहब ने लफ्ज कहे कि दिल्ली की सड़कों के ऊपर गुंडों का राज था और दिल्ली गुडों के हवाले हो गई। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन लोगों से कि जिन्होंने उद्योग लगाकर इस देश की प्रगति के अंदर हिस्सा डाला जिन्होंने केवल अपने घर में रोशनी नहीं डाली,

सैकड़ों हजारों, आज 20 लाख, 25 लाख 15 लाख की गिनती तो हम गिनकर दे रहे हैं। उन्होंने अपने घर के अंदर तो रोशनी की। क्या वे गुंडे हैं? आज किसी देश के इकोनोमिकल पॉवर उसकी फौजी ताकत से नहीं गिनी जाती बल्कि उसकी इकोनोमिकल पॉवर से गिनी जाती है और अगर हिंदुस्तान को भी किसी ने इकोनोमिकल पॉवर दी है। आज दिल्ली को इतने बड़े शहर के रूप में विकसित किया है तो दिल्ली शहर के लोगों ने किया है। अभी लवली जी कह रहे थे, मेरा भाई मारवाह भी कह रहा था। मैं दीपचंद जी से भी हाथ मिलाने चला गया तो वे भी कह रहे थे कि बल्ली जी आपका भी उद्योग है। क्या उद्योग चलाना पाप है। मुझे फख्र है कि मैंने दिल्ली में उद्योग चलाया। जैसे एक लाख 25 हजार ये उद्योगपति हैं वैसा ही मैं भी हूं। ये अजय माकन जी भी हैं, अपनी अंजली राय भी है। मेरे यहां जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो उद्योग है, वह एफ केटगरी में आता है। जहां आटे की चक्की लगती हैं, वहां पर एफ केटेगरी का उद्योग लगता आपका इंडस्ट्री कमिश्नर बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए, जहां आटे की चक्की लगती है, वहां इलेक्ट्रोप्लेटिंग की फैक्टरी लगाने की इजाजत है लेकिन ये फोम की इंडस्ट्री लगाना, यह एच केटगरी में आता है। ये दिल्ली के अंदर ही नहीं लग सकते। यह इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में भी नहीं लग सकती। यह हाईली पॉल्यूटिड इंडस्ट्री है। यह एच केटगरी में आती हे। अगर कोई कांग्रेसी करता है तो वह पुण्य है और अगर हम अपने बच्चों के लिए रोटी कमाते हैं तो यह पाप है। मुझ से तब भी एक प्रेस वाले ने पूछा था। जब यह बात 1996 में आई थी जब उन्होंने पूछा कि बल्ली जी आपका दोष क्या है? मैंने कहा कि ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि मंत्री होकर भी कमाकर खाता है। क्या हमारी तरह तू नहीं खा सकता। मैंने कहा कि यह मेरा दोष था। मैं भी काम करके, कमाकर मेहनत करके खाता था और अपने बच्चों को पालता था। इस पर इनको एतराज था। मैंने 1996 में अपनी फैक्टरी बंद कर दी और मैंने अपनी फैक्टरी बंद करके मैंने दिल्ली के एक लाख 25 हजार उद्योगों को बचाया। मैंने तब सोचा था कि यह सारा दोष मेरे सिर पर आ रहा है। अगर मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा तो इन एक लाख 25 हजार उद्योगों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैं अपनी लड़ाई अगर आज बंद करता हूं और इनकी लड़ाई लड़ता हूं और वह लड़ाई मैंने लड़ी। मैंने एक लाख 25 हजार लोगों को बचाने की लड़ाई लड़ी। आपको याद होगा। आप इसी

हाउस के स्पीकर साहब तब सदस्य थे, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था.... आज का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी शायद उतना सख्त नहीं है। तब आर्डर किया था कि 31 दिसंबर को रात के 12 बजे दिल्ली के नॉन कंफर्मिंग एरिया में चलने वाले सारे उद्योग बंद हो जायें। हर तरफ शोर था। आज से ज्यादा बड़ी एजिटेशन थी। असैम्बली भी घिरी हुई थी। लोग गुस्से में भी थे। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन मैं अकेला कह रहा था कि ये उद्योग पॉल्यूशन के नाम पर बंद नहीं हो रहे हैं। न इनका प्रदूषण के साथ कोई संबंध है। इसका संबंध था तो सिर्फ मास्टर प्लान को वेव करने से था। जब मैं कोर्ट में एफिटेविट लेकर गया, मेरे इंडस्ट्री सैक्रेटरी ने कोर्ट में एफिडेविट दिया दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से दिया तो कोर्ट ने उस एफिडेविट को माना। हमने अपने एफिडेविट में कहा था कि कसूर तो यह पिछली सरकारों का है। मास्टर प्लान में तय है कि जितना बड़ा आप आवासीय क्षेत्र बनायेंगे, उसका 8 प्रतिशत आप औद्योगिक भूमि विकसित करेंगे? मैं पूछता हूं कि हमारे से पिछली सरकार किसकी थी। जगप्रवेश चन्द्र जी उसके चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे। जिस पार्टी की आप सिफ्ते कर रहे थे, उस पार्टी की सरकार थी। उसने ये फैसला किया कि दिल्ली के अंदर हमने कोई भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं बनाना। चार हजार एकड़ भूमि डीडीए को वापस कर दी कि हमने औद्योगिक क्षेत्र नहीं बनाना। दिल्ली के अंदर किसी उद्योग को नहीं बसने देना। यह पाप था तो उस सरकार का था। आप करो और हम संभाले तो भी दोष। हमने सुप्रीम कोर्ट को स्कीम दी और हमने कहा कि हम दिल्ली के हर उद्योग को बसायेंगे। अगर पॉल्यूटिड है तो उनके लिए अलग एरिया बनायेंगे। अगर कोई दूसरा उद्योग है तो उसके लिए अलग एरिया बनायेंगे। आज जो जगदीश सागर कमेटी की बात हो रही है तो किसने बनायी थी जगदीश सागर कमेटी? मैंने बनायी थी। किसने बनायी थी जुनेजा कमेटी? ये किसने कहा था कि 60 प्रतिशत उद्योग जहां पर हैं वहां पर औद्योगिक क्षेत्र घोषित करो। मैंने किया था। अभी आपके मुकेश शर्मा जी कह रहे थे, वह सारा रिकॉर्ड यहां पर है। मैं आज भी उन बातों पर पक्का हूं। आज भी कह रहा हूं, आज भी उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं। कोई कहता है कि जमीन कागजों पर एक्वायर हुई। कोई कहता है कि मुआवजा नहीं दिया। एक बात बता दूं। मैं ये तेरह सौ एकड़

लैंड, इसका मैंने कब्जा लिया। इसके ऊपर बराबर तारें लगाकर जब सरकार से गया था तो आपके हवाले की थी। 2700 एकड़ लैंड जो बाकी की थी, उसको मैंने आईडन्टीफाई किया। सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली। एक–एक गांव में कितनी जमीन पड़ी है, उस सबका हिसाब देकर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली थी। आज मैं पूछता हूं नरेन्द्र नाथ जी से। बड़ा गर्व है उनको शिक्षा मंत्री भी हैं, इलैक्ट्रसिटी मंत्री भी हैं। लेकिन मैंने बहुत से कार्ड देखें हैं। उनको बड़ी शर्म आती है अपने आप को उद्योग मंत्री लिखते। कहते हैं कि मेरे से ज्यादा उद्योगों का सत्यानाश किसी ने नहीं किया। मैंने कहा कि चलो कबूल तो करते हैं। इन्होंने अपने आप को उद्योग मंत्री कभी नहीं लिखा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि नरेन्द्र नाथ जी बताइये कि इस 2700 एकड़ लैंड को आपने क्यों नहीं एक्वायर किया? इसी महीने की 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। तब आपने 800 एकड़ जमीन को नोटिफाइ करने की बात की। दो साल तक क्यों सोये रहे? आज जो एक हफ्ते के अंदर जो 800 एकड़ जमीन की नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, आज तक दो साल तक क्यों नहीं किया? मैं एक सवाल करना चाहता हूं। शीला दीक्षित जी बैठी हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं। अगर एक मिनट ध्यान से मेरी बात सुन लें। मैं बड़े अदब से आपसे कहना चाहता हूं। आप आज भी कहती हैं और आपके एम. एल. एज. भी बोले कि दिल्ली के अंदर एक लाख 25 हजार उद्योग हैं। फिर क्यों सिर्फ 23 हजार एप्लीकेशनंस को एक्सेप्ट किया। क्या आप यह मानती है कि दिल्ली में सिर्फ 23 हजार उद्योग हैं। फिर ये बंद करने का ऑर्डर किसका था? सुप्रीम कोर्ट का आर्डर तो आया 14 तारीख को? 7 दिसंबर, 1999 को शीला दीक्षित जी आपकी अध्यक्षता में दिल्ली की कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें फैसला लिया गया कि.....*व्यवधान*.... अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा समय लूंगा, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है। लोगों के सामने सच्चाई को लेकर जाना है.....

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है कि आपने अपनी बात कह दी है...उसके बाद मंत्री जी जवाब देंगे.....*व्यवधान*.... आप बैठिये।

श्री हरशरण सिंह बल्ली : अध्यक्ष महोदय, आपकी कैबिनेट ने फैसला किया कि 23 हजार एप्लीकेशन्स आपने एक्सेप्ट की हैं। 53 हजार एप्लीकेंशन्स हमारे पास

आई थी। 30 हजार हमने रद्द कर दी। जिन लोगों ने एप्लाई ही नहीं किया, उन सब की फैक्ट्रीज आज से बंद मानी जाये। यह दिल्ली की मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के अगुवाई में 7 जून, 1999 का फैसला है। कौन मुकरेगा इस फैसले से। जब दिल्ली की कैबिनेट आज से 1 साल पहले 7 जून 1999 को ये फैसला ले रही है कि जिन फैक्ट्रीज ने एप्लाई नहीं किया.... स्पीकर साहब, इन एक लाख 25 हजार में से 70 हजार वे हैं, जिन्होंने एप्लाई नहीं किया। मैं मानता हूं कि कसूर उनका है। उनको एप्लाई करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैंने अपील की। अखबारों में विज्ञापन दिये। उन्होंने एप्लाई नहीं किया, मैं मानता हूं कि उनकी गलती है। वो एक शायर ने लिखा है .....

ये इश्क जुर्म है, काबिले सजा भी है,
आखिर इस सजा की कोई इन्तहां भी है।

फैसला तो बंद करने का आपने लिया, फिर उनको एप्लाई भी नहीं करने देना। इन सबकी फैक्ट्रीज बंद कर दो। सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला है 14 नवंबर का तो वह 23 हजार फैक्ट्रीज पर लागू हो सकता है लेकिन एक लाख तीन हजार फैक्ट्रीज के लिए अगर किसी ने पाप किया है उनको बंद करने का तो शीला दीक्षित जी आपकी अध्यक्षता में आपकी कैबिनेट ने किया है। 7 जून, 1999 को किया है। आप मुकरिये इस बात से ? अब ड्रामा करते हैं। असैम्बली का सैशन होता है, बहस रखी होती है, शीला जी अगर दो मिनट बैठ जायेंगी, तो मैं अपने ऊपर एहसान मानूंगा। दिल्लीवासियों पर आपका इतना ही एहसान बहुत है कि दो मिनट बैठ जाइये। अब ड्रामा होता है। असैम्बली में बहस लगी होती है 5.00 बजे की, दो बजे शीला जी कहती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास जाना है। राष्ट्रपति के पास जाना है। 9 सितंबर को बंद होने का फैसला हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। ये डेढ़ महीना लखनऊ के चक्कर क्यों लगाती रहीं? वहां क्यों रहीं? एक शायर ने कहा है आपके लिए :

गुनाहों के डर से सिजदा, ये आदत है, इबादत नहीं है।

ये कल जो करने गये थे न, ये गुनाहों के डर से सिजदा था क्योंकि अपने पाप दिल्ली के सामने नंगे हो कर नाच रहे थे। आप उनको छिपाने के लिए

प्रधानमंत्री के पास गये थे वरना ये डेढ़ महीना और चार दिन आप दिल्ली में रूकी होती। मैंने तो जिस दिन ऑर्डर दिया था, बैठे हैं आपके चीफ सैक्रेटरी। अखबारों में छपा था कि फैक्ट्रीज सील होगीं। मैंने प्रैस में भी और सबके सामने खड़े होकर कहा था कि दिल्ली की एक भी फैक्ट्री मैं सील नहीं होने दूंगा और लोगों को ये वार्न करके आया था कि ये चीफ सैक्रेटरी के इल्लीगल आर्डर है, जहां–जहां सील होती है, तोड़ दो। आज भी ये कहता हूं कि अगर उनको इन्होंने गुंडा कहकर कोर्ट के अंदर भेजा है, दिल्ली का इंडस्ट्रियलिस्ट शीला जी गुंडा नहीं है, बदमाश नहीं है, वह मेहनतकश है। वह अपना खून और पसीना बहा रहा है और बहाकर दिल्ली को रेवेन्यू दे रहा है और दिल्ली की प्रगति में उसका हाथ है। अगर वे गुंडे हैं, तो सबसे बड़ा गुंडा मैं हूं। मैं बदमाश हूं, मैंने उनको लाइसेंस दिलवाएं थे, हमने पार्टी बनाई थी, इनको एडहॉक लाइसेंस दिए जाएं। गुंडा मैं हुआ क्योंकि मैंने कहा था कि इनका लोड बढ़ाया जाये। इनकी एप्लीकेशन्स मांगी ताकि लोड बढ़ाये जाये और ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। तो गुंडा तो मैं हूं। गुंडा वो हर राजनीतिज्ञ है जिसने सरकार में आकर दिल्ली का रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की, दिल्ली का व्यापार बढ़ाने की कोशिश की, दिल्ली का उद्योग बढ़ाने की कोशिश की। ये बेचारे वो इनोसेंट लोग हैं जो अपनी रोटी की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। स्पीकर साहब, बातें करते–करते शायद खत्म न हों, एक–दूसरे को दोष देते हुए खत्म न हों। मैं कुछ सुझाव भी लाना चाहता हूं। दो साल आपने कुछ नहीं किया ये आपको मानना होगा दिल्ली की सारी जनता जानती है। नरेन्द्र नाथ जी केवल सिर हिलाने से बात नहीं बनेगी। अपनी नाकामयाबियों पर पर्दा डालने से बात नहीं बनेगी। अब भी समय है कुछ करो। मैं जानना चाहता हूं कि जगदीश सागर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने से सारी समस्याएं हल नहीं होगी। जो शहरीकृत गांव हैं उनके बारे में आज आपने क्या सोचा, कितनी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर। वो गरीब किसान जिसकी जमीन तो हमने एक्वायर कर ली। तब मुआवजा भी कितना मिलता था उसको कोई और चीज नहीं मिली तो उसने घर के अंदर जगह बना ली वहीं पर अपने बच्चों के लिए इंडस्ट्री बना ली और कहीं पर किराये पर देकर अपनी रोजी और रोटी का साधन पैदा कर लिया। क्या हम ये भी नहीं कर सकते। डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब बैठे हैं, क्या हम ये भी नहीं कर सकते कि ये जो शहरीकृत गांव है इनके अंदर लालडोरा

की स्थिति को खत्म होने के पहले हम बाहर रखें। अगर हम लालडोरा की स्थिति को बाहर रखेंगे तो गांव के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं वो वैसे की वैसी ही बसी रहेगी। जिन 16 औद्योगिक क्षेत्रों की बात आप करते हैं मैं पूछना चाहता हूं कि उनके अंदर कुल कितनी इंडस्ट्रीज हैं। 10,000 गिनती पूरी करोगे तो 200 और बढ़ जायेगी उनको इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लीयर करो। ये मेरी लड़ाई थी, यह मेरा सुझाव था लेकिन हमको बाकी एक लाख, 25000, 15000 के लिए भी तो सोचना है। चार हजार एकड़ से फिर भी काम नहीं चलेगा। आप जाओ एक बार जगमोहन जी के पास कि दिल्ली की यह बहुत भारी समस्या है। अगर दिल्ली की ये इंडस्ट्रीज नॉन–रेजिडेंशियल उजड़ जाएंगी तो पूरी दिल्ली ही उजड़ जाएगी। शीला जी इससे 60 लाख लोग प्रभावित होंगे अगर हमें उन सबको बसाना है तो हमें 10,000 एकड़ लैंड का मास्टर प्लान में चेंज कर उन्हें इंडस्ट्रीयल लैंड डिक्लेयर करना होगा। 10,000 लोग जो बेरोजगार हैं हमें उनके लिए भी सोचना होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब तक दिल्ली का मास्टर प्लान चेंज नहीं होगा तब तक दिल्ली की तीन बड़ी समस्याओं का हल नहीं होने वाला है। दिल्ली के घरों के अंदर चार दुकानें हैं और 30 लाख लोग रहते है अनौथराइज कालोनियों के अंदर। सवा लाख ये इंडस्ट्रीज है जिससे 15 लाख, 20 लाख लोग प्रभावित है। महोदय, अगर इन सबको बसाना है तो मास्टर प्लान को बदल कर के दिखाना होगा। दिल्ली को एक बसता हुआ शहर रखना होगा। दिल्ली की दुकानें चलें, दिल्ली के उद्योग चलें, दिल्ली की अनौथराइज कालोनियों में रहने वाले लोगों को हम रेग्यूलेराइज कालोनियों जैसी सुविधाएं दे सकें, इसकी लड़ाई को पोलिटिकल पार्टी की लड़ाई न बनाओ। दिल्ली के वासियों की लड़ाई समझ कर हम सबको इसके लिए मिलकर के लड़ना चाहिए। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अजय माकन : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट जरा मैं कुछ कहना चाहता हूं। आदरणीय बल्ली जी अभी जो मेरे मुत्तलक एक बात कही है मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि जो कि शायद हम लोगों का अधिकार है। और हम लोगों के मुत्तलक आ गया है..... *अंतरबाधा*।

श्री हरशरण सिंह बल्ली : अध्यक्ष महोदय, मैंने नहीं कहा। मैं तो जब मिनिस्टर था तब भी नहीं कहा जबकि मुझे पता था। ....*अंतरबाधा*....

श्री अजय माकन : अध्यक्ष महोदय, जब ये बोले तो मैंने तो इनको नहीं रोका तो फिर क्यों रोक रहे हैं। इन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि अजय माकन जी की फॉम की फैक्टरी है जो कि हैविली पॉल्यूटिड है, एच कैटेगरी में आती है, यही कहा था कि ना आपने। अब अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बल्ली की को एक छोटा–सा चैलेंज देना चाहता हूं। 1996 में एक एफीडेविट दिल्ली पाल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर किया था और साहिब सिंह वर्मा जी उस समय उसके मिनिस्टर थे और सुप्रीम कोर्ट में जो एफीडेविट इनकी सरकार ने उस समय दायर किया उसके अनुसार दिल्ली की सारी फाम इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग माई इंडस्ट्री कैटेगरी–एच के अंदर नहीं है, कैटेगरी एफ में और अगर वो कैटेगरी एच में है तो लाइसेंस दिखा दूंगा। और अगर केटेगरी एच के अंदर नहीं है तो बल्ली जी इस्तीफा दें। यह मैं चेलेंज आज इस सदन के अंदर करना चाहता हूं और अगर है तो ....*अंतरबाधा*...। नहीं अध्यक्ष महोदय बात खत्म नहीं हुई। यह बहुत बड़ी बात है। यहां पर एक पर्सनल बात उठाई गयी है। मैं यहां पर ऑन रिकार्ड आना चाहता हूं कि अगर रबड़ फार्म इंडस्ट्री इनके समय में जब मैं पार्लियामेंट का मेम्बर नहीं था, विपक्ष का ही एक सदस्य था। अगर इनकी सरकार ने इसका फैसला केटेगरी एच के अंदर किया होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा और केटेगरी एच में नहीं किया होगा तो बल्ली जी गलत स्टेटमेंट के लिए या तो कल माफी दें या अपने शब्द वापस लें .....*अंतरबाधा*....।

श्री हरशरण सिंह बल्ली : मास्टर प्लान में किस केटेगरी के अंदर है?

श्री अजय माकन : मैं मास्टर प्लान...*अंतरबाधा*... नहीं अध्यक्ष महोदय, बल्ली जी मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं इन्होंने एक और गलत बात कही है मुझे इसका भी जवाब देने दीजिए। ये कह रहे हैं कि इन्होंने मास्टर प्लान के आधार पर कहा है। कैटेगरी एच और कैटेगरी एफ बनाकर के पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में भेजा था वो भी मास्टर प्लान के आधार पर ही बनाकर के भेजा था उनकी कोई अपनी कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। यह केवल मास्टर प्लान के आधार पर ही भेजा था...*अंतरबाधा*..... नहीं अध्यक्ष महोदय, आप इनको डायरेक्ट करें कि कल ये विचार करके....*अंतरबाधा*....

अध्यक्ष महोदय : आपने बात खत्म कर दी अब आप बैठ जाइए।

श्री जिले सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट कृपया मुझे सुने। इतना गंभीर मामला है और दिल्ली के लाखों लोग इसमें इन्वाल्व हैं और दिल्ली के मुख्य सचिव अपने आराम से चले जाएं उन्हें इस सदन में रहना चाहिए। मेरा यह कहना है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री जिले सिंह चौहान : नहीं अध्यक्ष जी लोगों की भावनाओं का सवाल है सारे आर्डर मुख्य सचिव के पास हैं और उनको अभी डायरेक्शन दी जाये कि वो अभी हाउस में आएं। उन्होंने सारे गलत आर्डर किये हैं और उन्हें हाउस में रहना चाहिए। चुने हुए नुमाइंदो की बात सुननी चाहिए।.....*अंतरबाधा*।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिए। श्री चरण सिंह कंडेरा बोलिए।

श्री चरण सिंह कंडेरा : अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद और यह एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। आज हमारे देश में गरीबों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वो तीन दिन में हमारे सामने बिल्कुल एक नाटकीय ढंग से गुजरा है। गरीब और बेगुनाह लोगों को सड़कों पर लाया गया और उनकी पिटाई तक भी हुई। लोगों को गोली मारी गयी, उनकी हत्या की गयी इसके लिए कौन जिम्मेदार है यह प्रश्न हाउस में उठाया गया है। आज फैक्टरी का मामला है और इन उद्योगों में जो लाखों मजदूर काम करते हैं उनकी जिंदगी से जो खिलवाड़ किया गया है इस प्रश्न को लेकर आज यहां चर्चा हो रही है। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि यह आपका आदेश है लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूंगा कि एक तो जिन अधिकारियों के कारण ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर होनी चाहिए और जो आज भी मुख्य मंत्री के आदेश के बाद, प्रधान मंत्री से चर्चा होने के बाद आज कुछ लोगों की चर्चा है, फैक्टरी सील कर रखी है और मुख्य मंत्री के आदेश के बाद भी उस सील को तोड़ा नहीं गया है। तो जो अधिकारी इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। मैं एक बात और जरूर कहूंगा कि इस बात पर विशेष

रूप से ध्यान दिया जाये। राजनीति से ऊपर उठकर दिल्ली में फिर से इस किस्म का हादसा न हो और इस तरह से दुबारा मजदूरों की हत्या न हो इस पर विशेषकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, जो लोग आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं और गरीब मजूदरों को देख नहीं रहे हैं, जिन लोगों की रोजी–रोटी पर हमला किया गया है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अगर कल हमारे लोग यह हाउस बंद करके वहां नहीं जाते और हमारी बहादुर मुख्य मंत्री अपना काम नहीं देखती तो शायद दिल्ली में हर तरफ से आगजनी होती और न जाने कितनी गाड़िया जलती, कितने लोग मरते, कितने बच्चों की हत्या होती यह हमारी मुख्य मंत्री की सूझबूझ की ही देन है कि जो दिल्ली में शांति हुई है। आज जो लोग प्रधानमंत्री के पास नहीं गये वही लोग आज कह रहे हैं कि बहुत बुरा हुआ। इन्सान की करनी और कथनी सही होनी चाहिए, मन की भावना सही होनी चाहिए, अगर आप लोग गरीबों, दलितों के हितैषी हैं तो यह भावना अभी तीन दिन में लोगों के सामने आयी है दिल्ली की जनता के सामने आज जिस तरह का यहां पर नाटक हुआ है उस नाटक को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने जो कदम उठाया है मैं उसके लिए अपनी बहादुर मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधेश्याम खन्ना जी (उपस्थित नहीं) श्री महाबल मिश्रा जी (अनुपस्थित) श्री मालाराम गंगवाल जी।

श्री मालाराम गंगवाल : आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। आज जहां केन्द्र सरकार दिल्ली की आपात स्थिति के लिए दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप मढ़ रही है वहां वह अपने गरेबान में झांकने के लिए तैयार नहीं है। एक ही झटके में एक ही आदेश से दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ने जो 80 हजार यूनिट को एकदम से बंद करने की योजना बनाई, उनको सील करने की जो योजना बनाई है उससे लोगों में बड़ा भारी रोष है, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। इसके पीछे हत्याएं हुई इसके पीछे लोग सड़कों पर उतर गए, भूखे लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के बाद जब सरकार की आंखें खुली तो माननीय जगमोहन जी ने मास्टर प्लान में संशोधन करने की बात की। इसमें मेरा आग्रह है और छोटा सा

सुझाव है कि मास्टर प्लान में सुधार किए जाने से कुछ होने वाला नहीं है बल्कि मास्टर प्लान के अंदर शहरीकृत गांव अरबन गांव और रूरल गांवों में जहां पर नान पॉल्यूटिड इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं उनके बारे में भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा क्योंकि 1996 से जो आदेश लगातार चल रहे हैं, चाहे भाजपा की सरकार हो या दिल्ली के अंदर हमारी कांग्रेस की सरकार हो वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया गया है। शहरीकृत गांवों का मसला तब तक ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है जहां 80 से 85 प्रतिशत तक लोग और ऐसी इकाइयां जहां पर कार्य कर रही हैं जैसे मेरे क्षेत्र के अंदर मादीपुर गांव है जहां पर 75 से 80 प्रतिशत तक छोटी इकाइयां 5 यूनिट से लेकर के लोग काम कर रहे हैं उसको सरकार द्वारा बनाई गई लिस्ट में जोड़ा जाये और मास्टर प्लान के अंतर्गत उनको ट्रीट किया जाये। मेरा एक सुझाव तो यह है। दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां जगमोहन जी ने यह कहा है कि 5 कि.वा. और 10 आदमी जिस यूनिट में जहां पर काम करते हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से आप हम यह बात अपनी छाती पर हाथ रख कर सोचें कि 5 कि.वा. से क्या कुछ होने वाला है छोटी इकाइयां जिनमें 5 या 10 आदमी काम करते हैं कोई भी छोटा सा इक्यूपमेंट जो हम लगाते हैं 5 कि.वा. उसके लिए स्फीसेंट नही है, मेरा अनुरोध है कि 11 या 15 कि.वा. तक की इकाइयों को जहां पर लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं गांवों के अंदर या कहीं भी जैसे ख्याला गांव है उसका औद्योगिक क्षेत्र है उसके साथ ही पीरागढ़ी गांव हैं मादीपुर गांव है इन लोगों को राहत देने के लिए कार्यवाही की जाये। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक लाख 37 हजार यूनिट्स को उस 4 हजार एकड़ जमीन पर कैसे स्थापित कर पायेंगे बल्ली साहब कह रहे थे कि 1300 एकड़ भूमि का मुआवजा देकर उसका अधिग्रहण किया गया है दूसरी तरफ हमारी सरकार का दावा है कि 800 एकड़ जमीन हमने एक्वायर की तो कुल 2100 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ। लेकिन बाहर क्या हुआ। जिन लोगों द्वारा दो–दो किस्ते देने के बावजूद वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहां पर किस तरह से कंस्ट्रकशन कर सकते हैं किस प्रकार से उनको ऋण मिलेगा, कहां पर वे अपनी फैक्टरियां शिफ्ट कर पायेंगे। तब तक उनको राहत मिलनी चाहिए मेरा सदन से यह अनुरोध है, और अध्यक्ष जी मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो 14.11.2000 से

इन चार–पांच दिनों में जो कार्यक्रम हुआ लोग सड़कों पर आ गये उनमें त्राहि–त्राहि मची हुई थी, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जैसे बताया कि 1977 में जगमोहन जी बुल्डोजर के नाम से संजय गांधी जी को और कांग्रेस को बदनाम कर रहे थे आज वहीं आदमी भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा पहन करके यह सब कर रहे हैं और कल हमारीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से राष्ट्रपति जी से मिल करके उनको कहा और उन लोगों को यह मानना पड़ेगा कि मास्टर प्लान को संशोधित क़रके हम उन लोगों को बसायेंगे। अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह है कि इसके अंदर जो 1540 पोलिटिड 'एस.; टाइप फैक्टरियां थीं वे आलरेडी बंद हो चुकी है जब वे बंद हो चुकी हैं तो जो फैक्टरियां सील की गई उन फैक्टरियों की सीलों को खोला जाए और उनको दूसरा कार्य करने की अनुमति दी जाए। मेरे ये कुछ सुझाव थे, जो मैंने आपके और सदन के सामने रखे, आपने समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री हरशरण सिंह बल्ली : अध्यक्ष जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि सदन के बाहर जो मैम्बर्स लाउंज है उसमें चाहे एक दिन का सत्र होता है या ज्यादा दिन का, उसमें पानी व चाय आदि की सब व्यवस्था होती थी। यहां आज पानी भी बंद कर दिया और कोई पिओन नहीं है न चाय का इंतजाम है, यह व्यवस्था तो सचिव महोदय के जिम्मे है, यह व्यवस्थाएं यहां पर होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, सब व्यवस्था हो जायेगी। हां डॉ. हर्षवर्धन जी।

डॉ. हर्षवर्धन : अध्यक्ष जी, बड़ी मुश्किल से 9 महीने के बाद खूब चिल्लाने और गाने के बाद यह असैम्बली का सत्र मजबूरन बुलाना पड़ा था और हम लोगों को बड़ी आशा थी। लेकिन कल मुख्यमंत्री अच्छा और सुन्दर सा बहाना बना कर 5.30 बजे समय लेकर यहां से 2.00 बजे ही रवाना हो गई बाकी साथी यहीं पर घूम रहे थे यहीं पर मंडरा रहे थे। इस सारे एपिसोड ने दो बातें निर्विवाद रूप से इस सरकार के बारे में और विशेषकर इस सरकार की मुख्यमंत्री के बारे में सत्य सिद्ध कर दी है। एक बात का फैसला तो लोकायुक्त महोदय कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उसके ऊपर बड़े जोर–शोर से चर्चा होगी और शायद यहीं कारण था कि यह सत्र बड़े दिनों से बुलाया नहीं जा रहा था। दूसरी बात जो इस सारे एपिसोड ने सिद्ध की है और मैंने पिछले सत्र में भी कहा था कि सरकार का

मुख्यमंत्री उसका आदेश का कोई आंफिसर पालन न करें, पिछली बार कहा कि हमारे एक सेक्रेटरी ने चिट्ठी केन्द्र सरकार को लिख दी हमें पता नहीं था कि उसने हमारी इच्छा के विरुद्ध दिया। अभी लवली जी कह रहे थे कि यह हमारी सरकार गरीबों की मसीहा सरकार है और गरीबों का जो सारा ठेका है वह कांग्रेस पार्टी ने ले रखा है इनसे बड़ा गरीबों को कोई और मसीहा नहीं है। अध्यक्षजी, 14 नवंबर को आदेश हुआ पता नहीं मुख्यमंत्री जी कौन सी अफरा–तफरी में हैं कि उनके पास समय नहीं है, जैसे अभी बल्ली जी कह रहे थे कि लखनऊ आदि जगह पर जाने के लिए उनके पास समय पूरा है, उस आदेश को पढ़ा नहीं, सुबह से रात तक बैठकें होती रही उस बैठक में दुनिया भर के सारे आफिसर विद्यमान थे, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उस मीटिंग की अध्यक्षता की और उसके बाद यह गरीबों की मसीहा सरकार यह निर्णय करती है और यह निर्देश करती है कि सारी दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। जूनियर इंजीनियर को एस. डी. एम. की पावर दे देते हैं। हिटलरशाही नादिरशाही शुरू हो जाती है। वे हमारी साथी जिन्होंने पिछले 3–4 दिनों में सड़कों पर जाकर उस जनता के साथ उनके दुख दर्द में शामिल होकर देखा है उन्होंने पिछले 3–4 दिनों में पुलिस की गोलियां भी खाई हैं, टीयर गैस के सैल्स को भी झेला है उनको पता है कि उनकी आंखों में किस प्रकार के आंसू थे। उनके बच्चे किस प्रकार की भूख से बिलख रहे थे। और किस प्रकार के कष्ट से पीड़ित हो कर वो लोग दिल्ली की सड़क पर उतर आये थे। पता नहीं क्या बात हे कि कोर्ट के अंदर कोई भी निर्णय हो जाता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती उस निर्णय के बारे में कोई कोमेंट करने की। आखिर 100 साल से इस दिल्ली के अंदर बहुत सारी फैक्टरीज चल रही है। बहुत सारी इंडस्ट्रीयल यूनिट्स चल रही हैं। कोई 50 साल से चल रही होंगी कोई 20 साल से चल रही होगी। ये सवा लाख उद्योग, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन उद्योगों को चलाने वाले इन उद्योगों में करने वाले उन लोगों का क्या कसूर है। जब ये उद्योग दिल्ली कें अंदर प्रारंभ हुए थे तब कोर्ट क्या कर रही थी उस समय की सरकारें क्या कर रही थी। अधिकारी क्या कर रहे थे। एक दिन अचानक हमारी नींद खुले, हम कोई नादिरशाही वाला निर्णय पास कर दें और उसके बाद सरकार इतना भी न करे कि उस निर्णय के खिलाफ ईमानदारी से दृढ़ता के साथ उन लाखों लोगों के पेट की चिंता करने

के लिए बात कहे। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं कि कोर्ट के द्वारा दिया गया यह निर्णय पूरी तरह से अव्यवहारिक है। अब इसके ऊपर डिबेट करते रहिये, इसके ऊपर तरह–तरह के सुझाव देते रहिये। मास्टर प्लान को बदलने की बात करते रहिये। इस केटेगरी को उस केटेगरी को नयी–नयी केटगेरीज देते रहिये लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक ऐसा अप्रत्याशित निर्णय हुआ है जो कि लाखों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से नष्ट करने वाला है और सच बात यह है कि इस निर्णय के खिलाफ सारे राजनीतिज्ञों को सारे राजनीतिक दलों को, सारे चुने हुए प्रतिनिधियों को एक होना चाहिये था और हमें भी इस बात को कहने के अंदर कोई शर्म नहीं है कि हमने भी उन गरीब लोगों के साथ सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया है। अगर वो लोग उन्हें गुंडागर्दी की तरह अगर उनको गुंडा कहा गया है तो हमें इस बात को भी कहने के अंदर कोई संकोच नहीं है कि हमें भी गुंडा माना जा सकता है। लेकिन अगर दिल्ली के अंदर लाखों लोगों की इस तरह से तबाही होती रहेगी और हम लोग केवल डिबेट करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि शायद हम सब को सच्चा प्रतिनिधि कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं मुकेश शर्मा जी को कि उन्होंने कम से कम अपनी सरकार की इन–एफीसियेंसी को भी पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत करने का, उजागर करने का प्रयास किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं रमाकांत गोस्वामी जी को, शोएब इकबाल जी को उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ प्रधानमंत्री जी को उनके इनीसियेटिव के लिए बधाई दी है। लेकिन समस्या का समाधान खाली इन बातों से नहीं होने वाला है। जैसा मुझ से पूर्व साथियों ने भी कहा कि बहुत सारी समस्याएं है। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या **यह मल्टीपलीसिटी आफ अथारिटी है। कोई चीज केन्द्र सरकार ने ले रखी है, कोई** चीज कारपोरेशन ने ले रखी है कोई चीज दिल्ली सरकार के पास है। अभी निर्णय होता है मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में। वैसे तो वो लोकल सैल्फ गवर्नमेंट की मिनिस्टर हैं लेकिन जब निर्णय कर दिया तो नोटिस निकाल दिया म्युनिसिपल कमिश्नर के नाम से चीफ सैक्रेटरी के आदेश से तो शर्म नहीं आती है, दोष दे रहे हैं दिल्ली के म्युनिसिपल कमिश्नर को अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ रहे है। दिल्ली के अंदर सरकार किस की है। और अगर आप यह कहते हैं कि अभी हमारे भाई मारवाह जी कह रहे थे कि लैंड नहीं देंगे तो कैसे होगा, लैंड तो उनके पास है।

हम आपको आमंत्रित करना चाहते है। पिछले 2 वर्ष के अंदर जितने भी सत्र हुए हैं उसमें हरेक में हमने कहा है कि आप लाईये प्रस्ताव, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाईये। हम आपके साथ चलेंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए केन्द्र की हमारी सरकार तैयार बैठी है, लैंड भी देने के लिए दूसरी सारी चीजें देने के लिए, लेकिन आप लेना नहीं चाहते। आप एक बात भी इस तरह का प्रस्ताव लाने के लिए तैयार नहीं है। आपको डर लग रहा है कि कहीं पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो उसके फौरन बाद कहीं चुनाव हो गया तो चुनाव के अंदर बहुत मिट्टी पलीत होने वाली है जैसा अभी पार्लियामेंट के चुनाव में हुई है। इसलिये आप दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिलाना चाहते। मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान करना है तो हमें दिल्ली की सारी अथारिटीज को एक सिस्टम के अंदर लाना होगा। इस मल्टीपली सिटी को जल्दी से जल्दी समाप्त करना होगा और इसके लिए इस सदन को इस बात पर एकमत हो कर मुझे लगता है कि अगर इतना दम है तो प्रस्ताव लाईये। हम सब आज भी एकमत हो कर समर्थन करेंगे और कल ही सुबह गृहमंत्री जी के पास चलेंगे। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, पार्लियामेंट के इसी सत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हम लोग दिलावायेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह हिम्मत नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा निवेदन हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं लेकिन आपने सुना नहीं है। अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि भले ही दिल्ली सरकार को खूब करारी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हो क्योंकि दोनों सरकारों के जो कार्यकाल रहे हैं दोनों सरकारों के बारे में अलग–अलग कोमेंट्स कोर्ट ने किये है। लेकिन इस फटकार से हतोत्साहित हो कर मुझे लगता है कि चुपचाप बैठ नहीं जाना चाहिये और इस सदन को सर्वसम्मति से निर्णय करके दोबारा से इस सरकार को कोर्ट के पास जाना चाहिये। यह पूरी तरह से अव्यवहारिक निर्णय है। लाखों लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ गरीबों को बर्बाद करने वाला निर्णय है। और इस निर्णय को शायद हम डिबेट तो बहुत लम्बे समय तक करते रहेंगे। 5 साल से तो हम लोग देख रहे हैं कि जमीनें एक्वायर होने के बाद भी वहां पर गन्ने की खेती हो रही है गेहूं की खेती हो रही है। कोई आगे गाड़ी नहीं बढ़ रही है। एक दूसरे को कोसने का काम हो रहा है। कल डिबेट चल रही थी तो हमारे मंत्री जी वहां टेलीविजन के अंदर झगड़ा कर रहे थे। लोग एक दूसरे के

साथ लड़ रहे है। लेकिन समस्या का समाधान कोई नहीं खोजना चाहता। एक वन आप–मेन–शिप का गेम चल रहा है। मुझे लगता है कि यह गेम तुरन्त समाप्त होना चाहिये। इस विषय का राजनीतिकरण तुरन्त समाप्त होना चाहिये और इस सदन के सभी सदस्यों को एकमत हो कर दिल्ली की सवा लाख इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए सभी 20 लाख लोगों की बिना किसी bias के बिना किसी prejudice के चिंता करनी चाहिये उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुभाष चोपड़ा ।

श्री सुभाष चोपड़ा : अध्यक्ष जी, धन्यवाद। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं जिससे सारी दिल्ली दहक रही है। मैंने अपने जीवन में ऐसे नजारे नहीं देखे। अभी मेरे साथी बल्ली जी, हर्षवर्द्धन जी कह रहे थे, लोगों के प्रति सहानुभूति जता रहे थे लेकिन मैं अपने साथियों से यह पूछना चाहूंगा कि कल इनको क्या हो गया था। एक रेज्यूलेशन हमारे पार्लियामेंट सेक्रेटरी श्री अजय माकन ने मूव किया और सबने उस चीज को माना। आपकी सिंसेयरटी, लायल्टी लोगों के प्रति उसी से झलकती है। सबने तय किया कि हाऊस को एडजार्न किया जाये। हाऊस एडजार्न हुआ, प्रधानमंत्री जी से समय लिया गया। क्या उस वक्त मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं उनका यह फर्ज नहीं बनता था कि इन्हीं लोगों की समझ से जिसके बारे आज सहानुभूति दिखा रहे हैं उनकी समस्या को लेकर मुख्य मंत्री जी के साथ वे प्रधानमंत्री जी से मिलते। या इस देश के राष्ट्रपति जी से मिलते लेकिन नहीं। कल इनके दिमाग में एक खलबली थी। वह खलबली इस बात की थी कि बचाना है तो जगमोहन को बचाना है। वे भली–भंति जानते थे कि इनकी पार्टी के अंदर एक ऐसा इन्सान आ गया है। वह जब से आया। आप फैक्टरीज की बात छोड़िए। झुग्गी झोंपड़ी, अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज दिल्ली के अंदर 60–70 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। वह इन्सान एक लक्ष्य लेकर आया, वह अर्बन डेवलपमेट मिनिस्टर उनका लक्ष्य था कि गरीबों को उजाड़ना है। गरीबों को तबाह करने का, उसी लक्ष्य के तहत पहले दिल्ली के अंदर इस तरह की कार्यवाही हुई और अब तीन दिन से, चार दिन से दिल्ली के अंदर जो हुआ। मैं उसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेदार यदि किसी को मानता हूं तो श्री जगमोहन जी को मानता हूं। यह

नहीं है कि कोई उनकी जातीय वजह है, उनकी फितरत है, उनकी पार्टी की नीतियां हैं। मैंने 22 सितम्बर को एक प्रेस कॉन्फेंस बुलाई बतौर प्रदेश प्रैसीडेंट के, मैंने जगमोहन जी से रिक्वैस्ट की थी। जगमोहन जी दिल्लीवासियों के ऊपर रहम खाइए लेकिन अनसुनी कर दी गई। मैं नरेन्द्र नाथ जी को बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने एक अक्तूबर को जगमोहन जी को एक चिट्ठी लिखी कि हम ने ऐसे 15 एरियाज आईडेन्टीफाई कर दिए हैं। यहां पर 70 परसेंट से ज्यादा फैक्टरीज हैं। दूसरा लिखा, जो सर्विस सैक्टर्स हैं। सर्विस सैक्टर्स जैसे आटे की चक्की, ड्राईक्लीनर्स, रिपेयर शाप्स, टेलर मास्टर, उन सब को वहां बसने दिया जाए let there be an amendment in the Master Plan 2001 उन्होंने अनसुनी कर दी। डी.डी.ए. ने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को उसको फारवर्ड किया लेकिन अर्बन डवलपमेंट मिनिस्ट्री ने उसको रिजैक्ट कर दिया। आज दिल्ली के अंदर अगर कोई बधाई की पात्र है तो वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है। वे कल सब साथियों को लेकर गई, अपने कुलीग्स को प्रधान जी के पास लेकर गई, वहां पर जगमोहन जी भी विराजमान थे। उनको जो समस्याएं थी। उसके बारे में अवगत कराया। उन्होंने बड़े ध्यान से सुना और जब प्रधानमंत्री जी ने जगमोहन जी से कहा कि आप अपने विचार रखिए तो उन्होंने कहा कि कल पार्लियामेंट में क्योंकि Parliament is on and I would not like to comment anything right now. But, everything is going to be positive tomorrow. वही प्रधान मंत्री जी ने भी कहा। मैं प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने श्रेय लिया लेकिन श्रेय तब लिया जब कि लोग सड़कों के ऊपर आ चुके थे। लाखों लोग सड़कों के ऊपर और लाखों लोगों को परेशानी हुई जिनका ट्रैफिक जाम हुआ, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। इसका जिम्मेदार कौन? इसका फैसला चार महीने पहले, छः महीने पहले जब जगमोहन जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविड दिया था वो तब भी ले सकते थे। मदन लाल खुराना जी he has been shedding corcodile tears. He has been making announcments, Mr. Balli has been giving press statements हम यह चाहते हैं कि that there should be an amendment in the Master Plan लेकिन कोई परवाह नहीं की। दिल्ली के मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट की परवाह नहीं की। अल्टीमेटली खुराना जी ने फिर दोबारा बयान दिया कि इस बारे में अमेंडमेंट होनी चाहिए और यह कहा कि इसमें प्रधान मंत्री जी की इन्टरवेंशन होनी चाहिए। इस

बार ही नहीं, उन्होंने पिछली बार भी कहा था लेकिन प्रधान मंत्री जी ने उस वक्त इन्टरवेंशन नहीं की थी। इन्टरवेंशन की तो वह इस वजह से की क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए गई। उनको अवगत कराया इसका मतलब है कि जितने भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो प्रधानमंत्री को यह बात नहीं बता पाए कि दिल्ली की समस्याएं क्या हैं? दिल्ली के लोग किस तरह से पिस रहे हैं? आपने 1300 एकड़ जमीन एक्वायर करने की बात की। बल्ली जी, उसमें से 1065 एकड़ जमीन एक्वायर हुई जो कि क्लीयर थी। 235 एकड़ के ऊपर लोगों ने कब्जा कर लिया। 800 एकड़ हमारी सरकार ने एक्वायर की Let me finish first. You have been speaking and I have been sitting quite here. I will not say anything which is irrevelevant.....

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए।

श्री सुभाष चोपड़ा : मेरा आपसे यह अनुरोध हे कि यह सारा का सारा इसलिए किया क्योंकि हमारी सरकार की यह मंशा थी कि जो भी पॉल्यूटिड इन्डस्ट्रीज हैं। They should be shifted to newly developed industrial areas immediately हम ने कभी नहीं कहा कि पॉल्यूटिड इन्डस्ट्रीज को रैसिडेंशल एरिया में रहने दिया जाए। इसका मकसद था कि सब से पहले उनको शिफ्ट किया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी बल्ली जी आपने दस हजार एकड़ जमीन की बात कही कि दस हजार एकड़ जमीन एक्वायर किए बिना यह सारी की सारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह दस हजार एकड़ जमीन आप एक्वायर करेंगे तो क्या उसके लिए मास्टर प्लान चेन्ज नहीं करना पड़ेगा। वह चेन्ज करना पड़ेगा। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जब आप रियलिटी को जानते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी रियलिटी को जानती है तो उनको चाहिए था कि आवाज बुलन्द करते कि मास्टर प्लान अमेंड होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आज आपके माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि यह छोटी समस्या नहीं है। ऐसा इन्सान जो गरीबों की जिन्दगी के साथ खेलना चाहता हो, ऐसा इन्सान जो जीवन की सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनसे उनको वंचित रखना चाहता हो। ऐसा इन्सान जो **रोजी रोटी के ऊपर आंख लगाए बैठा हो। ऐसा इंसान जो लोगों को घर से बेघर**

करना चाहता हो। ऐसे इंसान को मंत्री रहने का कोई हक नहीं है और मैं इस हाऊस के जरिए मैं यह मांग करता हूं और प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे मंत्री को फौरन बर्खास्त कर देना चाहिए। यह सब दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है? People are happy that Supreme Court has given a rebuff to Delhi Government but we are not bothered. हमें इसकी कोई चिन्ता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। हमें परवाह है तो गरीबों की रक्षा की परवाह है, उनके हित की रक्षा के लिए कांग्रेस हमेशा से रही है और कांग्रेस हमेशा रहेगी। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि यह जो मामला आज आपने लिया है। आपने इन साथियों को भी कहता हूं कि आईए इक्ट्ठे होकर एक आवाज बुलन्द करें कि दिल्ली के अंदर हम किसी भी गरीब इन्सान के साथ नाइन्साफी नहीं होने देंगे और ये जो लोग आज सड़कों के ऊपर हैं। जब तक इनको इन्साफ नहीं मिलता, तब तक इनकी लड़ाई हम इनके नुमाइन्दे होने के नाते हमेशा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं, जय हिन्द।

अध्यक्ष महोदय : डॉक्टर नरेन्द्र नाथ जी, उद्योग मंत्री जवाब देंगे।

श्री अजय माकन : अध्यक्ष महोदय, मैं हाऊस में ये कुछ पेपर्स ले करना चाहता हूं। मैंने जो अभी कैटगरी 'एफ' और केटगरी 'एच' की जो बात आई, अध्यक्ष महोदय, मैं यह पढ़कर सुनाना चाहूंगा। यह दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की चिट्ठी है जो कि डाइरैक्रेट ऑफ इन्डस्ट्रीज को लिखी गई है, उसमें उन्होंने कहा है कि In this regard, I am directed to inform you that as per categorisation done by the Central Pollution Control Board and accepted by Hon'ble Supreme Court the Latex which manufacturing units are natural rubber have been placed under F-category in Master Plan of Delhi और बी.जे.पी. की गवर्नमेंट में जो एफिडेविड दिया गया था। उसकी कॉपी भी है। मैं वह आपकी पर्मीशन से ले करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : डॉक्टर नरेन्द्र नाथ जी जवाब देंगे।

श्री भीष्म शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस हाऊस में एक बात कहूंगा। अध्यक्ष जी, मेरी इस हाऊस में मांग है कि हम तो हाऊस के अंदर लॉ एण्ड आर्डर के मामले में या जो आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहस करेंगे..... अध्यक्ष जी, इस बात को

प्रोसीडिंग में ले आइए। मैं इन शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि अब दिल्ली के अंदर चन्द लोग ही दिल्ली सरकार को चलायेंगे। मेरी यह मांग है कि ये बुड़ढे सठिया गए हैं। अध्यक्ष जी, वे दिल्ली के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। इन्होंने अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज के मामले में फैसला दिया और अब दिल्ली के उद्योग के मामले में फैसला कर दिया। मैं यह कहता हूं कि यह सब हाऊस की प्रोसीडिंग में लाइए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। भीष्म जी बैठिए।

.....*अन्तरबाधाएं*.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। आप इस बारे में चर्चा नहीं कर सकते।

.....*अन्तरबाधाएं*.....

अध्यक्ष महोदय : नरेन्द्र नाथ जी ....*व्यवधान* ..... आप बैठिये। नहीं नहीं देखिये 6 बज चुके हैं। शादी राम जी, एक सदस्य नहीं है। कम से कम 15 सदस्य होंगे, जिन्हें बोलना है। केवल आपका नाम नहीं है। सभी का है। मैंने पहले ही कहा था कि दो सदस्य इधर से और दो उधर से बोलेंगे। फिर भी मैंने बहुत बुलवा दिये ..... *व्यवधान*, नहीं आप कल बोल लीजिए। डॉक्टर साहब .....*व्यवधान*.... शादी राम जी आपके प्रदेश अध्यक्ष ने सारी बातें कह दी। एक ही बात है। आप बैठिये .....*व्यवधान* हो गयी बात .....*व्यवधान* .....आप बैठिये .....*व्यवधान* ....मुकेश जी, यह गलत बात है।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बवाना का मामला है। बवाना में इण्डस्ट्रीज जा रही हें। गांव वालों की प्रोब्लम है। एक सुरेन्द्र जी को आप दो मिनट के लिए मौका दिलवा दें। मेरा आपसे अनुरोध है। अध्यक्ष महोदय, बवाना में इण्डस्ट्रीज शिफ्ट होने जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। एक थोड़े ही है, सारे बोलने वाले हैं।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बवाना में इण्डस्ट्रीज जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। डॉक्टर साहब बोलिये.....*व्यवधान* ....डॉ. साहब जवाब देंगे। .....*व्यवधान*....मुकेश जी, आप बैठिये। वे बैठकर बात कर लेंगे।.....*व्यवधान*..

मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। यह मुद्दा बहुत अहम है। तो आज जो कर सकते हैं– एक इन्टरवेन्शन या रिप्लाई देंगे। इसके बाद अगर कन्टिन्यू कर दें और दो–दो, चार–चार मिनट सब को दे दें। तो फिर बाद में उसका जवाब देंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह आज ही खत्म होगा। मैडम फिर आपको देर तक बैठना पड़ेगा। ये होगा तो आज ही खत्म होगा। देख लें। मुझे कोई एतराज नहीं है। आप बैठिये .....*व्यवधान*.....कल कैसे कन्टिन्यू हो जायेगा? कल के लिए बिजनिस एडवाइजरी के और बिजनिस लगा रखा है।

मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, कल हम एक घण्टा ले लें जो स्पेशल मेन्शन होता है।

अध्यक्ष महोदय : आज बैठते हैं, अभी बैठते हैं।

मुख्य मंत्री : मेरी राय यह है कि बहुत सारे हमारे एम.एल.एज हैं, जो बोलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप बैठिये। मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं बुलवाता हूं। अगर आप बैठने के लिए तैयार हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है।

मुख्यमंत्री : नरेन्द्र नाथ जी बोल लें। फिर आप बोल लीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो सब का जवाब देंगे न वे?

मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसके बाद फाइनल जवाब तो मैं दूंगी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब नरेन्द्र नाथ जी बोलेंगे। उसके बाद फाइनल जवाब मुख्यमंत्री जी देंगी। इसके बाद आपको बुलाऊंगा .....*व्यवधान* आप सुन तो लीजिए। जवाब सी.एम. देंगी।

मुख्यमंत्री : ये तो कोई बात नहीं है। मंत्री अपना बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी बोलेंगे, उसके बाद जवाब सी.एम. बोलेंगी।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कल दो बजे की बजाय आप हाउस 12 बजे, एक बजे बुलवा लीजिए। दो घण्टे पहले बुलवा लें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह आज ही खत्म होगा।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, दो घण्टे के लिए बुलवा लें। सारा मीडिया परेशान है।

.....व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : मैं सब को बुलवाऊंगा। जिनके नाम हैं, मैं सभी को बुलवाऊंगा। यहां बैठना पड़ेगा .....*व्यवधान* .....आप बैठिये। बल्ली जी, नसीब सिंह जी। आप बैठिये।

उद्योग मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय है। मैं तो यह कह सकता हूं .....*व्यवधान*....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मुख्यमंत्री जी जवाब देंगी। वे इनसे बड़ी हैं, छोटी नहीं है। मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी का फाइनल जवाब होगा।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली में जो इण्डस्ट्रीज की समस्या है, यह कोई नई नई समस्या नहीं है। यह बहुत पुरानी समस्या है। पहला मास्टर प्लान सन् 1962 में लागू हुआ। मैं तो यही कह सकता हूं कि वाइस चेयरमैन डीडीए के उस समय भी जगमोहन साहब थे। सन् 1962 से लेकर सन् 1982 तक 62 हजार इण्डस्ट्रियल प्लाट डेवलप होने थे। अध्यक्ष महोदय, यह मैं आज आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। जगमोहन साहब ने उस समय कुल 28 हजार इण्डस्ट्रियल प्लाट डेवलप किए। अब ये गैप 34 हजार इण्डस्ट्रीज का .....*व्यवधान*.....

अध्यक्ष महोदय : आप सुनना क्यों नहीं चाहते? आप नोट कर लें आपका नाम है अब आपको बुलवाऊंगा 11 बजे तक।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 34 हजार इण्डस्ट्रियल प्लाट सन् 1962 से लेकर 1982 तक डेवलप नहीं किए गए और 34 हजार इण्डस्ट्रियल का गैप बढ़ता चला गया। इसके बाद दो मास्टर प्लान सन् 1983 से लेकर 2001 का बना। इसमें 5 हजार एकड़ भूमि, वह 4 हजार एकड़ नहीं थी, 5 हजार एकड़ भूमि थी जिसको इण्डस्ट्रियल प्लाट में डेवलप करना था। उस समय सिर्फ पटपड़ गंज, बल्ली जी

कहने लगे कि जगप्रवेशचन्द्र जी के समय में कुछ नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि पटपडगंज इण्डस्ट्रियल एरिया .....*व्यवधान* आप बात सुनना नहीं चाहते।

अध्यक्ष महोदय : बल्ली जी, जब आप बोल रहे थे, सब चुपचाप सुन रहे थे। अब आप सुन लीजिए। अगर मंत्री जी कोई प्वांइट गलत कहें तो जब आपका सदस्य बोलेगा, तो उसे जवाब दे दीजिएगा।

उद्योगमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हो सकता है जैसे आपने जमीन एक्वायर की है इण्डस्ट्रीज के लिए हो सकता है मदन लाल खुराना जी ने उस समय लैण्ड एक्वायर की हो।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ही संबोधित करते हुए बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय पटपडगंज इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ। झण्डेवालान में फ्लेटिड फैक्ट्रीज इण्डस्ट्रीज को डेवलप करके वहां पर फैक्ट्रीज दी गयी। लेकिन जो पर्याप्त मात्रा में इण्डस्ट्रियल प्लाट इण्डस्ट्रीज के लिए चाहते थे, वे लोगों को नहीं मिले। और उसी का यह कारण हुआ कि लोगों ने अपनी रोजी–रोटी के लिए घर–घर में अपनी इण्डस्ट्रीज चलाई। वहां पर लेबर को लगाया। और अपने लोगों की रोजी–रोटी का साधन करके, जो लेबर काम करती थी, उसका भी जीवन निर्वाह किया और अपना भी जीवन निर्वाह किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या पॉल्यूशन दिल्ली में ही है? बराबर के राज्यों में पॉल्यूशन नहीं है। यह जितने भी ऑर्डर हैं, सब दिल्ली के लिए हैं? हरियाणा है, राजस्थान है मध्य प्रदेश है। और भी तो स्टेट्स हैं। क्या वहां पॉल्यूशन नहीं होता है क्या दिल्ली में ही पॉल्यूशन ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि पॉल्यूशन को कम करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि सारी दिल्ली को उजाड़कर एक तरफ फैंक दिया जाये। आज एक लाख 25 हजार या 30 हजार जितनी भी इण्डस्ट्रीज हैं, ये वे हैं जो कभी 94–95 में डीपीसीसी द्वारा एक सर्वे कराया गया था। उसके बाद तो पता नहीं कितनी इण्डस्ट्रीज और आ गयी यहां पर 96 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि दिल्ली की इण्डस्ट्रीज को बन्द कर दिया जाये और उस समय भी बहुत हो–हल्ला हुआ।

उसी चीज़ को देखते हुए मैं तो यह कहना चाहता हूं कि उस समय बल्ली जी इण्डस्ट्री मिनिस्टर थे और भाजपा की सरकार थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस समय तक आवाज क्यों नहीं उठायी गयी ? अगर उस समय आवाज उठायी जाती कि मास्टर प्लान में संशोधन उसी समय किया जाये। क्या जरूरत थी शपथ पत्र देने की। हम भूमि एक्वायर करके एक दूसरा स्लम एरिया बवाना के अन्दर, दूसरे एरिया में इण्डस्ट्री को शिफ्ट करेंगे। यह उसी समय कहना चाहिए था कि इण्डस्ट्रीज यहीं रहेंगी। जो नॉन रिहायशी एरिया में इण्डस्ट्रीज हैं, उन्हें यहीं पर अपग्रेड करके यहीं रखा जायेगा और मास्टर प्लान में संशोधन करने के लिए, उसी समय तक आवाज उठायी जानी चाहिए थी, उस समय यह आवाज नहीं उठायी गयी। हबड़–तबड़ में एफिडेविट दे दिया गया। हम दस हजार एकड़ ले लेंगे या चार हजार एकड़ ले लेंगे या पांच हजार एकड़ लेंगे, अध्यक्ष महोदय, यह इतना आसान नहीं है। आज यदि कोई आदमी घर बनाता है तो उसे मकान बनाने में भी तीन चार साल लगते हैं और यह तो दस हजार, पांच हजार, चार हजार एकड़ जमीन को डवलप करने, इंडस्ट्री बनाने की बात है तो कोई आसान काम नहीं है। जिस आदमी ने अपने घर के अंदर इंडस्ट्री खोली, जिसने इंडस्ट्रीयल प्लॉट लेकर के अनआथोराइज्ड कालोनी के अंदर अपनी इंडस्ट्री चलाई वहां की आसपास की लेबर को उसने रखा और आज 1996 में एक एफीडेविट देकर के कह दिया कि बवाना में से 40–50 किलोमीटर दूर ले जाकर एक इंडस्ट्री बनाएंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वो एक गरीब मजदूर जो कि इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, क्या उस समय की सरकार ने यह सोचा कि उसको हम घर भी बनाकर देंगे या नहीं उनको कहां रखेंगे, कुछ नहीं सोचा। इंडस्ट्री स्टेट बनाकर देंगे और वहां झुग्गी–झोंपड़ी बनाकर के लोग रहेंगे और एक–एक झुग्गी में 10–10, 20–20 आदमी रहेंगे तब वहां दुनिया भर की बीमारी और महामारी फैलेगी। उसे क्यों पूरे तरीके से नहीं बनाया गया, अरे उस समय कहते कि जो इंडस्ट्री जहां है उसको वहीं पर अपग्रेड किया जाएगा, पोल्यूशन के नाम उसको लेने पड़ेगे और सारे डिवाइसिस उसको अपनाने पड़ेंगे और इंडस्ट्री वहीं पर रहेगी। 1996 में हड़बड़ाहट में एफीडेविट फाइल कर दिया गया कि हम बवाना के अंदर हम लैंड एक्वायर करेंगे और इंडस्ट्री बसाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कहते हैं कि हमने 1300 एकड़ लैंड एक्वायर की लेकिन आज

तक 1300 एकड़ लैंड एक्वायर नहीं हुई है। 15.11.1996 को एक नोटिफिकेशन हुआ 1300 एकड़ लैंड के लिए। उसके बाद 18.12.1996 को यह कह दिया कि हमें 740 एकड़ का पोजेशन मिल गया, लेकिन उसमें भी क्या हुआ। दिसम्बर 1996 के अंदर फिर कहा गया, 250 एकड़ जो आडेंटिफाई थी जो एरिया सर्वे कराया गया उसमें पाया गया कि वहां पर बीच–बीच में अनआथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन को बताना चाहता हूं कि ये 1300 एकड़ लैंड में से 134.42 एकड़ लैंड 18.8.1998 तक एक्वायर होती गयी और यह तीन हिस्सों में एक्वायर हुई है और यह कहते हैं कि हमने दो साल में क्या किया है? अरे, तुम लैंड ही प्रोपर एक्वायर करके नहीं गये.....*अंतरबाधा* .....आप मेरी बात तो सुन लीजिए 18.8.1999 को.....*अंतरबाधा* .....तीन हिस्सों में लैंड को एक्वायर किया गया और अध्यक्ष महोदय, एक्वायर कितनी की गयी आखिर में 1065 और इंडस्ट्री कितनी बसानी है, एप्लीकेशनस कितनी रिसीव की थीं इन्होंने करीब 52000 के आस–पास। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि यदि इन्हें पता था कि इतनी एप्लीकेशन हमाने पास आएंगी तो उस हिसाब से इनको तो 20,000 एकड़ जमीन एक्वायर करनी चाहिए। अगर उस समय यह पूरे तरीके से लैंड एक्वायर करने की बात करते थे कि कोर्ट में एफीडेविट देंगे, कहीं ऐसा न हो जाए कहीं वैसा न हो जाए। अध्यक्ष महोदय, उस समय जो एफीडेविट दिया गया वो सब रिकार्ड के अंदर है। क्यों नहीं इन लोगों ने सब **52,000 एप्लीकेशन ले लीं किंतु 1065 एकड़ में किस–किस को प्लाट देंगे क्योंकि** वहां पर किसी ने 1000 गज का प्लाट मांगा तो किसी ने 500 गज का तो किसी ने 400 गज का और किसी ने 800 गज का प्लाट मांगा। अगर 1000–1000 के हिसाब से प्लाट दें तो वहां पर सड़कें भी बननी हैं, सीवर भी डलना है, बिजली की लाइनें भी डलनी हैं, वहां पर सीईटीपी और एफ्लूैंट ट्रीटमेंट प्लांट भी लगने हैं तो **इस प्रकार से इसमें कितनी जमीन निकल जाएगी और हमारे पास लैंड बचेगी ही** कहां। अगर आज उस लैंड को पूरी तरह से डवलप करते है तो कुल हमारे पास 600 एकड़ जमीन और बनती है जहां हम इंडस्ट्री प्लाट काटकर दे सकते हैं। 400 एकड़ जमीन सड़कों के लिए, पार्कों के लिए, नालियों के लिए और जो सीईटीपी प्लांट लगेंगे उसके लिए निकल आएगी और एप्लीकेशनस आई हैं 52,000 और लैंड हमारे पास, बड़े गुण गा रहे हैं कि हमने 1300 एकड़ जमीन एक्वायर कर ली है,

4000 एकड़ का प्रोविजन है, अरे मैं तो यह कहता हूं कि वहां पर पांच हजार एकड़ का प्रोविजन है और आप तो 4000 की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि उस समय यदि 10,000 एकड़ या 12,000 एकड़ जमीन एक्वायर कर ली जाती या प्रोपोजल रखा जाता तो आज इतनी नौबत नहीं आती और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक दफा एफीडेविट फाइल कर लिया और सरकार ने जो एक दफ़ा स्टैंड ले लिया कि हम इसको रि–लोकेट करेंगे तो जब दूसरी सरकार आएगी तो उसके सामने परेशानी तो अपने आप ही आएगी.....*अंतरबाधा* ..... यह बात बता रहे है।.....*अंतरबाधा* .....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए ऐसे बीच में मत बोलिए, पहले उन्हें सुनिए।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 7.6.1999 को हमारी दिल्ली के मुख्य मंत्री ने दिल्ली के अंदर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि उस समय यह फैसला किया गया कि 800 एकड़ लैंड और एक्वायर की जाये और हमने इस विधान सभा में 21.8.2000 को 95 करोड़ रुपया .....*अंतरबाधा* .... ..

श्री हरशरण सिंह बल्ली : 21.8.2000 को ...अंतरबाधा....

उद्योग मंत्री : नोटिफिकेशन करने में समय तो लगेगा ही। अध्यक्ष महोदय .... *अंतरबाधा*.... 1300 एकड़ जमीन काटकर रह गयी 1065, यह तो केवल दो साल में 800 एकड़ एक्वायर की और हमने अगर एक साल में 800 एक्वायर कर ली तो हमने कौन सा गुनाह कर दिया ...*अंतरबाधा*....

अध्यक्ष महोदय : बल्ली जी आप बैठिए। बीच में टोकाटाकी मत करिए। आंपके मैम्बरस को तो इन्होंने चुपचाप सुना है।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं जो स्टेटमेंट सदन के सामने दे रहा हूं और अगर यह कहीं भी गलत हो जाएगी तो गुनाहगार साबित कर देना, आपको इस बात का पूरा अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, 21.8.2000 को 95 करोड़ एज. 80 प्रतिशत कम्पनशेसन टू एल ए सी और 800 एकड़ प्लांट यह दिल्ली सरकार ने 5.10.2000 को यह डिपोजिट कराया। यह मैं बता देना चाहता हूं कि हमने कितने समय में यह 800 एकड़ जमीन ली है और इन्होंने 1065 एकड़ जमीन दो साल में ली। हमने 1999 के अंदर इसको ....*अंतरबाधा*....।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। जयभगवान जी, जब आपका नम्बर आएगा तो बोलिएगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। यह किसी की सुनना नहीं चाहते। अपनी चाहे कितनी बुरी हो तो आपको मेरा यह निवेदन है कि आप खामोश रहिए। वो जब बोल लेंगे तब आपको समय मिलेगा। नहीं प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। आप जब बोल रहे थे तो हमारा मंत्री कोई खड़ा नहीं हुआ। लगता है आप सुनने के आदी नहीं है।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 5.10.2000 को हमने 800 एकड़ का पोजेशन ले लिया और राइटस को हमने पहले ही कह दिया कि 800 एकड़ के नक्शे भी तैयार कर दो। 1065 और 800 एकड़ के पूरे नक्शे उस समय राइट्स ने तैयार कर दिए, यह बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब लैंड तो इन्होंने एक्वायर कर ली, अब आप इनके आगे भी कारनामें सुनिए कि इन्होंने क्या किया। 8.4.97 को इन्होंने आरकेटेक्ट कंसलटेंट के लिए ...*अंतरबाधा*....

अध्यक्ष महोदय : बीच में मत टोकिए।

उद्योग मंत्री : 8.4.97 को offers invited from architect consultant for planning and designing complex at Bhavana. After this initially it was decided to appoint only an Architect Consultant for layout planning and design of the services. This proposal was changed. Just see it. It was changed in January 1998, again to appropriate a comprehensive development consultant for advice and assistance as well as for infrastructure development. मैं यह पूछना चाहता हूं कि 8.4.97 के बाद कहा गया कि आकिर्चिटैक्ट कंसलटेंट एप्वाइंट करें और 8.4.97 से लेकर जनवरी तक 8 महीने में फिर अपना डिसीजन उन्होंने चेंज कर दिया और जनवरी 98 में एक डिसीजन लिया कि appointing a comprehensive development consultant हम दोबारा एप्वाइंट करेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस सरकार से कि उन्होंने ये 8 महीने क्यों खराब कि[illegible] लिए खराब किए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कहना बहुत आसान है कि एक घर एक जगह से उठा कर दूसरी जगह बसा दो, मैं यह बता दूं कि इसमें कितनी कितनी परेशानियां आती

हैं एक घर को दूसरे जगह पर ले जाने में। It is not an easy job. इसके बाद 16-9-97 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने *Govt. of Delhi constituted a committee* of experts to examine offiers received on 8-4-97 for retaining design consultant for projects. इसके बाद 26.9.97 को Committee constituted to held its first meeting 22.10.97 को Committee held its second meeting और 19.12.97 को M/s Consulting Engineering Services were awarded the work for conducting environment impact assessment study और फिर 24.9.98 को इन्होंने क्या किया वह भी सुन लो it was decided in the Council of Ministers that DSIDC may invited open competitive bids for hiring a development consultant for industrial area on a comprehensive basis. पहले तो 6–8 महीने मैं समझता हूं कि इनका आपस में पैक्ट नहीं हुआ होगा तो उससे सौदा नहीं पटा फिर दूसरे से सौदा पटाने के लिए इन्होंने ऑफर टैंडर कर दिए और 8 महीने सिर्फ इस में निकाल दिए कि कौन पार्टी आएगी और किसको टेंडर देंगे और किसको खोलेंगे तो कंसलटेंट This decision to appoint a development consultant for the project resulted in adjourning the proposal of appointment of consultant for planning and designing of the complex proposal made on 8-4-97 followed by a committee meeting on 16-9-97, 26-9-97 and 22-10-97 तीन बैठकों के बाद फिर इन्होंने कंसलटैंट कर दिया कि फिर ओपन टेंडर इनवाइट करो। जो पहला कंसलटेंट एप्वाइट किया था उसको छोड़ दिया और कहा कि इसको फिर दोबारा से एप्वाइंट करो। 8.4.98 को और जब 24.1.98 को डिसीजन लिया उसके बाद 8.4.98 को competitive bids were invited महीने के बाद सोचते रहे कि कौन आएगा जब आएगा तो उसी हिसाब से बात कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि ये 1065 के बड़े गुण गाते हैं कि हमने बहुत तीर मार दिए, मैं यह दिखाना चाहता हूं कि तुमने तीर तो मार दिए लेकिन किया कुछ भी नहीं। Result is nil. On 22-5-98 Directors of DSIDC in their 168th meeting constituting a sub-committee. आप सब–कमेटी की भी सुन लो उसमें कुछ बारगेनिंग तो की होगी, अध्यक्ष महोदय एक सब–कमेटी बनाई गई Office of the DSIDC, Commissioner Office to select the most competent bidder for the development consultant 22.6.98 को after pre paid meeting, 24 offers were finally received

for appointment of development consultant और जुलाई 98 AIA enviornment impact assessment report received from the consultant and deposited with the M.O.E.S., D.S.C.A , D.T.C.B. AND D.P.C.C. और इनके समय में डी पी सी सी ने तय किया कि वह मैं भी आप को बताना चाहता हूं D.P.C.C. cleared this report बड़े अफसोस की बात है कि डी पी सी सी ने रिपोर्ट ली और मार्च 2000 में क्लीयर किया ...*व्यवधान*...

अध्यक्ष महोदय : बल्ली जी आप बैठ जाइए। मंत्री जी आप कुछ भी छोड़ेगें या सब बता देंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष जी, इसके 3.12.98 को हमारी मुख्यमंत्री जी ने अपनी केबिनेट के साथ शपथ ली और मुझे इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया। मैं यह बताना चाहता हूं कि 30.12.99 को हमने M/s Rits was awarded the work of development consultant for the area of 1065 एकड़ भूमि, यह हमारी ताकत थी जो हमने आकर वर्क अवार्ड किया।

श्री हरशरण सिंह बल्ली : अध्यक्ष जी, राइट को किसने सलेक्ट किया था।

उद्योग मंत्री : आपने क्या किया आप तो चेंज ही करते रहे।

अध्यक्ष महोदय : बल्ली जी आप बैठिए।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि जो उनका दो साल का लेखा जोखा था और जो इनके कारनामे थे वे तो मैंने आपके सामने रख दिए हैं और जो दो साल में हमने किया है वह मैं आपको बता रहा हूं। 30.12.98 को हमने कंसलटेंट नियुक्त कर दिया। 7.1.99 को हमने एग्रीमेंट भी कर दिया वह भी सात दिन के अन्दर। Agreement was executed between M/s Rits and DSIDC as a development consultant 13 जनवरी, 1999 को the structural plan was prepared by the DDA और डीडीए से हमने स्ट्रक्चर प्लान भी तैयार करवा लिया और जनवरी 1999 को tropographic survey for such acres provided to Rits फरवरी 1999 को 50 ट्यूबवैल got registered with the CGWA for water from the underground sources. In February 1999, technical Committee

of DDA approved their structural plan जिसमें फरवरी 1999 में हमने डीडीए से स्ट्रक्चर प्लान भी अप्रूव करवा लिया। The copy of this approved structural plan was provided by the DSIDC to RITS for preparing the lay out plan March 1999 two consultant layout plan were received for approval from the Rits April 1999 lay out plan requirement for water, power etc. were received from Rits. Report on the analysis of the industries received from the Rits. June 1999 layout plan approved by DSIDC on 6.6.1999 for submission to the high-powered project implementation committee. This is called HPPIC approved the layout plan मैं आपको यह बताना चाहता हूं जो हाई पावर प्रोजेक्ट इम्पलीमेंट कमेटी थी उसे 22.6. 99 को हमने 1800 एकड़ का प्लान अप्रूव करा लिये, जुलाई 1999 request to declare..... जुलाई 1999 में हमने डीडीए से निवेदन किया कि बवाना को डेवलपमेंट एरिया डिक्लेयर कर दिया जाये। for industries. स्कीम एस्टीमेट of water supply and sewerage and additional report and analysis of industrial resource received from 9th July, 1999, जुलाई, 99 में हमने उनसे रिसीप्ट की है। अगस्त 1999 स्कीम एस्टीमेट on fire fighting and power was received from the RITES. September, 1999 the structure of plan of the land was approved by rgw DDA. डीडीए अथारिटी से स्ट्रक्चर प्लान अप्रूव करवा लिया। 1.10.99 को अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट आफ दिल्ली proposed to DDA to make some amendments in the Master Plan. यह सुनने वाली बात है। 1.10.99 को हमने डीडीए से प्रार्थना करी कि मास्टर प्लान में अमेंडमेंट किया जाये और जहां 70 प्रतिशत से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं रिहायशी इलाके में उनको रेगुलराईज्ड किया जाये और वहीं पर रखा जाये। 7.6.99 को केबीनेट ने फैसला लिया था कि 70 प्रतिशत से ज्यादा जहां इंडस्ट्रीज हैं उनको वहीं पर रेगुलर किया जाये और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 एरिया उस समय आइडेंटीफाई किये गये और 11 एरिया हमारे पास और हैं और इसके बाद भी अगर कोई एरिया 70 प्रतिशत से ज्यादा है तो हम उसको आइडेंटीफाई करने के लिए तैयार हैं और उनको इंडस्ट्रीयल प्लाट के लिए हमको इस बात के लिए कोई दिक्कत नहीं हैं। अक्तूबर 99 plans for Bawana area submitted to DDA for approval. 12.11.99 infrastructure of plan for the sewerage, drainage, water supply and sewerage

were deposited with the Delhi Jal Board. नवम्बर 99 plan submitted to Delhi Fire Services.

4.12.99 को इलेक्ट्रिक प्लांट डीवीबी को हमने सब्मीट कर दिया कि अपना बिजली का काम वहां पर शुरू कर दो। उसी बवाना के लिए। दिसम्बर 1999

RITES, Govt. of NCT, Delhi requested DDA for declaration of scheme for development of areas. Layout plans submitted to the Airport Authority of India on 18-12-99 for approval. January, 2000 construction completed of 378 flatted factories in Jhilmil and we have allotted the flats in Jhilmil industrial area to the colony.

January, 2000 plan submitted to GAIL for the clearance due to passing of gas pipeline through the project site.

February, 1999 Storm Drainage Report received from the consultant.

डॉ. हर्षवर्द्धन : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बाबूगिरी हो रही है।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बाबूगिरी नहीं हो रही है यह असलियत हो रही है। आपको बता रहा हूं कि हमने क्या किया और तुमने क्या किया।

अध्यक्ष महोदय, प्रोसीजर में टाईम लगता है।

डॉ. हर्षवर्द्धन : अध्यक्ष महोदय, बेकार में समय नष्ट कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, इनको बोलने का अधिकार है। सदन का कोई समय खराब नहीं कर रहे हैं। जो मंत्री जी बोल रहे हैं आप सुन तो रहे हैं। आप बैठिये। मुकेश जी, आप बैठिये। हाऊस को कंट्रोल करना मेरा काम है।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि एक इंडस्ट्रीय एस्टेट को डेवलप करने के लिए सरकार के सामने क्या–क्या दिक्कतें आती हैं और डेवलप करने में कितना समय लगता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि 30.5.2000 को हमारा जो ले–आऊट प्लान थे वो डीडीए ने अप्रूव किये हैं।

डॉ. हर्षवर्द्धन : अध्यक्ष जी, ये सब बातें कोर्ट में बतायें।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष जी, मैं पहले माननीय सदस्य को तो बता दूं। कोर्ट को तो बाद में बतायेंगे। अध्यक्ष जी, दिल्ली अर्बन आर्ट कमिशन कोई मेरा नहीं है, डीडीए मेरे पास नहीं है। यह जो कुछ भी है सैंट्रल गवर्नमेंट के पास है। डीडीए यह हमने मई 2000 में सबमिट कर दिये हैं दिल्ली अर्बन आर्ट कमिशन को। आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली अर्बन आर्ट कमिशन ने आज तक हमें अप्रूवल नहीं दी कि हम वहां पर जा कर औद्योगिक प्लाट विकसित करें। अध्यक्ष महोदय, जब तक दिल्ली अर्बन आर्ट कमिशन हमें इजाजत नहीं देगी हमारे स्ट्रक्चर प्लान अप्रूव नहीं करेगी हम उसको विकसित कैसे कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक शर्त और लगा दी कि आपको एनसीआर बोर्ड के पास भी जाना पड़ेगा। वो एनसीआर बोर्ड भी हमारे पास नहीं है। वो भी विकास मंत्री भारत सरकार के पास है। यह सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बतायीं। उसके बाद सितम्बर, 2000 में जब हमने कहा कि मास्टर प्लान में जगमोहन जी अमेंडमेंट कर दो जिससे गरीब लोगों का कल्याण हो जायेगा और इंडस्ट्रीज यहीं बस जायेंगी। 12 सितम्बर को जगमोहन जी ने उठा कर एक शपथ–पत्र कोर्ट में डाल दिया कि हम मास्टर प्लान में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया और उसके साथ हुआ क्या कि कोर्ट ने अगस्त, 2000 में एक आर्डर दिया था उसमें यह कहा था कि अगर मास्टर प्लान में अमेंडमेंट कर सकते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है फिर हम इंडस्ट्रीज को रख सकते हैं हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जगमोहन जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं माना और उन्होंने एक शपथ–पत्र फाईल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केन्द्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है अब इसको नोडल एजेंसी बना दो। सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोडल एजेंसी बना दिया। नोडल एजेंसी बनने के बाद इन्होंने एक दल बनाया। दल में दो मैंम्बर गवर्नमेंट के लगभग मिनिस्टर भी रखे डाक्टर वालिया को और मुझे। बड़े अफसोस के साथ मैं आज सदन में बताना चाहता हूं कि जगमोहन जी की नीयत साफ नहीं थी। अगर जगमोहन जी की नीयत साफ होती तो दो मीटिंग बुलाई वो फार्मल मीटिंग थी। उसके बकायदा हमारे से साईन लिये गये और आज तक उस मीटिंग के मिनट्स हमें आज तक प्राप्त नहीं हुये। मेरे लिखने के बाद भी आज तक हमें मिनट्स नहीं भेजे गये। यह सब क्या है। कोर्ट को गुमराह करना, अगर मास्टर

प्लान के अंदर वो संशोधन कर देते तो मैं समझता हूं कि दिल्ली का कल्याण हो सकता हे लेकिन जगमोहन जी, जैसा सुभाष चोपड़ा जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। बहुत नजदीक आदमी होता है न वो किसी का भला नहीं कर सकता और उसने कभी किसी का भला सोचा नही। अगर आज ये भला कर दें तो दिल्ली की इंडस्ट्रीज के बारे में दिल्ली की सड़कों पर जो झगड़े हुए हैं ये झगड़े नहीं होते और आज मैं इनको कहना चाहता हूं शायद इनको पता नहीं होगा आज एक स्टेटमेंट जगमोहन जी ने पार्लियामेंट के अंदर दी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं Govt. are aware of the problems that have been faced by the industries functioning in the residential areas as well as the house owners and the occupiers who are using their property for residential purposes in the residential areas. इन्होंने कहा है कि जो इंडस्ट्रीज रेजीडेंसल एरियाज के अंदर चल रही हैं और जो हाऊस होल्ड इंडस्ट्रीज हैं और जो हमारी जगदीश सागर कमेटी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक हम एक किलोवाट से 5 किलोवाट कर देंगे और वर्कर्स की संख्या के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है। दूसरी बात मैं यह भी बताना चाहता हूं जगदीश सागर कमेटी उसके बाद उन्होंने कहा है Govt. would also amend Master Plan, if necessary to acquire more land. 1865 एकड़ जमीन को हमें एक्वायर करके सारा करने के बाद भी एक प्लाट उनकी वजह से हम वहां पर विकसित नहीं कर सके। अर्बन आर्ट कमिशन, डीडीए, एलसीआर बोर्ड, आप मुझे यह बताओ कि यह कहते हैं कि 4 हजार एकड़ और एक्वायर कर लो। अरे, मैं तो कहता हूं कि 10 हजार एक्वायर कर लो, बस यही स्टेटमेंट है और है क्या।

श्री हरशरण सिंह बल्ली : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक 7 जून, 1999 का केबीनेट रेजोज्यूशन की बात कही है।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में मुख्य मंत्री जी जवाब देंगी।

श्री हरशरण सिंह बल्ली : 7 तारीख का आर्डर है क्या?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

उद्योग मंत्री : कल जगमोहन जी ने सब को लॉली–पोप दे दिया कि हम मास्टर प्लान में अमेंडमेंट कर रहे हैं और उन्होंने मास्टर में अमेंड क्या किया, वह

मैंने आपको बता दिया है और उस अमेंडमेंट से दिल्ली को कितना फायदा होना है, वह भी मैं आपको बता रहा हूं। सागर कमेटी की रिकमण्डेशन के मुताबिक.....।

.....अन्तरबाधाएं.....

अध्यक्ष महोदय : जय भगवान, आप मत बोलें।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सागर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो रिकमण्डेशन्स हैं, अगर वो 5 वर्कर्स के लिए एलाऊ करते हैं और पांच किलोवाट भी वो एलाऊ करते हैं तो हम दिल्ली की कुल 3306 इन्डस्ट्रीज को राहत मिल सकती है। इससे ज्यादा राहत नहीं मिल सकती और अगर दस वर्कर्स तक एलाऊ कर देते हैं और यह तो तब है। इससे पहले तो जो थी, वह ग्राउण्ड फ्लोर की थी, अब तो जो नई सुविधा दी है, पहली मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर जब ये करेंगे तो तब 3306 को 25–30 स्क्वेयर मीटर के अंदर 3306। नहीं, सागर कमेटी की रिपोर्ट है और 3306 इन्डस्ट्रीज को इससे फायदा होगा और अगर नौ लोगों तक हो जायेगी और उसमें 3537 इन्डस्ट्रीज और जुड़ जायेंगी तो लॉली–पोप देने के बाद दिल्ली में एक लाख 25 हजार इन्डस्ट्रीज हैं और भला कितनों का कर रहे हैं? सिर्फ सात हजार इन्डस्ट्रीज को फायदा पहुंचा रहे हैं।

.....अन्तरबाधाएं.....

अध्यक्ष महोदय : बल्ली जी, यह गलत बात है, आप बैठिए। आपको बीच में इन्टरप्ट नहीं करना चाहिए।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर वे पांच किलोवाट से ज्यादा पॉवर देंगे तो फिर मास्टर प्लान का फिर वायलेशन है। उसमें क्या दिक्कत है?

....अन्तरबाधाएं.....

अध्यक्ष महोदय : बल्ली जी, बैठिए।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो सच्चाई है वो बी.जे.पी. वाले सुनने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि जगमोहन ने कल प्राइम–मिनिस्टर के सामने यह बात कही थी कि हम दिल्ली के लोगों को कुछ राहत देंगे। प्राइम मिनिस्टर महोदय ने कहा कि ठीक है, हम राहत देंगे, हमें राहत तो मिल गई। कुल छः हजार इन्डस्ट्रीज को

फायदा हो रहा है। एक लाख 25 हजार इन्डस्ट्रीज में से एक लाख 19 हजार कहां जायेंगी? मैं यह कहना चाहता हूं मैं बात को सम अप कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर जगमोहन जी इन्डस्ट्रीज का भला चाहते हैं, दिल्ली की इन्डस्ट्रीज का भला चाहते हैं और दिल्ली के जो वर्कर्स हैं जो इन्डस्ट्री में काम करते हैं। उनका भला चाहते है और जितने चुने हुए नुमाइन्दे हैं। अगर उनका भला चाहते हैं और तमाम दिल्ली की जनता का भला चाहते हैं और यह सोचते है कि दिल्ली की इकोनोमिक हालॅत खराब न हो अगर आज दिल्ली इन्डस्ट्रीज बन्द हो जाती है तो चार हजार करोड़ रुपये की जो टर्न ओवर है, जो इकोनोमिक हालत है वो दिल्ली की हालत खराब हो जाएगी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह रेवेन्यू कहां से आयेगी? आज जगमोहन जी को फैसला बदलना पड़ेगा और जब तक वो फैसला नहीं बदलेंगे तब तक वो रिहायशी एरिया के अंदर जो पोल्यूटिंग इन्डस्ट्रीज है। हम उनको शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन दो हजार एकड़ जमीन को वो अर्बन आर्ट्स कमीशन के माध्यम से रोके बैठे हैं और वो कहते हैं कि लैण्ड एक्वायर कर लो। हम आज जो लैण्ड एक्वायर करेंगे उनको डवलप करने में आठ साल और लगेंगे। मैं आपसे वही कह रहा हूं मेरा आपसे यह कहना है कि जगमोहन जी पूरी दिल्ली को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने आज पार्लियामेंट को भी गुमराह कर दिया और मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं कि जो दिल्ली गवर्नमेंट का फैसला है। मैं यह कहता हूं कि दिल्ली में चाहे 50 एरिया हों, चाहे 70 एरिया हों, 80 एरिया हो, 90 एरिया हों। अगर वहां पर 70 परसेंट से ज्यादा इन्डस्ट्रीज हैं, उनको मास्टर प्लान में अमेंडमेंट करके उनको वहीं पर रखा जाए और जो पोल्यूटिंग इन्डस्ट्रीज हैं, उनको शिफ्ट कर दिया जाए तब दिल्ली का कल्याण हो सकता है वरना दिल्ली का कल्याण नहीं हो सकता। वे यह कहते हैं कि हम ने मास्टर प्लान में यह कर दिया। हमने सागर कमेटी इम्प्लीमेंट कर दी। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब एक आंसू आता है, वह टपकता है। वह एक आंसू भी नहीं पोंछा जाता। अध्यक्ष महोदय, वे बात कम करते हैं और आंसू ज्यादा बहाते हैं। हमने यह कह दिया, हम ने यह कर दिया और जो काम हम कर रहे हैं तो फिर वे बाहर खड़े हो कर के यह कहेंगे कि यह प्लानिंग तो हमारी ही थी। यह प्लान करके तो हम ही गए थे। इसमें आपने क्या किया? अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं

कि जगमोहन जी को अपना फैसला बदलना पड़ेगा और उनको मास्टर प्लान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अगर वे दिल्ली की लाखों इन्डस्ट्रीज को बचाना चाहते हैं, जो दिल्ली के 20–25 लाख जो गरीब आदमी उस इन्डस्ट्री के अंदर काम करता है। हम उनको बचाना चाहते हैं तो मास्टर प्लान में अमेंडमेंट करके कोर्ट के अंदर एफिडेविड फाईल करें और दिल्ली के लोगों को बचायें, दिल्ली की इन्डस्ट्रीज को बचायें, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं पॉइन्ट ऑफ आर्डर पर बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

....अन्तरबाधाएं ....

श्री रमाकान्त गोस्वामी : अध्यक्ष जी, अभी जो डॉक्टर नरेन्द्र नाथ जी ने कहा है कि यह जगमोहन जी ने यह किया है तो हम इसको नहीं मानते और आज हाऊस में एक प्रस्ताव पास करना चाहिए।

....अन्तरबाधाएं....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

श्री रमाकान्त गोस्वामी : हम जगमोहन जी के प्रस्ताव को बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम यहां पर एक निन्दा प्रस्ताव पारित करेंगे और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। अब हमें सड़कों पर आना पड़ेगा।

....अन्तरबाधांए .....

श्री अमरीश सिंह गौतम : अध्यक्ष महोदय, मेरा दिल्ली सरकार से अनुरोध है के वो सुप्रीम कोर्ट में कल ही हलफनामा पेश करें।

....अन्तरबाधाएं.....

श्री रमाकान्त गोस्वामी : अध्यक्ष जी, हम जगमोहन जी का निन्दा प्रस्ताव यहां पर रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठिए।

....अन्तरबाधाएं .....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

श्री रमाकान्त गोस्वामी : हम यह बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

श्री रमाकान्त गोस्वामी : अध्यक्ष महोदय, अभी जो जगमोहन जी का बयान पढ़कर सुनाया है, हम उसकी निन्दा करते हैं।

.....अन्तरबाधाएं .....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

.....अन्तरबाधाएं.....

श्री मालाराम गंगवाल : अध्यक्ष महोदय, एक लाख 25 हजार फैक्टरियों का क्या होगा? वे कल सड़कों पर आयेंगे ही। यहां पर उनकी निन्दा होनी ही चाहिए।

.....अन्तरबाधाएं.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। यह क्या बात हुई? आप सब बैठिए।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि कल जिस वजह से हाऊस एडजार्न हुआ और पूरा दिन हाऊस एडजॉर्न होने के बाद सदन की कार्यवाही ठप रही। वह सिर्फ इस इश्यू को लेकर कि हम 25 लाख लोगों को ईमानदारी से बचाना चाहते थे। आज यह स्टेटमेंट आने के बाद यह साबित हो गया है कि एक लाख 25 हजार इन्डस्ट्रियल यूनिट और उनके 20 लाख लोगों को बेघर किया जा रहा है। इससे यह साबित हो गया है मैं इस सदन में यह चाहता हूं कि इस सदन में केन्द्र सरकार और जगमोहन के खिलाफ तुरन्त निन्दा प्रस्ताव पास किया जाए और हम इसको तुरन्त रिजैक्ट करते है।

अध्यक्ष महोदय : यह पाइॅन्ट ऑफ आर्डर नहीं है। आप बैठिए।

.....अन्तरबाधाएं.....

श्री रमाकान्त गोस्वामी : अध्यक्ष महोदय, इनके नेता भाग गए हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि जगमोहन जी ने यह प्रस्ताव ला रखा है। वे इसीलिए यहां नहीं हैं।

.....अन्तरबाधाएं.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

श्री रमाकान्त गोस्वामी : विपक्षी नेता घर चले गए हैं, आधा विपक्ष घर चला गया हैं।

.....अन्तरबाधाएं.....

श्री मुकेश शर्मा : ऑनरेबल स्पीकर सर कल हाऊस की कार्यवाही इसलिए एडजार्न हुई *.....व्यवधान .....*

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात सुन तो ली। आप बैठिए।

.....अन्तरबाधाएं.....

अध्यक्ष महोदय : मुकेश जी बैठिए।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष जी, हम यह चाहते हैं कि यह सदन यह प्रस्ताव पास करे कि हम जगमोहन के प्रपोजल से डिसएग्री करते हैं और उसकी निन्दा करते हैं, हम यही कहना चाहते हैं।

.....अन्तरबाधाएं.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

श्री रमाकान्त गोस्वामी : आज हालत कल से ज्यादा बिगड़ गई है। हमें इस पर निर्णय करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : गोस्वामी जी बैठिए।

श्री रमाकान्त गोस्वामी : अध्यक्ष महोदय, आप विपक्ष को देखिए, विपक्ष घर भाग गया है, मुखीजी कहां हैं? वे कह रहे थे कि लाखों लोगों की बात है। मुखी जी कहां हैं? उनको यह मालूम था कि जगमोहन जी ने यह प्रस्ताव रखा है। वे इसीलिए भाग गए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

(कांग्रेस के सदस्यों ने नारे लगाए।)

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठिए। यह गलत बात है। आप बैठिए। मैं आपको

एलाऊ नहीं कर रहा। आप कृपा करके बैठ जाइए। आप सीरियसली लीजिए, यह गलत बात है। आप बैठिए। यह क्या बात हुई? आप जब चाहें बोलना शुरू कर देते हैं, यह गलत बात है। मैं आपको एलाऊ नहीं करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक्शन ले लूंगा। आप चुप बैठिए।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कल पूरे दिन सदन की कार्यवाही ठप्प रही

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। यह क्या बात हुई?

श्री मुकेश शर्मा : यह दस लाख लोगों के सम्मान का सवाल है, यह उनकी रोजी–रोटी का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : अभी मंत्री जी ने आपके सामने पूरी डिटेल बताई है। अभी ऑनरेबल मुख्य मंत्री जी आपके सामने बोलेंगी।

.....व्यवधान....

अध्यक्ष महोदय : आपने जो बात कही है, वे उसका जवाब दे देंगी।

श्री मुकेश शर्मा : ऑनरेबल स्पीकर सर इस पर निन्दा प्रस्ताव आना चाहिए।

.....अन्तरबाधाएं

अध्यक्ष महोदय : मुकेश जी आप बैठिए। सुरेन्द्र कुमार जी आप बोलिए।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष जी, हम जगमोहन जी के प्रस्ताव से डिसएग्री करते हैं *अन्तरबाधाएं*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्र कुमार आप बोलिए। आप रिपीट मत करना।

श्री सुरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट ही बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, यहां पर सारे सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी। भाजपा के मेरे साथियों ने अपने बारे में कहा। जगमोहन के बारे में कहा और पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कहा। मगर मैं सदन का थोड़ा सा ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं जहां पर यह उद्योग शिफ्ट किए जा रहे हैं। पिछली सरकार के समय में जब–जब उन गरीब किसानों की जमीन एक्वायर की गयी, उस समय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि

इनको ठीक मुआवजा दिया जायेगा और इनके एक–एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी। इनको प्लाट दिये जायेंगे। मगर उस समय कितना बड़ा झूठ इन्होंने कहा कि हर साल किसान का मुआवजा 10 प्रतिशत बढ़ता रहेगा। मगर जब हमारे यहां मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली जिसमें कि हमारे भी तमाम 10–15 एम.एल.एज. मौजूद थे तो उसमें यह पाया गया कि कहीं भी ऐसा नहीं था कि हर साल 10 प्रतिशत मुआवजा बढ़ेगा। उसमें सिर्फ वन टाइम के लिए मुआवजा बढ़ाया गया था। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि झूठ बोलकर उनकी जमीन एक्वायर की गई और आज वहां पर सबसे बड़ी दहशत इस बात की है कि 4–5 दिन से जो करोड़ों का नुकसान दिल्ली में हुआ है, इससे हमारे देहात में भी इतनी बड़ी दहशत है कि लोग इस बात से डरे हुए हैं कि दिल्ली में जितनी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां हैं, वे सारी की सारी फैक्ट्रियां देहात में शिफट् होंगी। यह इतनी बुरी बात है, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि पॉल्यूशन फैलाने वाली जितनी फैक्ट्री, सेनेट्री लैण्ड फिल, झुग्गी झोपड़ी और जितना भी दिल्ली से गन्द उठाया जा रहा है, जितना भी खत्ता यहां से उठाया जा रहा है, सारा का सारा बवाना के अन्दर डाला जा रहा है। यह कहते हैं कि दिल्ली से बाहर किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या बवाना दिल्ली के अन्दर नहीं है। बवाना बिहार में थोड़े ही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सैनेट्री लैण्ड फिल, खत्ता और ये प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग हमारे यहां नहीं जाने चाहिए। इन्होंने अपनी पार्टी के बारे में बड़ी–बड़ी बातें कही कि हमने इतनी जमीन एक्वायर की। मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं कि इस बात की सी.बी.आई. इन्क्वारी होनी चाहिए कि दिल्ली के अन्दर कितनी जमीन एक्वायर हुई और किस–किस मंत्री और मुख्यमंत्री ने उस जमीन को खरीदा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि जमीन जब एक्वायर हुई तो उस को पहले खरीदा गया। इंस बात की जांच होनी चाहिए करोड़ों की उस जमीन का किसानों को कौड़ियों का भाव देकर उस जमीन को करोड़ों में बेच दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां भी महीने भर से लोग धरने पर बैठे हुए है। वे भी अपने मुआवजे की बात रख रहे हैं। मैंने भी मुख्यमंत्री जी से कहा कि आज मार्किट भाव देखते हुए एक एकड़ जमीन की कीमत करोड़ों

रुपये है। मगर उन किसानों को क्या दिया जाता है? उन किसानों को सिर्फ 11 लाख 20 हजार रूपया दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 प्रतिशत मुआवजा बढ़ाया। मगर मुख्यमंत्री जी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन लोगों की तरफ देखते हुए, उस जमीन की कीमत देखते हुए, उसका मुआवजा बढ़ाया जाये ताकि किसानों को उनका हक मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां पर बड़ी–बड़ी बातें भाजपा वालों ने कही कि हमारी सरकार ने ये किया। इनकी सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया। वह मैं आपको बताना चाहता हूं। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने प्लाट दिया और आप लोगों ने वे प्लाट दिये। जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने उस पर बैन लगा दिया कि उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। इन्होंने उस पर बैन लगा दिया कि यह कृषि योग्य भूमि है और इनसे यह भूमि वापस ली जाये और तमाम भूमि और तमाम प्लाट उन लोगों से वापस लिये गये। मैं यह बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत कुछ उद्योगों के बारे में कहा। लेकिन मैं देहात के बारे में कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये पूरी दिल्ली देहात की जमीन पर बसी हुई है। उन देहात के लोगों का ध्यान रखा जाये और जितने लोगों की जमीन एक्वायर हुई है, वे लोग आज इस बात से संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने उनका मुआवजा 10 प्रतिशत बढ़ाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे यहां की सारी जमीन एक्वायर हुई है। आज वे लोग अपनी मांग रख रहे हैं कि हमारा कम से कम साहब सिंह वर्मा ने जो मुआवजा बढ़ाया, उससे ज्यादा मुआवजा मुख्यमंत्री जी को बढ़ाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं वहां का विधायक होने के नाते मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं और आपने एक कमेटी बनाई, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने 10 प्रतिशत मुआवजा बढ़ाया, मगर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज का मार्केट का रेट देखते हुए उसका मुआवजा बढ़ाया जाये।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सदन की बैठक से संबंधित सूचना

श्री मुकेश शर्मा : मैं आपकी इजाजत से पांइट आफ आर्डर से पूरे हाऊस से और मैं आनेरेबल लीडर ऑफ दा हाऊस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज इस पर डिस्कशन चल रही है, जगमोहन जी की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है मेरा हाऊस से निवेदन है कि कल एक बजे हाऊस बुलाया जाये और एक घंटा इस पर डिस्कशन हो और कल ही चीफ मिनिस्टर इस पर रिप्लाई करे, यह मेरा प्रपोजल है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं अगर सब इस पर सहमत हों तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

मुख्य मंत्री : सर, मेरा .....*अंतरबाधा*.....

अध्यक्ष महोदय : नहीं वो कल जवाब देंगे। .....*अंतरबाधा*.....

डॉ. हर्षवर्धन : नहीं ये पाइंट ऑफ आर्डर किया था.....*अंतरबाधा*.....

अध्यक्ष महोदय : नहीं कल जवाब देंगी .....*अंतरबाधा*.....

डॉ. हर्षवर्धन : क्या प्रस्ताव पास किया था कैबिनेट में यह निर्णय होगा। 7 जून, 1999 को कैबिनेट ने क्या निर्णय किया था

अध्यक्ष महोदय : वो कल जवाब देंगे। आप बैठिए।

डॉ. हर्षवर्धन : नहीं यह अभी बताएं .....*अंतरबाधा*.....

अध्यक्ष महोदय : गोस्वामी जी बैठिए।

मुख्य मंत्री : Sir, I would recommend मुकेश जी ने प्रपोजल किया है क्योंकि हमारे बहुत सारे मेम्बर भी बोलना चाह रहे थे if the House could meet tomorrow at 1.00 p.m. and then we could have Question House from 2.00 p.m. onwards.

श्री मुकेश शर्मा : मैडम रेजोल्यूशन अभी होगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं लेकिन एक बात सुन लीजिए कि प्रश्नकाल दो बजे ही होगा और उसे मैं बढ़ाऊंगा नहीं। एक घंटें में ही समाप्त करना पड़ेगा .....*अंतरबाधा*.....

मुख्य मंत्री : स्पीकर सर, 35 मिनट ही दे दीजिए, बाकी ये लेंगे.....*अंतरबाधा*.....

अध्यक्ष महोदय : कल खाली एक घंटा है अभी बहुत मैम्बर हैं वो बोलेंगे

मुख्य मंत्री : सर, मैं कल तो बोलूंगी ही लेकिन मैं यह एनाउंस करना चाहती थी कि जितने मृतक के परिवार के लोग हें और जितने भी घायल हुए हैं उनके लिए मैं दिल्ली सरकार की ओर से एक–एक लाख रूपया घोषित करती हूं।

डॉ. हर्षवर्धन : अध्यक्ष जी, कम से कम 10–10 लाख रूपया तो दिलाइये ..... *अंतरबाधा.....*

अध्यक्ष महोदय : उनको मैंने समय दिया था बोलने का उन्होंने बात कह दी है.....*अंतरबाधा.....*

श्री हरशरण सिंह बल्ली : अध्यक्ष महोदय, 1997 के अंदर पांच–पांच लाख की डिमांड की गयी थी और कोर्ट ने पांच लाख रूपया डीसीएम से दिलवाया था। आज इनकी नाकामयाबियों के कारण तीन आदमी मारे गये हैं कम से कम 10–10 लाख रूपया तो देना चाहिए। एक लाख रुपये से क्या ये भार चुका रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी जो बात है वो इन्होंने सुन ली है, अब आप बैठ जाइए .....*अंतरबाधा.....*

श्री हरशरण सिंह बल्ली : क्यों इनको दस–दस लाख नहीं देते, क्यों मजदूर को पैसा देने के बाद सहमत नहीं हैं। अगर ये गरीबों के मसीहा बनते हैं तो दे उनको दस–दस लाख रुपया। जब पांच लाख की इनकी डिमांड थी तो हमने दिलवाया।

अध्यक्ष महोदय : मैडम आपने इनकी बात सुन ली है ये बढ़ाने की बात है।

मुख्यमंत्री : सर, ये राष्ट्र की सिचूएशन में कुछ नियम है कि जब आर्डिनरी डैथ होती है हम 50,000 देते हैं। राइट्स में एक लाख देते है आप ने जो हमारे .... *.अंतरबाधा.....*

श्री हरशरण सिंह बल्ली : एक मिनट मैडम .....*अंतरबाधा.....* .

अध्यक्ष महोदय : आपने जब सुझाव दे दिया तो आप बैठ जाइए.....*अंतरबाधा.....*

संकल्प

श्री हरशरण सिंह बल्ली : मुख्य मंत्री जी, मैंने पांच लाख डीसीएम से दिलवाया था और आप कह रहे हैं कि डिमांड कब की है .....*अंतरबाधा*.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए बंसल जी। आप उनको बोलने दीजिए, आपने कह दिया उन्होंने सुन लिया। बंसल जी आप बोलिए .....*अंतरबाधा*....आप बैठिए तो सही। आप उन्हें क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं। बोलिए रविन्द्र जी। .....*अंतरबाधा*.....। नसीब सिंह जी आप बीच में मत टोकिए। .....*अंतरबाधा*.....

श्री नसीब सिंह : **

अध्यक्ष महोदय : रविन्द्र जी आप बोलिए .....*अंतरबाधा*..... बड़े अफसोस की बात है एक नया मेम्बर बोलना चाहता है और आप बोलने नहीं दे रहे हैं। कितना सीरियस मामला है आप उसे दबाना चाहते है, एक नया मेम्बर है वो बोलना चाहता है, ये गलत बात है आप अपने ही मेम्बर को नहीं बोलने दे रहे हैं। बंसल जी नहीं बोल रहे हैं क्या आप ? सुभाष चोपड़ा जी आप बोलिए ....*अंतरबाधा*.....

संकल्प

श्री सुभाष चोपड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं अभी जो स्टेटमेंट डॉ. नरेन्द्र नाथ जी ने हाऊस के अंदर, जो जगमोहन जी ने पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट दी थी वो बहुत ही दुखित स्टेटमेंट है और इस बारे में मैं आपकी अनुमति से एक संकल्प रखना चाहता हूं।

"This House strongly disapproves the proposal contained in the statement made by Shri Jagmohan regarding amendment of Master Plan-2001 which will deprived millions of industrial workers of their basic right to work and to earn livelihood.

The pronouncement made by Shri Jagmohan will not at all solve the present problem of industrial workers and, in turn, may lead to more violance and unrest in the National Capital."

*** चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से कार्यवाही से निकाले गए।

श्री मुकेश शर्मा : सर, मैं इसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि जब कोई प्राइवेट मेम्बर देता है तो मैं उसको आमतौर पर अलाऊ नहीं करता हूं लेकिन हाऊस की अगर मर्जी हो तो, क्योंकि हाऊस सुप्रीम है तो मैं इसको वोट के लिए पटल पर रखता हूं।

जो प्रस्ताव सुभाष चोपड़ा जी ने हाऊस के सामने रखा है मैं इसको आपके सामने रखता हूं।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

हाऊस की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की जाती है।

हाऊस की कार्यवाही कल 23.11.2000 तक के लिए स्थगित की गयी।
